महानगर नई दिल्ली मंगलवार 23 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

‘चंद्रयान-2’ रवाना, सितंबर में उतरेगा चांद की सतह पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन के तहत ‘चंद्रयान-2’ का सोमवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ‘बाहुबली’ नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 3 एम 1 ने प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद यान को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रोवर उतारकर शोध किया जाएगा। रोवर को सात सितंबर को उतारे जाने की योजना है। चंद्रयान-2 ने दोपहर बाद 2:43 बजे उड़ान भरी।

चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने नया इतिहास रचा। इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण की घोषणा करते हुए कहा कि इस मिशन की सोच से बेहतर शुरुआत बाकी पेज 8 पर

श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित

16 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की ओर बढ़ेगा यान

उसके अगले पांच दिन में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा

सात सितंबर को उतरेगा चांद पर

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सराहा

चंद्रयान-2 की छलांग; परमाणु ऊर्जा के खजाने तक पहुंच – विशेष पेज 7 पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी नेताओं ने भारत के दूसरे चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-2’ के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इन नेताओं ने ‘ऐतिहासिक प्रक्षेपण’ के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों बाकी पेज 8 पर

भारत और पाक कहें तो कश्मीर पर मध्यस्थता

इमरान खान से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा

वाशिंगटन, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात में कहा कि यदि भारत-पाक कहेंगे तो वे कश्मीर पर ‘मध्यस्थता’ के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री खान के साथ अपनी बैठक के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, ‘यदि मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं एक मध्यस्थ होना पसंद करूंगा। अगर मैं मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मुझे बताएं।’ ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे (भारतीय) इसे हल होते हुए देखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आप (खान) इसे हल होते हुए देखना चाहेंगे। और अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं एक मध्यस्थ बनना पसंद करूंगा। यह होना चाहिए .... हमारे पास दो अद्भुत देश हैं जो होशियार नेतृत्व के साथ बहुत होशियार हैं, (और वे) इस तरह की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मध्यस्थता करूं, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं।’

भारत का कहना है कि कश्मीर मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत का लगातार यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय चर्चा की जाए। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे से इनकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था।अमेरिकी राष्ट्रपति ने खान से कहा, ‘भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं जानता हूं कि आपका रिश्ता (भारत के साथ) थोड़ा तनावपूर्ण है, शायद बहुत कुछ। लेकिन हम भारत के बारे में बात करेंगे... (यह) आज हमारी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा है और मुझे लगता है कि शायद हम मध्यस्थता करने में मदद कर सकते हैं और हमें जो करना है वह कर सकते हैं। हम भारत और अफगानिस्तान दोनों के बारे में बात करेंगे।’ वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठे खान ने कहा कि वह तैयार हैं और उन्होंने अमेरिका के इस तरह के कदम का स्वागत किया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि यदि आप (कश्मीर पर) मध्यस्थता कर सकते हैं तो एक अरब से अधिक लोगों की प्रार्थना आपके साथ है।’

भारत जनवरी 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। खान के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी थे।

इस वर्ष के शुरू में कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया।

यदि मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं एक मध्यस्थ होना पसंद करूंगा।
-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

राजौरी में पाक गोलीबारी में जवान शहीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी और मोर्टार गोलाबारी में सेना का एक जवान सोमवार को शहीद हो गया। जम्मू में सेना के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) लेफ्टिनेंट कर्नल देंवेद्र आनंद ने बताया कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना और उनकी चौकियों को भारी नुकसान हुआ।

भारतीय सेना के शहीद जवान (राइफलमैन) का बाकी पेज 8 पर

विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, पर मतदान नहीं

बंगलुरु, 22 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में तीसरे दिन सोमवार को चर्चा हुई लेकिन मतदान नहीं हो पाया। आखिर में विधानसभा की कार्यवाही विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बिना मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस अड़ी हुई है कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर अध्यक्ष का फैसला आने तक विश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन न कराया जाए। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि मतदान की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस-जद (सेकु) सदस्यों ने लगाए नारे, ‘सुप्रीम कोर्ट को फैसला बाकी पेज 8 पर

निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज – पेज 9 पर

विधानसभा की कार्यवाही विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बिना मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस अड़ी हुई है कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर अध्यक्ष का फैसला आने तक विश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन न कराया जाए।

जेपी नड्डा ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तलब किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उनकी उस टिप्पणी के लिए ‘खिंचाई’ की जिसमें उन्होंने कहा था कि वह शौचालय साफ करने के लिए सांसद नहीं बनी हैं। इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत’ अभियान के उपहास के तौर पर देखा गया। पार्टी सूत्रों बाकी पेज 8 पर

‘शौचालय’ संबंधी टिप्पणी पर

साढ़े सात हजार के रखरखाव पर फ्लैट मालिकों को देना होगा 18% जीएसटी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को 7,500 रुपए से अधिक का मासिक रखरखाव शुल्क देने वाले फ्लैट मालिकों को अब 18 फीसद माल व सेवा कर (जीएसटी) भी देना होगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह बात कही।

नियमों के अनुसार यदि प्रति फ्लैट मासिक शुल्क 7,500 रुपए से अधिक बैठता है और सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के जरिये आरडब्ल्यूए का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से अधिक होता है, तो आरडब्ल्यूए को अपने सदस्यों से जीएसटी का संग्रह करना होगा। यदि यह शुल्क 7,500 रुपए से अधिक है तो पूरी राशि पर ही जीएसटी लगेगा।

यदि किसी व्यक्ति के हाउसिंग सोसायटी या आवासीय परिसर में दो या अधिक फ्लैट हैं तो 7,500 बाकी पेज 8 पर

दरअसल

सूचना अधिकार संशोधन बिल को लोकसभा ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

लोकसभा ने सोमवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पारदर्शिता कानून के बारे में विपक्ष की चिंताओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी, सरलीकरण, न्यूनतम सरकार-अधिकतम सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है।

मंत्री के जवाब के बाद एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत कुछ सदस्यों ने विधेयक पर विचार किए जाने और इसके पारित किए जाने का विरोध किया और मतविभाजन की मांग की। सदन ने इसे 79 के मुकाबले 218 मतों से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की।

इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों और राज्य बाकी पेज 8 पर

मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल भी पारित

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

संसद ने सोमवार को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी और सरकार ने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोगों को अधिक सक्षम बनाने में विधेयक के प्रावधानों से मदद मिलेगी। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधन से मानवाधिकार आयोग की संस्था के कमजोर होने की आशंका व्यक्त करते हुए संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर सरकार से फिर विचार करने की मांग की।

राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के कुछ सदस्यों की इन बाकी पेज 8 पर

छलांग तेजोमंडल की जानकारी जुटाएगा सूर्ययान ‘आदित्य एल-1’

अगले साल भारत का सूर्य अभियान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

‘चंद्रयान-2’ के प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की 2020 की पहली छमाही में सूरज के परिमंडल के अध्ययन के लिए सूर्य मिशन ‘आदित्य एल-1’ को अंजाम देने की योजना है। ‘आदित्य एल-1’ का लक्ष्य सूर्य के तेजोमंडल (परिमंडल) का अध्ययन करने का होगा, जिसमें हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की बाहरी परत है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि सूर्य के सतह के तापमान 6000 कैलविन से कोरोना का तापमान 300 गुना ज्यादा क्यों है, जबकि कोरोना इससे काफी ऊपर है।

इसरो ने मिशन के बारे में सूचना साझा करते हुए अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘परिमंडल कैसे इतना गर्म हो जाता है, सौर भौतिकी में इसका उत्तर अब तक नहीं मिला है।’ इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि मिशन को 2020 की पहली छमाही में प्रक्षेपित करने की योजना है। सूर्य के परिमंडल का विश्लेषण इसलिए किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर इसका बड़ा प्रभाव है।

इसरो का सूर्य मिशन 2020 में, जलवायु परिवर्तन की गुत्थी सुलझेगी

सिवन अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। उनके मुताबिक, ‘आदित्य एल-1’ अतिरिक्त प्रयोगों के साथ सूर्य के बाह्यमंडल, वर्णमंडल और परिमंडल का निरीक्षण उपलब्ध करा सकता है। के सिवन ने कहा कि आदित्य-एल1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। वहां से यह हमेशा सूर्य की ओर देखेगा। आदित्य-एल1, सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तेजोमंडल का अध्ययन कर सकता है। यह सूर्य से निकलने वाले विस्फोटक कणों का अध्ययन भी करेगा। इसरो के अनुसार यह कण पृथ्वी के नीचे वाले कक्ष में किसी काम के नहीं होते। इन्हें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखने की जरूरत है।

इसरो प्रमुख सिवन के मुताबिक, चंद्रयान-2 के बाद हम चंद्रमा पर एक और यान भेजेंगे। तीसरा चंद्रयान मिशन 2020 के अंत तक पूरा होगा। इसमें भारतीय रोबोट को चांद की सतह पर उतारा जाएगा, जो वहां जाकर विभिन्न प्रकार की जांच करेगा। के सिवन के मुताबिक, 2021 तक नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट स्थापित करेंगे। इस परियोजना का नाम है, नासा-इसरो सिंथेटिक बाकी पेज 8 पर

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)
कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु पुनरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	563498	472958	2053677
2	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक तथा / या असाधारण मदों से पूर्व	18268	(81521)	(363077)
3	अवधि के लिए कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा / या असाधारण मदों के पश्चात)	18268	(81521)	(363077)
4	अवधि के लिए कर के पश्चात निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा /या असाधारण मदों के पश्चात)	11268	(39321)	5499
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित][2]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य)	137021	63277	137021
7	पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए गए प्रारक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)			1602972
8	प्रति शेयर आय (₹10/-प्रति का) (जारी तथा बंद हुए परिचालनों के लिए)			
	मूल (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.82	(6.21)	0.77
	ह्रासित (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.82	(6.21)	0.77

टिप्पणियां :
1 यह सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों – www.bseindia.com/ www.nseindia.com एवं बैंक की वेबसाइट : www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध है ।
2 नए भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए.एस.) अभी भारत में बैंकों पर लागू नहीं हैं ।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 22 जुलाई, 2019

(बालकृष्ण अल्से एस.) कार्यकारी निदेशक
(विजय दुबे) कार्यकारी निदेशक
(मुकेश कुमार जैन) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

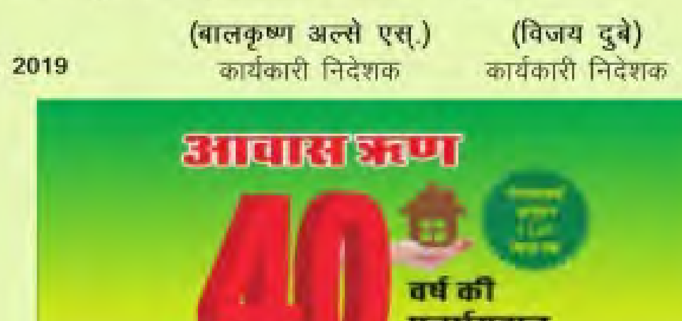

हमारी वेबसाइट: www.obcindia.co.in या कॉल करें 0120-2580001 या 1800-180-1235 एवं 1800-102-1235 (टोल फ्री)
हमसे जुड़ें ओबीसी इंडिया

मोटरसाइकिल सवार पर गिरा बिजली का तार

करंट से युवक और उसे बचाने आए व्यक्ति की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

- मृतकों की पहचान सलीम और होशियार सिंह के रूप में हुई
- पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया

फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के जोनापुर में रविवार शाम हो रही बारिश के दौरान एक चलती मोटरसाइकिल पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। इस हादसे में करंट की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमरोहा, उत्तर प्रदेश निवासी सलीम (23) और बदरपुर निवासी होशियार सिंह (54) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि रविवार शाम को सूचना मिली थी कि बिजली का तार एक मोटरसाइकिल सवार युवक पर गिर गया है। इसके कारण युवक करंट की चपेट में आ गया। वहीं, एक अन्य व्यक्ति युवक की मदद करने के लिए गया तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो दोनों सड़क पर तड़प रहे थे। पुलिसकर्मियों ने बिजली विभाग को फोन कर बिजली कटवाई और दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि छानबीन में पता चला है कि घटना के समय सलीम मोटरसाइकिल चला रहा था। इसी दौरान बिजली का तार उस पर गिर गया। वहां से गुजर रहे होशियार सिंह जब उसकी मदद करने आगे बढ़े तो, उन्हें भी करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने सतर्कता बरती और उस रोड पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी। साथ ही बिजली विभाग और पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। उपायुक्त ने बताया कि होशियार सिंह अपने परिवार के साथ बदरपुर के मोलड़बंद एक्सटेंशन में रहते थे। वहीं, सलीम मूलरूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इन दिनों दिल्ली में ही रह रहे थे। घटना की जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई।

टमाटर व प्याज की कीमतों पर सरकार की नजर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के आयुक्त के अलावा आजादपुर सब्जी व फल मंडी, नैफेड व मदर डेयरी के अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार के अधिकारियों ने हुसैन को बताया

- अधिकारियों को दिए कीमतों को काबू में रखने के निर्देश
- जमाखोरी करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

बरसात के इस मौसम में टमाटर व प्याज की कीमतों में उछाल के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कीमतों को काबू में करने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को खाद्य आपूर्ति विभाग के आला अधिकारियों के अलावा अन्य संबंधित एजंसियों के अधिकारियों से बातचीत कर प्याज व टमाटर की कीमतों पर काबू करने के निर्देश दिए और यह भी ताकीद की कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

खाद्य आपूर्ति मंत्री हुसैन ने टमाटर व प्याज की कीमतों में आए उछाल को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।

कि राजधानी में टमाटर उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से आता है जहां इन दिनों भारी बरसात हो रही है। इसी वजह से इनकी आवक प्रभावित हुई है। अधिकारियों ने बैठक में यह भी कहा कि टमाटर की कीमतों को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि फिलहाल प्याज की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन इसकी कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है।

किदवई भवन में आग, फर्नीचर और फाइलें जलीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

जनपथ स्थित किदवई भवन में सोमवार सुबह आग लग गई। आग चौथी मंजिल पर आइटी विभाग की डीजीएम के कमरे में लगी। इसमें फर्नीचर और कई फाइलें पूरी तरह से जल गईं। दिल्ली अग्निशमन विभाग की आठ गाड़ियों को आग बुझाने में तीन घंटे लगे। शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। दिल्ली अग्निशमन विभाग और पुलिस को सोमवार सुबह चार बजकर पंतालीस मिनट पर सूचना मिली कि जनपथ रोड के किदवई भवन में आग लग गई। यहां महानगर टेलीफोन निगम का दफ्तर है।

डीडीए आवास योजना ड्रॉ आज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

डीडीए आवास योजना 2019 का ड्रॉ मंगलवार को निकाला जाएगा। दिल्ली के विकास सदन में इस आवास योजना के तहत आवेदकों को फ्लैटों के आबंटन के लिए किए जाने वाले ड्रॉ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दस जून को खत्म हुई योजना के तहत दिल्ली के वसंत कुंज और नरेला औद्योगिक इलाकों में करीब 18 हजार नए बने फ्लैटों की बिक्री होनी है, जिसके लिए डीडीए को लगभग 50 हजार आवेदन मिले थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना के लिए ड्रॉ का आयोजन 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगा और प्रक्रिया को डीडीए की वेबसाइट के माध्यम से भी सीधे देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदक आइएनए के विकास सदन स्थित डीडीए मुख्यालय में नागरिक सुविधा केंद्र पर कार्रवाई देखने जा सकते हैं।

डीडीए की आवास योजना 25 मार्च को शुरू की गई थी, जिसमें चार श्रेणियों के फ्लैटों की बिक्री होनी है। आवेदन की अंतिम तारीख दस मई थी, जिसे बढ़ाकर दस जून कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि चार श्रेणियों, एचआइजी, एमआइजी, एलआइजी और ईडब्लूएस श्रेणियों के लगभग 17,922 फ्लैटों की बिक्री होनी है। उन्होंने बताया कि इनमें 488 (एचआइजी), 1,555 (एमआइजी), 8,383 (एलआइजी) 7,496 (ईडब्ल्यूएस) फ्लैट शामिल हैं।

'हिंदी रत्न' सम्मान से नवाजे जाएंगे राम बहादुर राय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

पत्रकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय को प्रतिष्ठित हिंदी रत्न सम्मान देने के लिए चुना गया है। उन्हें एक अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान के तहत उन्हें एक लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा भेंट की जाएगी। हिंदी भवन प्रत्येक वर्ष एक अगस्त को राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन जयंती पर पत्रकार पंडित भीमसेन विद्यालंकार की स्मृति में यह सम्मान देता है।

राय की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर 'रहबरी के सवाल', पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर 'मंजिल से ज्यादा सफर' और आचार्य जेबी कृपलानी की जीवनी 'शाश्वत विद्रोही: आचार्य जे बी कृपलानी' शामिल हैं।

हिंदी भवन के सभागार में इस आशय के लिए एक विशिष्ट समारोह का आयोजन किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे।

कंधा छू जाने पर नाबालिग की चाकू से हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

नबी करीम थाना क्षेत्र में कंधा छू जाने से गुस्साए दो युवकों पर एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। वारदात में एक अन्य नाबालिग भी घायल हो गया। मृतक का नाम यासीन अंसारी (16) और घायल का नाम फरमान (16) है। पुलिस ने इलाके में छापामारी कर कुछ ही घंटों में दोनों आरोपी, मोहम्मद रिजवान उर्फ राजू (28) और शाहनवाज (25) को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, यासीन अंसारी अमर पुरी में अपने दो भाइयों के साथ रहता था। वह बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके माता-पिता और तीन बहनें बदायूं में रहती हैं। यासीन रविवार रात करीब नौ बजे अपने चचेरे भाई दानिश और फरमान के साथ खाने के लिए मकान से नीचे उतर रहा था। आरोपी राजू और शाहनवाज ऊपर आ रहे थे। इसी दौरान दानिश का कंधा शाहनवाज से टकरा गया। कंधा टकराने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। देखते-देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच राजू ने फरमान पर ब्लेड से हमला कर दिया। फरमान की मदद करने के लिए उसके दोनों भाई भी आरोपियों के साथ हाथापाई करने लगे। इसी दौरान शाहनवाज ने यासीन अंसारी के पेट में चाकू से वार कर दिया और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने यासीन को मृत घोषित कर दिया। घायल फरमान का इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल आरोपियों की पहचान कर दोनों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बचने के लिए बदमाश नाले में कूदा, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुरहान उर्फ बुरहानुद्दीन (22) को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। बुरहान ने पिस्तौल के बल पर 50 से ज्यादा लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जब पुलिस की टीम पकड़ने के लिए पहुंची तो वह नाले में कूद गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर इसके द्वारा किए गए वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

स्पेशल सेल के उपायुक्त मनीषी चंद्रा ने बताया कि हाल के दिनों में इस बदमाश द्वारा की गई कई वारदातों के सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए थे, जो कि टीम के हाथ लग गए थे। जांच में पता चला कि दिल्ली के अलावा, फरीदाबाद, नोएडा और बिजनौर में भी इसने वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी को गत दिनों दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसी साल मई माह में जमानत मिलने के बाद यह फिर वारदात पर वारदात कर रहा था। उपायुक्त ने बताया कि रामपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस से बचने के लिए वह इलाके के एक आठ फुट गहरे नाले में कूद गया था।

'स्वयं पोर्टल' पर शुरू होगा अंतरिक्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

'चंद्रयान-2' के सफल प्रक्षेपण पर मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने सोमवार को अंतरिक्ष इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करिअर चुनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि 'स्वयं पोर्टल' 29 जुलाई से इस विषय पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

मंत्रालय ने ट्वीट किया कि 'इसरो आज फिर चांद पर जाएगा। स्वयं पोर्टल के साथ अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का अध्ययन करें। कौन जानता है कि अगली बार आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन जाएं।' मंत्रालय का पोर्टल अंतरिक्ष इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छह ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगा और यह विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यान, यान, मिसाइल एवं हथियार प्रणाली की डिजाइनिंग, निर्माण, रख-रखाव पर कौशल एवं ज्ञान हासिल करने में मदद करेगा।

सूचना के अधिकार कानून में संशोधन गलत : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

"इस कदम से खत्म होगी सूचना आयोगों की स्वतंत्रता"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। सियासत में कदम रखने से पहले आरटीआइ को लागू करवाने में सक्रियता से काम करने वाले केजरीवाल ने कहा कि आरटीआइ कानून में संशोधन करना एक गलत कदम है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि यह केंद्रीय एवं राज्यों के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर देगा, जो आरटीआइ के लिए अच्छा नहीं होगा। केंद्र ने आरटीआइ कानून में संशोधन करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था जो सूचना आयुक्तों का वेतन, कार्यकाल और रोजगार की शर्तें एवं स्थितियां तय करने की शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान करने से संबंधित हैं। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक पेश करते वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आरटीआइ कानून को अधिक व्यावहारिक बनाएगा। उन्होंने इसे प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लाया गया कानून बताया। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआइ कानून में संशोधन के कदम की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह पैनल की स्वतंत्रता पर हमला है और इन संशोधनों के अमल में आने से यह कानून कमजोर हो जाएगा।

धरना मामले में केजरीवाल और सिसोदिया पर नहीं चलेगा मुकदमा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

- 2014 में एक आंदोलन के दौरान कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने का था मामला

दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने 2014 में एक आंदोलन के दौरान कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में मजिस्ट्रेट अदालत के पांच जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वकील मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया है कि 'आप' नेताओं ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों में त्रुटि है। निचली अदालत ने पांच जुलाई को आरोपी लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा था कि यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रथम दृष्टया उन पर मामला और 'गंभीर संदेह' बनता है। विधायक राखी बिरला के खिलाफ भी आरोप तय किए गए। हालांकि उन्होंने अब तक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में लगेंगे होमगार्ड और महाराष्ट्र का बल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त आरपीएफ और एसआरपीएफ जवानों की संख्या में करीब 15 फीसद की कमी है। इसे दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड कड़े कदम उठाएगा। एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि रेलवे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को भी नियुक्त करेगा।

इससे पहले रेलवे बोर्ड ने अपने परिसरों को सुरक्षित रखने के लिए जोन के महाप्रबंधकों को अधिकार दिए थे कि वे होम गार्ड, महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा बल जैसी सरकारी सुरक्षा एजंसियों की सेवाएं ले सकते हैं। 18 जुलाई को जारी नए आदेश में सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए पूर्व सैनिकों को शामिल करने को कहा गया है।

हिरासत में युवक की मौत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली में सोमवार सुबह पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना मुंडका थाने की है। युवक की पहचान टिकरी कलां गांव, निवासी मुकेश (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि 18 जुलाई को मुकेश एक विशेष समुदाय की लड़की को लेकर दिल्ली से जयपुर भाग गया था।

जयपुर पुलिस ने दोनों को शक के घेरे में लेते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद मुंडका थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी। इधर लड़की के परिजनों ने भी उसके अगवा होने की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी थी। मामले के जांच अधिकारी (आइओ) जयपुर से मुकेश और लड़की को लेकर सोमवार सुबह ही थाने पहुंचे थे। इसी बीच मुकेश की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सेजू पी कुरुविला ने बताया कि मुकेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है। पुलिस मौत की वजह बीमारी बता रही है। डॉक्टरों ने पुलिस को प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद बताया कि मुकेश को टीबी था। वहीं, परिजनों का आरोप है कि उसकी पिटाई से मौत हुई है। पुलिस ने उसकी मौत के बाद उसे दिल्ली लेकर आने की जानकारी परिजनों को दी थी। उपायुक्त का कहना है कि उसके साथ मारपीट नहीं की गई थी। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का भी पता चल जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि फिलहाल मामले में दोनों पक्षों के बयान ले लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने नहीं दी जानकारी

मुकेश के भाई मनोज ने बताया कि उनका परिवार टिकरी गांव में रहता है। मुकेश की शादी हुई थी, लेकिन वह छोड़कर चली गई। मुकेश बकरवाला गांव के एक विशेष समुदाय की लड़की को लेकर भाग गया था। उसने बताया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी थी कि उसके भाई को जयपुर पुलिस ने एक लड़की के साथ पकड़ा है। दिल्ली पुलिस उसे लेने गई है। आरोप है कि जब पुलिस टीम सोमवार सुबह उसे लेकर दिल्ली आ गई थी तो इसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई?

भगाकर नहीं ले गया था

मुकेश के परिजनों ने बताया कि जब 18 जुलाई को शाम तक वह घर नहीं लौटा तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वह एक लड़की को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखा था। परिजनों का आरोप है कि वह लड़की को भगाकर नहीं ले गया था, जबकि लड़की उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी।

दिल्ली की सत्ता के लिए हथियार बना मुद्दा

कच्ची कॉलोनियों की पक्की राजनीति

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली की सत्ता में कच्ची कॉलोनियों की राजनीति इस कदर पक्की हो गई है कि हर चुनाव से पहले इसका मुद्दा उठ ही जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दो हजार से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देकर इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू करवाने की घोषणा की है। इससे पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने भी मई में हुए लोकसभा चुनाव से पहले इन कॉलोनियों में स्वामित्व या हस्तांतरण मार्टगेज (रेहन) अधिकारों को प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक 10 सदस्य समिति का गठन किया था।

दिल्ली में जिस तेजी से पलायन हो रहा है उस हिसाब से मकान बनाने में दिल्ली की कोई सरकारी एजंसी (डीडीए आदि) सफल हो ही नहीं रही है। पहले सस्ते में जमीन दिलाना, फिर उस पर नगर निगम और दिल्ली पुलिस के साथ मिलीभगत करके मकान बनवाना और फिर सरकारी करके उन्हें फ्री बिजली पानी दिलवाने की पूरी प्रक्रिया। इन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं के संरक्षण में यह सालों से चलाया जा रहा है। अनधिकृत कॉलोनी हर चुनावों में इन नेताओं का अहम हथियार इसलिए भी है कि उन्हें वोट और नोट दोनों ही साथ में मिलता है।

भाजपा के ही नेता जगदीश ममगाईं ने इस मामले में कई सवाल उठाए हैं। इससे पूर्व 29 दिसंबर 2014 को केंद्र की सरकार ने समय सीमा 31 मार्च, 2002 से बढ़ाकर 1 जून, 2014 तक बनी सभी कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया था, तब सभी कॉलोनियों की न तो सूची थी और न ही इसके निमित्त कोई सर्वे कराया गया था। सरकार के पास अंतिम सर्वेक्षण 2002 का उपलब्ध है।

विधानसभा बनते ही बन गया था मुद्दा

कॉलोनियों का यह मुद्दा दिल्ली के विधानसभा बनने से जुड़ा हुआ है। इसके लिए पहली नीति 19 जुलाई 1961 को अस्तित्व में आई और उसके बाद मई 1977 तक कई बार कॉलोनियों को नियमित की गई। दिल्ली में विधानसभा बनने पर भाजपा के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए 1993 में 31 मार्च 1993 तक बनी 1071 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। लेकिन केंद्र और राज्य की खींचातानी में पूरा न हो पाया। अक्तूबर, 2004 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने एक 31 मार्च 2002 तक बनी अनधिकृत कॉलोनियों से आवेदन और ले-आउट प्लान आमंत्रित किए, आरडब्लूए के माध्यम से 1642 आवेदन आए जिनमें 448 ओवरलैपिंग थीं। वर्ष 2007 में यूपीए सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कॉलोनी, गांव एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर एक वर्ष के लिए कार्रवाई रोकने के लिए अधिसूचना जारी की थी। तबसे लगातार अस्थायी रोक लगती रही पर समाधान के प्रयास नहीं हुए।

संपत्ति करदाताओं के लिए छूट की घोषणा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में सोमवार को मेयर अंजू कमलकांत ने संपत्ति करदाताओं के लिए छूट की घोषणा की। निगम का मानना है कि व्यावसायिक श्रेणी में उन्हें भी छूट का लाभ मिले जिन्हें डीडीए से प्लॉट आबंटित नहीं है लेकिन वे जनोपयोगी कार्य में लगे हुए हैं। मौजूदा वित्तीय साल 2019-20 के लिए पूरे साल की राशि 15 फीसद त्वरित भुगतान सहित एक मुश्त भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 करने का प्रस्ताव पास किया गया।

पूर्वी निगम में सदन के नेता निर्मल जैन ने इस प्रकार के आशय का एक प्रस्ताव सदन में लाए जिसे पार्षद राजीव ने अनुमोदन किया और फिर मेयर अंजू कमलकांत ने पास करने की घोषणा कर दी।

पुलिस चौकी के सामने युवक की गोली मारकर हत्या

- यू फ्लैक्स कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में तैनात था युवक
- प्रेम प्रसंग और रंजिश, दोनों आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

सेक्टर-60 पुलिस चौकी के पास सोमवार सुबह बदमाशों ने नोएडा की एक नामी कंपनी के सुपरवाइजर के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय मृतक रात की पाली में काम के बाद घर के लिए पैदल निकला था। सूचना मिलने पर पहुंची थाना सेक्टर-58 पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग और रंजिश, दोनों आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

मूलरूप से मेरठ के मवाना इलाके के रहने वाले मोहम्मद इमरान (29) गाजियाबाद के बहरामपुर में रहते थे। मोहम्मद इमरान सेक्टर-60 स्थित यू फ्लैक्स कंपनी में सुपरवाइजर थे, जो पिछले सात साल से रात की पाली का काम संभाल रहे थे। रविवार शाम सात बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक वे कंपनी में मौजूद थे। सुबह करीब सात बजकर 40 मिनट पर वह कंपनी से बहरामपुर के लिए ऑटो पकड़ने के लिए पैदल निकले। कंपनी से निकलते ही सेक्टर- 60 चौराहे से मामूरा की तरफ जैसे ही मुड़े कि अज्ञात हमलावरों ने सिर में एक गोली मार दी। यू फ्लैक्स कंपनी के सामने ही सेक्टर- 60 पुलिस चौकी है। आरोप है कि बदमाशों की गोली से लहूलुहान होकर इमरान गिर पड़े थे लेकिन चौकी से कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। सूचना देने पर पीसीआर पहुंची। पुलिस के मुताबिक इमरान की शादी नहीं हुई थी। वह गाजियाबाद के बहरामपुर में किराए पर रहते थे। उनके साथ दो और लोग भी रहते थे। इनमें एक उनकी बुआ का लड़का इरशाद है, जो फिलहाल नौकरी की तलाश कर रहा है। वहीं, दूसरा मवाना का रहने वाला रिजाजुद्दीन है, जो फेज टू औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करता है। क्षेत्राधिकारी द्वितीय पीयूष सिंह के मुताबिक मृतक के भाई मोहम्मद जुबैर की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है।

नोएडा का युवक ईरान में जहाज से संदिग्ध हालात में हुआ लापता

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

मर्चेंट नेवी में बतौर प्रशिक्षु तैनात नोएडा सेक्टर- 22 के रहने वाले आयुष चौधरी ईरान में जहाज से संदिग्ध अवस्था में लापता हो गया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि जहाज कंपनी और नोएडा स्थित प्लेसमेंट एजंसी की मिलीभगत से आयुष गायब हुआ है।

बताया जा रहा है कि जहाज कंपनी ने 17 जुलाई देर रात को फोन कर परिजनों को सूचना दी कि आयुष समुद्र में गिर गया है और उसकी मौत की आशंका जताई। हालांकि परिजनों ने इसे साजिश बताते हुए मानव तस्करी का मामला बताया है। मामले को लेकर परिजनों ने विदेश मंत्रालय को भी सूचित किया है। आयुष की बहन शैली चौधरी के मुताबिक सेक्टर-15 स्थित एक प्लेसमेंट एजंसी के जरिए आरएएस शिपिंग कंपनी से संपर्क हुआ था। इसी के जरिए आयुष को मर्चेंट नेवी में प्रशिक्षु के रूप में नौकरी मिली। 4 मई 2019 को दुबई से पिंक रोज कंपनी के जहाज पर आयुष ने प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया था। इसी जहाज से वह ईरान गया था। जहाज ईरान के असालू बंदरगाह पर रुका हुआ था। परिजनों की 12 जुलाई को आखिरी बार आयुष से बात हुई थी। 17 जुलाई को कंपनी ने फोन कर परिजनों को बताया गया कि आयुष असालू बंदरगाह पर समुद्र में गिर गया है।

प्रदूषण के खिलाफ एबीवीपी का जागरूकता अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक एनजीओ के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज सहित कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

इस मौके पर एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और अपनी आदतों को बदलना होगा।

फेसबुक पर जाति विशेष की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक पोस्ट पर दो पक्षों में तनाव

- पोस्ट साझा करने वाला आरोपी फरार, पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 22 जुलाई।

जेवर इलाके के चौरोली गांव में एक युवक ने एक जाति विशेष की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जिसके बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्ट साझा करने वाले आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया।

वहीं देर रात दूसरे पक्ष ने शिकायत करने वालों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से 16 अज्ञात लोगों एवं पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें घायल हुए करीब 10 लोगों की चिकित्सकीय जांच कराई गई है। तनाव को देखते हुए एसपी देहात रणविजय सिंह, एसडीएम गुंजा सिंह व एडीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शांति बनाए रखने की अपील की।

चौरोली गांव के रहने वाले बॉबी ने रविवार सुबह यह पोस्ट साझा की थी। एक पक्ष ने बॉबी को नामजद कराते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रविवार शाम फिर पुलिस को एक पक्ष की तरफ से मारपीट करने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन वहां मामला शांत मिला। आरोप है कि रविवार की रात एक पक्ष के लोगों ने जाति विशेष के पांच लोगों के घरों पर हमला कर घरों में तोड़फोड़ की। हमले में घरों में रखे सामान और बाहर खड़ी कार व मोटरसाइकिल आदि में तोड़फोड़ की। हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए। आरोप है कि सभी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। पुलिस पोस्ट साझा करने वाले आरोपी बॉबी के पिता सुखपाल से थाने में पूछताछ कर रही है।

आइपीयू : एमबीए में 31 के बाद सीमैट वालों को मौका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) में संयुक्त प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीमैट) के स्कोर के आधार पर 31 जुलाई के बाद एमबीए पाठ्यक्रम में दाखिला के मौका दिया जाएगा। यह अवसर सीट खाली होने की स्थिति में ही मिलेगा। एमबीए पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक सीमैट योग्यता प्राप्त विद्यार्थी 31 जुलाई शाम चार बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

बसपा शासनकाल के रसूखदार लोग जांच एजंसियों के निशाने पर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

मायावती के भाई आनंद पर कार्रवाई होने से बसपा शासनकाल में रसूखदार और खास लोग आयकर समेत अन्य एजंसियों के निशाने पर आ गए हैं। इस चर्चा ने सबसे अहम, मालो से बिल्डर बने एक कारोबारी की चर्चा है। बिल्डर की एक बड़ी परियोजना फिलहाल निर्माणाधीन है। बसपा शासनकाल में ताकतवर रहे कई भूखंडों के मालिक बने शख्स की भी चर्चा फिर से होने लगी है। बताया जा रहा है कि सेक्टर- 94 में विख्डित एक भूखंड का मालिकाना हक अभी भी उनके पास है। इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को आयकर विभाग खंगाल रहा है। दूसरी तरफ, सेक्टर- 94 के जिस भूखंड को लेकर मामला सुर्खियों में आया है, आबंटन के बाद उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इसका एक हिस्सा बेनामी संपत्ति के रूप में आयकर विभाग ने जब्त किया है।

जानकारी के मुताबिक बेनामी संपत्ति बनाने के लिए बसपा कार्यकाल में अधिकारियों ने भरोसे में लेकर 2007-08 में वाणिज्यिक (बिल्डर भूखंड-2) की योजना निकाली गई। योजना के तहत 95 एकड़ के एक भूखंड का आबंटन नीलामी के जरिए किया जाना था। 11 मार्च को इसकी आर्थिक निविदा खोली गई। इसमें से करीब 85672 वर्ग मीटर की लीज बीपीटीपी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के नाम से की गई। नौ फरवरी, 2009 को यह डीड की गई। जबकि 16 फरवरी, 2010 को इस भूखंड को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जिसका एक हिस्सा बेनामी संपत्ति के रूप में आयकर विभाग ने जब्त किया। जानकार बताते हैं कि एक बड़े भूखंड को छोटे हिस्सों में विभाजित कर बेनामी संपत्ति के रूप में लाभ लिया गया। नौ फरवरी को बीपीटीपी के नाम लीज की गई। इसके नौ महीने बाद अक्तूबर 2009 को एक शासनादेश जारी किया गया।

U.P. RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD.
Notice Inviting E-Procurement
(ISO 90001:2008 Certified Company) Visheshwaraiya Bhawan, Gomtinagar, Lucknow

NIT NO. 02/PM(E)/MKRSSEU/RNN/PROCUREMENT/
suchana vibhag /19, dated -15.07.2019

The Unit Incharge, MKRSS Electrical Unit invites for and on behalf of managing Director U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd. online item rate bids in two system for the following work:
name of work : SITC OF FIRE ALARM SYSTEM WORK AT PT. DEENDYAL UPDHAYAY SUCHANA BHAWAN "LUCKNOW"
Estimated Bid Value : Rs. 36.21 Lakh Earnest Money : Rs. 0.72 Lacs, Period of Completion : 6 Months from agreement, Last time and date of Submission of bid 06/08/2019 on Dt. 03:30 PM. The bid forms and other details can be obtained / downloaded from the website: http://etender.up.nic. The NIt is also available on http://www.uprnn.co.in

YMS MOBITECH PRIVATE LIMITED
(UNDER LIQUIDATION)
LIQUIDATOR OFFICE :-PRABHJIT SINGH SONI, GG1/144/C,
NEAR PVR CINEMA, VIKAS PURI, NEW DELHI 110018
Mob. : 9810262299, email : liquidationyms@gmail.com, psgurleensoni@gmail.com

E-AUCTION SALE NOTICE
Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and regulation there under, that the properties stated in Table below, will be sold by E-Auction through the service provider **M/ s YMS Mobitech Private Limited** - via website **http://www.eauctions.co.in**

Date and Time of Auction	Thursday 08.08.2019 between 01:00 P.M. to 03:00 P.M.
Last Date for Submission of EMD	05.08.2019 before 05:00 P.M
Inspection Date & Time	On 01.08.2019 between 12.00P.M. to 05:00 P.M. The person to be contacted for inspection is Mr. P.S. Contact No. 9810262299

Lot No.	Particulars	Reserve Price	EMD
1	Around 5100 Mobile Phones Used Handset I.Phones All Brands	60,00,000	5,00,000

The EMD (Refundable) shall be payable by interested bidders through NEFT/ RTGS on or before 05.08.2019 in an account of **"YMS Mobitech Private Limited (Under Liquidation)"** having **Account No. 148311031126** and **IFSC Code BKDN0711483** OR by DD/Pay order favouring **"YMS Mobitech Private Limited (Under Liquidation)"**. For detailed terms & conditions of E-auction sale, refer **TENDER DOCUMENTS** available on **http://www.eauctions.co.in/ or www.sunresolution.in**. For any query regarding E- Auction, contact Mr. Dixit Prajapati (M: 7874138237) on admin@eauctions.co.in or Liquidator on

Date: 22nd July, 2019
Place: New Delhi

PRABHJIT SINGH SONI
LIQUIDATOR
IBBI/IPA-002/IP-N00065/2017-18/10143

SEARCH FOR MISSING

General public is hereby informed that a female namely **Imrana, W/o Mubeen R/o** H.No. 1048, Kheer Wala Falak, Chitli Qabar, Jama Masjid, Delhi has been missing since 11.07.2019 at about 06:00 a.m. from her residence. In this regard a **DD No. 65A, dated 12.07.2019, has been lodged at P.S. Chandni Mahal, Delhi.** Sincere efforts have been made by the local police to trace out the missing female but no clue has come to light so far. The description of the missing female is as under:

Imrana

Name: Imrana, **Gender:** Female, **Age:** About 36 years, **Height:** About 5'2", **Complexion:** Fair, **Face:** Round, **Built:** Fat, **Wearing:** Suit-Salwar, Black colour Burkha and Hawai Slippers in Feet.

If anyone has any information regarding this missing female, kindly inform SHO/ Chandni Mahal, Delhi.

E-mail : cic@cbi.gov.in
Ph.: 011-24368638, 24368641
Fax : 011-24368639

SHO
P.S. Chandni Mahal, Delhi
DP/6458/CD/19 Ph. No.: 011-23279338, 23271751, 23263967

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन सूचना
ओ०ए० संख्या 132 वर्ष 2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय–समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीड्योर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 396 दिनांक: 19.07.2019

सेवा में, **स्टेट बैंक ऑफ बनाम लाईफ लाईन रेमीडेज एवं अन्य**

1. मैसर्स लाईफ लाइन रेमीडेज, प्रोपराइटर प्रियंका सैनी, निवासी 63ए, अग्रवाल मार्केट, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0
2. प्रियंका सैनी, पत्नी अनिल कुमार सैनी, निवासी 166 / 18, नालापार, भारतीय कॉलोनी, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0
3. अनिल कुमार सैनी, पुत्र जयपाल सिंह, निवासी 166 / 18, नालापार, भारतीय कॉलोनी, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0

सूचित हो कि **ओए संख्या 132 / 2019,** जो ऋण वसूली अधिकरण आवेदक बैंक में लम्बित था, यह कि, माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19(4) के अधीन आपके विरुद्ध **रु0 23,01,932/–** की वसूली हेतु सम्मन / नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है एवं माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **17.07.2019** को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 **29.08.2019** को 10:30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

सूचित हो कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 19, जुलाई, 2019 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

स्टरलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः ए–1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
CIN:L37200DL2008PLC174911, ई–मेलः info@starlit-group.net, वेबसाईटः http:www.starlitpower.com
फोनः +91–1126102570, 46027970, 46037870

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1)(ए) के साथ पठित विनियमन 29 (1)(ए) के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को 3.00 बजे अप. में ए–1/20, एलजीएफ सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 में आयोजित की जोयगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.starlitpower.com तथा साथ ही स्टॉफ एक्सचैंज की वेबसाईट https://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

''कम्पनी के निदेशकों, प्रवर्तकों, पदनामित कर्मचारियों तथा संबंधित व्यक्तियों तथा कम्पनी की मैटेरियल सहायकों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये स्टरलिट संहिता'' के अनुपालन में ट्रेडिंग बिण्डो बंद रहने की अवधि 1 जुलाई, 2019 से शुरु हो गई है तथा उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के 48 घंटे बाद समाप्त होगी।

स्टारलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
नई दिल्ली लवण रहेजा
22.7.2019 कम्पनी सचिव
एम नं. 55438

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009, शाखा कार्यालयः एचडीएफसी बैंक, 1 ला, 3 रा पार्क स्ट्रीट, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, एमआई रोड, जयपुर

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक तथा गारन्टरों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय–वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

1. **ऋणधारक एवं सह–ऋणधारकों का नामः** डंगयाच इन्फ्रा लि., 705–706 बृज अनुकम्पा टावर, अशोक मार्ग सी स्कीम जयपुर–302001, तथा साथ ही प्लॉट नं. 134, गोम डिफेंस, वैशाली नगर, जयपुर–302021, राधा डंगयाच, महेश डंगयाच, मुदित डंगयाच, निहाल डंगयाच, रमेश डंगयाच, प्लॉट नं. 134, गोम डिफेंस, वैशाली नगर, जयपुर–302021, तथा साथ हीः फ्लैट नं. 805, माधव विलास, अपार्टमेन्ट, माधो सिंह सर्किल बाणी पार्क, जयपुर–302016, महेश डंगयाच, बी 5, वार्ड एन 36, सेन कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के निकट बाणीपार्क, जयपुर–302016; ऋण खाता नं. 1616884; ऋण राशिः रु. 33001960 (रुपये तीन करोड़ तीस लाख एक हजार नौ सौ साठ मात्र); मांग सूचना तिथिः 10.7.2019; मांग की गई राशिः रु. 32041561/– (रुपये तीन करोड़ बीस लाख इकतालिस हजार पाँच सौ इकसठ मात्र) 5 जुलाई 2019 को तथा उसके साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज 5 जुलाई, 2019 को बकाया राशि का बाईफर्केशन; एनपीए की तिथिः 5.5.2019; प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1ः रमेश डंगयाच के नाम में दर्ज प्लॉट नं. 134, गोम डिफेंस, वैशाली नगर, जयपुर, जयपुर–302021, माप 408.39 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा, पंजीकृत दस्तावेजः उप रजिस्ट्रार–जयपुर V के कार्यालय में क्रम सं. 201603019108027 में पेज नं. 26 पर बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 937; सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रोड 40, दक्षिणः प्लॉट नं. 133, पूर्वः रोड 30, पश्चिमः प्लॉट नं. 269

अतएव, आप ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः श्री प्रशांत राठौर, फोनः 9928818000

हस्ता./–
स्थानः मुम्बई एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए
तिथिः 22.7.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
सेक्टर 16, रोहिणी शाखा
अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर – 16, रोहिणी, नई दिल्ली –110086, फो. सं. 011–27573662

कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें **कर्जदार** से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि तथा उस पर आगे ब्याज, का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार(रों) राशि चुकाने में विफल रहे हैं, कर्जदार(रों) तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **18 जुलाई, 2019** को प्राप्त कर लिया है।

एतदद्वारा, कर्जदार(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नीचे उल्लिखित राशि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सम्पत्तियों का विवरण
श्री संदीप साजन, श्री हरेंद्र कुमार महाराज	24.05.2018 रु. 15,62,865/– + साथ में ब्याज	संदीप साजन के नाम पर फ्लैट नंबर जी –1, बी –1 / 120, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201005
श्रीमती कामिनी गुप्ता, श्री राजेश गुप्ता, श्री चंदर प्रकाश	27.06.2017 रु. 18,83,909.02/– + साथ में ब्याज	श्रीमती कामिनी गुप्ता के नाम पर फ्लैट नंबर II / 164, अपर ग्राउंड फ्लोर, छोटा गुरुद्वारा वली गली, जैन साड़ी के पास, तेलिवाड़ा, शाहदरा, नई दिल्ली– 110032
श्रीमती बबिता, श्री पंकज कुमार और श्री सुनील कुमार	21.01.2016 रु. 29,14,847/– + साथ में ब्याज	श्रीमती बबीता के नाम पर फ्लैट नंबर जी –1, बी –1 / 144, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201005

तिथिः 18/07/2019 (प्राधिकृत अधिकारी) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH
हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाषः 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइटः www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम / ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री प्रवीण कुमार सक्सेना ऋण खाता सं. 613983579	31 अक्टूबर, 2018* को बकाया रु. 28,65,005/–, (केवल अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार और पांच रुपए)	18 दिसम्बर, 2018	18 जुलाई 2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. 1407, 13वीं मंजिल, टॉवर ए, एसेंट बिल्डटेक प्राइवेट लि. द्वारा विकसित सत्या विले डे ग्रुप हाउसिंग, एनएच–58, 6 लेन एक्सप्रेसवे, राजनगर एक्सटैंशन, गाजियाबाद भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ।

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के रूप में आगे ब्याज के साथ।

तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार / गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे। विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित कथित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से उपरोक्त वर्णित परिसम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **भौतिक कब्जा** ले लिया है।

विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह से लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अधीन होगा।

प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियां) वापस लेने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तैयार पंचनामा और बनाई गई इन्वेंट्री की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। कथित कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों से आग्रह है कि संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर लें।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
स्थानः दिल्ली ह0/–
दिनांकः 23.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी
पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड–380009 **शाखा कार्यालयः** एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., 3, पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान–3002001

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 64) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/ सह–ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह–ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/सह–ऋणधारकों/गारन्टर, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभूति का विवरण, मांग सूचना तिथि, मांग की गई राशि तथा कब्जा की तिथि का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं. 1.	1) ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) मांग सूचना तिथि; 6) आईएनआर में मांग की गई राशि; 7) कब्जा की तिथि
	मै. मोहम्मद असलम एंड सन्स, सी–91, न्यू सब्जी मंडी कोटा बी–1 कोटा सिटी–324006, शैखू शाह, एच. नं. 30, शक्ति विहार रामचन्द्रपुरा, कोटा–324007, मोह. असलम चौबदारों के मंदिर के पास गिरजाघर के पीछे बृजलाल पुरा, कोटा 324006 तथा साथ हीः खसरा नं. 253, प्लॉट नं. 30, शक्ति विहार, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लडपुरा, जिला कोटा–324007, यास्मीन यू, मकान सं. 13, चौकदारों के मंदिर के पास बृजलाल पुरा, कोटा–324006, मोहम्मद शाहरुख, 30 होली फैमिली हॉस्पीटल के पीछे शक्ति विहार 1ला बोरखेरा, कोटा–324001, मै. मोहम्मद असलम एंड सन्स, खसरा नं. 253, प्लॉट नं. 30, शक्ति विहार, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लडपुरा, जिला कोटा–324007, मै. मोह. सलम एंड सन्स, शॉप नं. 91, ब्लॉक नं. सी, निकट एयरोड्रॉम सर्किल न्यू धान मंडी कृषि, उपज मंडी समिति कोटा, तहसील लडपुरा जिला कोटा–324001, **ऋण खाता सं.: 2957499 तथा 1576219: ऋण राशिः** रु. 2145106 (रुपये इक्कीस लाख पैंतालिस हजार एक सौ छः मात्र) ऋण खाता संख्या 2957499 के द्वारा तथा रु 8160000 (रुपये इक्यासी लाख साठ हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 1576219 के द्वाराः 4) **प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1ः** मोहम्मद असलम के नाम में खसरा नं. 253, प्लॉट नं. 30, शक्ति विहार ग्राम रामचन्द्र पुरा, तहसील लडपुरा, जिला कोटा–324001, माप 183.33 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। पंजीकरण दस्तावेजः सब–रजिस्ट्रार–कोटा के कार्यालय में बुक नं.–1, क्रम सं. 2012005973, वॉल्यूम नं. 1137, पेज नं. 78, तिथि 30.10.2012; **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 25 एवं 26; दक्षिणः प्लॉट नं. 31; **सम्पत्ति सं. 2ः** प्रॉप्राईटर असलम के माध्यम से मै. मोहम्मद असलम एंड सन्स के नाम में दर्ज शॉप नं. 91, ब्लॉक नं.–सी, निकट एयरोड्रॉम सर्किल, न्यू धान मंडी कृषि उपज मंडी समिति, कोटा, तहसील लडपुरा, जिला कोटा–324001, माप 348.50 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। पंजीकरण दस्तावेजः सब–रजिस्ट्रार–कोटा के कार्यालय में बुक नं. 1, क्रम सं. 2005003969, वॉल्यूम नं. 958, पेज नं. 111, तिथि 24.12.2005; **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः रोडः पश्चिमः अन्य दुकान, उत्तरः दुकान सं. 92, दक्षिणः दुकान सं. 90; 5) **मांग सूचना की तिथिः** 14.02.2019; 6) **मांग की गई राशि (आईएनआर में):** दोनों खाताओं में रु. 9988809 (रुपये निन्यानवे लाख अठासी हजार आठ सौ नौ मात्र) 7 फरवरी, 2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज; 7) कब्जा की तिथिः 19.7.2019

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करेंः श्री प्रशांत राठौरः 9928818000, एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, 3, पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान–3002001

हस्ता./–
स्थानः जयपुर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये
तिथिः 22.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी

कामयाबी की उड़ान

भारत ने सोमवार को चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण को अंजाम देकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगा दी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और देश के दूसरे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि चंद्रयान-2 मिशन की सफलता ने भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके यान चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरने के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पिछले हफ्ते अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जब चंद्रयान-2 अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रवाना नहीं हो पाया था तो इस घटना को भारत के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। लेकिन यह ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं थी जिसे भारत के चंद्रयान-2 मिशन की असफलता के रूप में देखा जाता। चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट 'बाहुबलि' में ईंधन भरते समय रिसाव का पता चल गया था, जिस वजह से इसका प्रक्षेपण टालना पड़ा था। अब चंद्रयान-2 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है और सत्रह दिन बाद यह चंद्रमा की कक्षा के पथ पर बढ़ेगा।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने हमेशा से अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। चंद्रमा शुरू से ही वैज्ञानिकों के लिए गहरी दिलचस्पी और शोध का विषय रहा है। माना जाता है कि धरती की उत्पत्ति से जुड़े रहस्य चांद में छिपे हैं। दुनिया में अब तक जितने भी अंतरिक्ष मिशन दूसरे ग्रहों की ओर भेजे गए हैं, उनका मकसद ब्रह्मांड के बारे में आंकड़े और तस्वीरें जुटाना रहा है, ताकि सृष्टि के रहस्यों पर से परदा उठ सके। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने पिछले तीन-चार दशकों में जिस तेजी से तरक्की है, चंद्रयान और मंगल मिशन जैसे सफल अभियान उसी का परिणाम हैं। चंद्रयान मिशन भारत का पुराना मिशन रहा है और 2008 में भारत ने जो चंद्रयान-1 चांद की कक्षा में भेजा था, उसी से पहली बार धरती के इस उपग्रह पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिले थे।

भारत का चंद्रयान-2 मिशन सबसे महत्त्वपूर्ण और जटिल इसलिए भी है कि इस यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एटकेन बेसिन नामक जिस स्थान पर उतरना है वहां आज तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा है। मौसम के लिहाज से भी यह स्थान काफी चुनौती भरा है। इसके अलावा चंद्रमा पर धूल के गुबार भी बड़ी समस्या हैं। ऐसे में चंद्रयान-2 के लैंडर और रोवर में जो उपकरण लगे हैं, वे सही से काम करते रहें, वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी चुनौती है। चंद्रयान-2 मिशन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसके निर्माण में ज्यादातर योगदान भारतीय संस्थानों और कंपनियों का ही रहा है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ा। रोवर आइआइटी-कानपुर में विकसित किया गया है जिसे पानी और खनिजों के बारे में जानकारी जुटानी है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव छठे दशक की शुरुआत में पड़ी थी जब 1963 में पहली बार थुंबा से रॉकेट छोड़ा गया था और उस रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल तक हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर लाद कर ले गए थे। तब कोई सुविधाएं नहीं थीं। इसरो का गठन 1969 में हुआ। सच्चाई तो यह है कि हमारे वैज्ञानिकों और विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों को पैसे की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान-2 जैसे मिशन कामयाब हो रहे हैं तो इस श्रेय का हकदार सिर्फ हमारे देश का वैज्ञानिक समुदाय है।

समांतर डिग्री

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से यह बहस जारी है कि अगर कोई विद्यार्थी एक सत्र में दो पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए! लेकिन अब तक इसे एक व्यावहारिक हल नहीं माना गया है और फिलहाल नियमों के मुताबिक एक विद्यार्थी एक शैक्षिक सत्र में किसी एक ही पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर सकता है और उसी की डिग्री वैध मानी जाएगी। उसे पूरा करने के बाद ही वह किसी अन्य पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर उसकी डिग्री ले सकता है। मगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अब एक बार फिर इस विचार की व्यावहारिकता का अध्ययन कर रहा है कि विद्यार्थी एक ही या विभिन्न विश्वविद्यालयों से एक साथ अलग-अलग डिग्रियां हासिल कर सकते हैं या नहीं! इस संबंध में यूजीसी ने विश्वविद्यालय या अलग-अलग विश्वविद्यालयों से पत्राचार, ऑनलाइन या अंशकालिक तरीके से एक साथ दो डिग्रियों की पढ़ाई करने के मुद्दे का परीक्षण करने के लिए एक समिति बनाई है। अब देखना है कि इस समिति के निष्कर्ष क्या सामने आते हैं।

गौरतलब है कि करीब सात साल पहले यानी 2012 में यूजीसी ने एक समिति बनाई थी, जिसमें इस मसले पर विचार-विमर्श हुआ था। लेकिन कई स्तरों पर इस विचार को अव्यावहारिक पाया गया था और तब इसे खारिज कर दिया गया था। करीब डेढ़ साल पहले यूजीसी ने साफतौर पर कहा था कि इस बारे में विशेषज्ञों की जो राय आई है, वह विद्यार्थियों को एक साथ दो डिग्री की पढ़ाई करने देने की इजाजत के विचार का समर्थन नहीं करती है। बल्कि अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि किसी विद्यार्थी ने या तो जानकारी के अभाव में या फिर चोरी-छिपे एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रमों में दाखिला ले लिया, लेकिन बाद में किसी तरह की अड़चन खड़ी होने और जांच होने पर दोनों डिग्रियों की वैधता कठघरे में खड़ी हो गई। इससे इतर 2012 में ही हैदराबाद के तत्कालीन कुलपति फुरकान कमर की अगुआई वाली समिति ने सिफारिश की थी कि नियमित तरीके के तहत भी डिग्री कार्यक्रम में दाखिला पाने वाले विद्यार्थी को उसी या अन्य विश्वविद्यालय से मुक्त या दूरस्थ शिक्षा के जरिए अधिकतम एक अतिरिक्त डिग्री की पढ़ाई की इजाजत दी सकती है।

यानी इस मसले पर पिछले कई सालों से दो समांतर पक्ष रहे हैं। जहां इसे संभव बताने वाले विद्यार्थियों की सुविधा और क्षमता के मद्देनजर उन्हें यह सुविधा मुहैया कराने की वकालत करते रहे हैं, वहीं इसकी व्यावहारिकता को मुश्किल मानने वालों का पक्ष यह है कि एक साथ दो पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के दौरान शैक्षिक संस्थान में आने-जाने के अलावा प्रशासनिक और अकादमिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सच यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में समांतर दो डिग्रियां हासिल करने को वक्त की जरूरत के तौर पर देखा जाने लगा है। यानी एक विद्यार्थी अगर अपनी जरूरतों के मद्देनजर या सक्षम होने के नाते एक साथ सुविधा से दो पाठ्यक्रमों की डिग्रियां हासिल करने की कोशिश करना चाहता है तो उसे यह सुविधा मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी विद्यार्थी ने कोई पेशेवर पाठ्यक्रम की डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन उसके पास स्नातक का प्रमाण-पत्र नहीं होता। नतीजतन, हुनर होने के बावजूद उसका नुकसान हो जाता है और स्नातक के लिए उसे अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरी ओर, कोई विद्यार्थी स्नातक के साथ कोई पेशेवर पाठ्यक्रम भी पूरा करता है तो उसका काफी कीमती वक्त बच सकता है। इसी हकीकत के मद्देनजर शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं ने दोहरी डिग्री शिक्षा व्यवस्था की वकालत की है। लेकिन अब यह देखने की बात होगी कि यूजीसी की ओर से गठित समिति किस निष्कर्ष पर पहुंचती है।

कल्पमेधा

सच्चा प्रेम नाप-तौल नहीं करता,
वह सिर्फ दिया जाता है।
-मदर टेरेसा

किसान और भूमि कानून

भगवती प्रसाद डोभाल

देश को एक नई भूमि व्यवस्था की जरूरत है ताकि बढ़ती आबादी की खाद्यान्न जरूरतें पूरी की जा सकें और खाद्यान्न में हम हमेशा आत्मनिर्भर बने रहें। इसके लिए देश में भूमि व्यवस्था का समान कानून हो तो किसानों की समस्याएं कम की जा सकती हैं। यह किसी पहाड़ी या मैदानी प्रांत का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरे देश के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है।

देश में जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ परिवार भी बंटते चले गए। जो कभी एक परिवार था, दो-तीन पीढ़ियों के बाद वह कई परिवारों में बंट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवारों के बीच जमीन का बंटवारा भी तेजी से होने लगा। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह सामने आया कि खेती करने में कठिनाई आने लगी और भूमि के टुकड़े-टुकड़े होने से उपज भी प्रभावित होने लगी।

मैदानी हिस्सों में यह समस्या विकराल नहीं हुई है, पर आने वाले समय में यह समस्या बढ़ेगी। इसलिए गांव में हर परिवार खेती पर आश्रित नहीं रह पाएगा। इस आने वाली समस्या पर नीति निर्माताओं को ठोस दिशा-निर्देश तय करने होंगे, ताकि उन पर सही अमल हो सके। विकसित देशों ने इस समस्या के हल में एक निश्चित प्रतिशत को ही खेती करने का काम सौंपा है। जबकि हमारे यहां रोजगार के ऐसे साधन नहीं जुटे हैं, जिनके हिसाब से खेती करने के लिए जनसंख्या का निश्चित अनुपात हो और बाकी अन्य धंधों से जीवनयापन कर सकें। यही समस्या है जो आए दिन किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है।

यह समस्या पूरे भारत की है। किसान आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। जिन संसाधनों की खेती करने में जरूरत पड़ती है, उन्हीं को जुटाते हुए अच्छी उपज की आस लिए किसान कर्ज पर कर्ज लेता है, यह सोच कर कि फसल अच्छी होगी तो कर्ज निपटा देगा। लेकिन मौसम की मार या अन्य कारणों से उपज इतनी नहीं हो पाती जिससे बैंकों का कर्ज चुका सके। साथ ही, बाजार किसान के हाथ में नहीं होता, बिचौलिए ही अपनी जेबें भरते रहते हैं। किसान को उसका समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पाता। यह परेशानी पूरे देश के किसानों की है। दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की भूमि कहीं समतल तो कहीं सीढ़ीदार होने के कारण टुकड़ों-टुकड़ों में बंटने से उन्हें कोई आमद नहीं हो पा रही है। एक जगह पर समुचित भूमि के अभाव में पैदावार नहीं हो पाती है। तराई के क्षेत्रों को छोड़ कर, क्योंकि उन स्थानों पर खेत इतनी तेजी से नहीं विभाजित हुए हैं जितनी तेजी से पहाड़ी इलाकों में हुए हैं। कुछ उद्यानों को छोड़ कर जैसे चंबा मसूरी का फ्रूट बेल्ट लोगों को बाद में आबंटित हुआ था, इसी तर्ज पर और फल-पट्टियां हैं जो एक ही किसान के पास होने से उसकी आजीविका का साधन है। लेकिन उनकी देखरेख भी सही नहीं है।

इसी संदर्भ में पिछले दिनों उत्तराखंड में एक नया भूमि कानून पास हुआ जो वहां के भूमि प्रयोग को प्रभावित करेगा। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में बदलाव किया गया है। इस बदलाव से उत्तराखंड का किसान अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। कारण यह है कि उद्योगों या किसी परियोजना के लिए उसकी जमीन का अधिग्रहण औने-पौने दामों में हो सकता है।

इस कानून के अंतर्गत धारा-143, जो कृषि भूमि को गैर कृषि के लिए अधिकृत की जा सकती है, को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन से किसानों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जिस खेत का इस्तेमाल वे खेती के लिए कर रहे थे, उसको अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया जा सकता है, यानी उपज देने वाली जमीन अन्य उद्योग-धंधों को खोलने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह धारा-154 पहले साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि को प्रदेश में खरीदने से रोकती है। अब इसमें संशोधन करके उप धारा-2 जोड़ने से पर्वतीय क्षेत्र में भूमि की खरीद के लिए कोई सीमा नहीं होगी। यानी किसान अपने खेतों से उद्योगों के नाम पर बेदखल हो सकता है।

उत्तराखंड जब बना था, तब बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने की आशंका को देखते हुए तत्कालीन सरकार साल 2002 में हिमाचल के भूमि कानून के अनुसार अध्यादेश लाई थी। बाद में सरकार ने बहुगुणा समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने तत्कालीन अध्यादेश में सम्मिलित प्रावधानों की समीक्षा कर उसमें जुड़े कठोर नियमों को सरल कर दिया था। इसके कारण उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में बेरोकटोक भूमि व्यापार का धंधा चल निकला। इसके बावजूद सरकार ने एक व्यवस्था कर दी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति मूल अधिनियम धारा-129 के तहत जमीन का खातेदार न हो, वह बिना अनुमति के पांच सौ वर्गमीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता है। बाद में इसकी सीमा घटा कर ढाई सौ वर्गमीटर तय कर दी गई। अब नए संशोधनों के बाद बाहरी व्यक्ति के लिए भूमि खरीदने के लिए कोई रुकावट नहीं है।

पहाड़ में कम जोत वाला व्यक्ति आर्थिक दबाव में आनन-फानन में भूमिहीन हो सकता है। अब भूमि की खरीद-फरोख्त में कोई सीमा न होने से गरीब किसान मजबूरन भू-माफियाओं के चंगुल में फंस सकता है। यह काम इस कानून के आने से पहले भी चोरी-छिपे होता आ रहा है। स्थानीय किसान या उत्तराखंड के निवासी को भागीदार बना कर कई परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। उत्तराखंड को बने हुए अठारह साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद इसके विकास के लिए कोई ठोस योजना न बनी और न उसकी तैयारी है। इस कारण उत्तराखंड विकास की उस तस्वीर को पेश नहीं कर पाया, जिसकी वहां के लोगों को जरूरत है।

इसका नतीजा यह हुआ है कि कल तक जो खेत अन्न उपजाते थे, वे जंगल बनते जा रहे हैं। इसलिए रोजी-रोटी की तलाश में लोग गांव छोड़ कर शहरों का रुख कर रहे हैं। इस पलायन से पहाड़ खाली हो रहे हैं। जो अभी पहाड़ों में रुके हैं वे जंगली जानवरों की आबादी में इजाफे से परेशान हैं। जंगली जानवर खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए पहाड़ों के खेतों की चकबंदी की बहुत जरूरत है। यदि एक परिवार के खेत एक जगह पर मिल जाएं तो वे उन खेतों में पैदा होने वाली फसलों की सुरक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। उन्हें मीलों दूर दूसरे खेत में नहीं जाना पड़ेगा। अभी होता यह है कि जो परिवार गांव में रह रहा है और खेती कर रहा है, उसे अपने एक दूसरे खेत में जाने में ही पूरा दिन खोना पड़ता है, वह अच्छी तरह से खेतों में पैदा होने वाली फसल की देखभाल आसानी से नहीं कर पाता।

एक और उपाय है पहाड़ों को हरा-भरा रखने का, जिस पर भी गंभीरता से विचार कर लागू करने की जरूरत है। पूरे पर्वतीय प्रदेश में सिंचाई सुविधा सुलभ करने की जरूरत है। जब इजराइल अपनी बंजर भूमि को हरा-भरा कर सकता है, तब हम क्यों नहीं कर सकते! लगातार पहाड़ी दरियाओं, प्राकृतिक स्रोतों और झरनों से पानी बहता जाता है, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है। खेती की सिंचाई के लिए नई-नई तकनीक की जरूरत है। देश के खाद्यान्न भंडारण के लिए जरूरी है कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए गंभीर उपायों की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि कृषि भूमि पर कोई उद्योग खड़ा न किया जाए, ताकि कृषि की उपज प्रभावित न हो।

देश को एक नई भूमि व्यवस्था की जरूरत है, ताकि बढ़ती आबादी की खाद्यान्न जरूरतें पूरी की जा सकें और खाद्यान्न में हम हमेशा आत्मनिर्भर बने रहें। इसके लिए देश में भूमि व्यवस्था का समान कानून हो तो किसानों की समस्याएं कम की जा सकती हैं। यह किसी पहाड़ी या मैदानी प्रांत का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरे देश के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है।

बर्तन पर नाम

अमित चमड़िया

दुनिया मेरे आगे

जब हम सामाजिक सहयोग और एक-दूसरे पर निर्भरता के समाज की बात करते हैं तो हमें आज भी ग्रामीण इलाकों का ही हवाला देना पड़ता है। एक संदर्भ आस-पड़ोस के लोगों के बीच बर्तनों के आदान-प्रदान का रहा है। लेकिन अब समाज के उस स्वरूप में बदलाव आ रहा है। मां अब बर्तन पर बाऊजी का नाम नहीं लिखवाती हैं, क्योंकि अब हमारे घर के बर्तन सिर्फ 'हमारे' हैं। मां बताती हैं कि पहले आस-पड़ोस और घर के पास में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां कुछ खाने-पीने के सामान भेजना और उनके यहां से इसी तरह आना आम बात थी। कभी किसी ने चटपटी सब्जी बना ली या किसी ने अच्छी मिठाई बना ली तो वह पड़ोस में या नजदीक में रहने वाले सगे-संबंधी या फिर पड़ोसी को जरूर इसका स्वाद चखाता था।

संयुक्त परिवार के कई छोटे परिवार में बंट जाने से जब लोग एक ही मकान में अलग-अलग रहने लगते थे तो उन लोगों के बीच भी भोजन का आदान-प्रदान होना सामान्य बात होती थी। इससे बर्तन के एक दूसरे के यहां के बर्तनों में मिल जाने की संभावना ज्यादा रहती थी। दरअसल, कई बार आसपास के अनेक घरों में बाजार से खरीदे गए बर्तन एक ही तरह के होते थे। ऐसी स्थिति में बर्तनों की एक ही शक्ल होने से उन पर गुदे हुए नाम ही उनकी पहचान होते थे। समारोह आदि में भी घर के बर्तन एक-दूसरे की जरूरत में काम आते थे। भारतीय परिवार चूंकि ज्यादातर पुरुष प्रधान होते हैं, इसलिए बर्तन पर किसी घर के मुखिया का नाम लिखवाने की परंपरा रही है।

मेरे एक मित्र बताते हैं कि उनके यहां घर के बड़े बर्तन और चौकी-खटिया आदि पर लाल या हरे रंग के विशिष्ट निशान लगा दिए जाते थे, ताकि शादी या अन्य बड़े समारोह में जब ये सामान दूसरे घरों में जाते थे तो सामान मंगाने वाले को यह पहचानने में आसानी होती थी कि फलां चीज किसके घर से आई है। एक अन्य मित्र कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में आज भी लोग किसी आयोजन पर मेरे घर से बर्तन ले जाते हैं। इसलिए हमारे घर के बर्तन को भी एक पहचान मिली हुई है रंगों के निशान से और पिताजी के नाम से।

मगर नई पीढ़ी बर्तन को पहचान देने की परंपरा पर थोड़ा आश्चर्य करती है। उसे यह बड़ा अटपटा लगता है जब कोई बर्तन पर नाम गुदाता है। अब गांव में भी शादी या अन्य किसी समारोह के लिए जरूरत के बर्तन भाड़े पर मिल जाते हैं। लोग भाड़े के बर्तन लेने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। इसलिए भाड़े पर बर्तन देने की दुकान भी हर जगह दिखाई पड़ जाती है। आपस में खाने-पीने की चीजों का आदान-प्रदान भी लगभग खत्म हो गया है। अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो लोग 'डिस्पोजल' यानी एक ही बार प्रयोग में आने वाले बर्तन से काम चलाते हैं। यों ये 'डिस्पोजल' बर्तन पर्यावरण के लिए ठीक नहीं हैं, लेकिन बाजार ने इन्हें हमारी सुविधा का हवाला देते हुए आवश्यक बना दिया है। इसके बीच वर्तमान में समाज के 'विकास' की जो दिशा है, उसमें आपसी मेलजोल का भाव कम नजर आता है।

समाज में बर्तन पर नाम लिखवाने की एक और वजह मिलती है। जब घर के किसी बड़े-बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस समय लोगों को स्मृति चिह्न के रूप में या दान स्वरूप बर्तन दिए जाते हैं। उस बर्तन पर भी मरने वाले का नाम गुदा रहता है, ताकि उसे लंबे समय तक याद रखा जा सके। यह परंपरा आज भी भारत के कुछ मध्यवर्गीय परिवारों में जारी है, लेकिन अब यह सामूहिकता का बोध नहीं कराती है।

राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले समुदायों के बीच बर्तन पर नाम लिखवाने का चलन ज्यादा है क्योंकि वे मारवाड़ क्षेत्र से जिस भी नई जगह पर बसने गए, वहां संगठित होकर रहने लगे। उनमें आपस में मेलजोल ज्यादा होने लगा। फलस्वरूप खाने-पीने की चीजों का आदान-प्रदान भी होने लगा। बर्तन के एक-दूसरे के यहां मिल जाने या खो जाने के डर से लोग अपने-अपने बर्तन पर घर के मुखिया का नाम लिखवाने लगे, ताकि बर्तन पहचानने में आसानी रहे। अब इस समुदाय के लोग भी समाज के 'विकास' की दिशा के साथ चल रहे हैं, जिसके चलते अब इन्हें भी नए खरीदे बर्तन पर नाम लिखवाने के जरूरत महसूस नहीं होती है।

भारतीय समाज में कुछ परंपराएं ऐसी रही हैं, जिनके गुण-दोष पर चर्चा हो सकती है, पर साथ ही उनमें से कई हमारे संजीदा होने का प्रमाण भी देती हैं और एक सुखद अहसास कराती है। बर्तन पर नाम लिखवाने का चलन भी उनमें से एक है।

जल और कल

जीवन के लिए सबसे अहम प्राकृतिक संसाधन जल है। आगामी दशकों में यह विश्व के कई क्षेत्रों में गंभीर अभाव की स्थिति में चला जाएगा। हालांकि जल पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर भी यह समान रूप से वितरित नहीं है। अक्षांश में परिवर्तन, वर्षा के तरीके (पैटर्न), स्थलाकृति आदि इसकी उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। जल एक ऐसी संपदा है जिसका किसी तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से, जब जी चाहे तब उत्पादन या संचयन नहीं हो सकता। मूल रूप से पृथ्वी पर कुल मिलाकर अलवण जल और समुद्री जल की मात्रा स्थायी रूप से तय है।

जो अलवण जल हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी है, उसकी मात्रा पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी की कुल मात्रा की केवल 2.7 फीसद है। इस दो प्रतिशत का लगभग सारा भाग बर्फ की चोटियों, हिमनदों (ग्लेशियरों) और बादलों के रूप में पाया जाता है। अलवण जल का शेष बचा हुआ थोड़ा-सा भाग झीलों और भूमिगत स्रोतों में सदियों से एकत्रित है। वर्षा का लगभग 85 फीसद जल प्रत्यक्ष रूप से समुद्र में गिरता है और भूमि में कभी नहीं पहुंच पाता है। वर्षा का जो शेष भाग भूमि पर गिरता है, वह झीलों और कुओं को भर देता है और नदियों के प्रवाह को बढ़ाता रहता है। समुद्री जल के प्रत्येक 50,000 ग्राम के सामने सिर्फ एक ग्राम अलवण जल मानव जाति को उपलब्ध है। इस कारण जल एक दुर्लभ और अनमोल संसाधन के रूप में सामने आता है।

भारत में स्थिति अभी भी अत्यंत खराब है। हालांकि भारत विश्व के सबसे आर्द्र देशों में से एक है पर इसमें जल का वितरण समय और स्थान के आधार पर बहुत असमान है। हमारे यहां औसतन 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो संसार में किसी भी समान आकार के देश के मुकाबले में सबसे अधिक है। पर इस बड़ी मात्रा की वर्षा का वितरण असमान है। उदाहरण के लिए, एक वर्ष में औसतन वर्षा के दिनों की संख्या केवल 40 है इसलिए वर्ष का शेष लंबा भाग सूखा रहता है। इसके अलावा, जहां उत्तर-पूर्व के कुछ क्षेत्रों में वर्षा तेरह मीटर तक होती है, वहीं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती।

इससे स्पष्ट है कि वर्षा के इस असमान वितरण के कारण देश के कई भागों में पानी का भीषण अभाव रहता है। इसके मद्देनजर जहां तक हो सकेहमारे लिए जल का व्यापक संरक्षण बहुत जरूरी है।

● *रितेश कुमार उपाध्याय, संत कबीर नगर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हिमा की उपलब्धि

डिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 'गोल्डन गर्ल' हिमा दास ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदकों की बौछार कर दी। उन्होंने पिछले पंद्रह दिनों के भीतर अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण पदक जीत कर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। उन्नीस वर्षीय हिमा इतने कम समय में इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल कर देश को गौरवान्वित किया है। यदि उन्हें 'हवा परी' की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने देश के प्रति अपनी संवेदनाओं और भावना का इजहार करते हुए अपना आधा वेतन असम बाढ़ राहत कोष में भी देने का ऐलान किया है। संघर्षों और चुनौतियों से भरा उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरक है। पूरे भारत को अपनी इस जांबाज खिलाड़ी पर नाज है।

● *संस्कृति चौधरी, सहरसा, बिहार*

जाधव को इंसाफ

कुलभूषण जाधव को लेकर हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला भारत के पक्ष में आना साबित करता है कि पाकिस्तान में न्यायतंत्र सेना के हाथ की कठपुतली है। पाकिस्तान ने निर्दोष जाधव को अपनी कैद में रखते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उसमें भारत के लिए तब और बड़ी खुशी की बात होनी थी जब जाधव को रिहा करने का आदेश पाकिस्तान को दिया जाता। खैर, अब देखना होगा कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस फैसले के बाद अपनी घटिया और मानवता विरोधी कम करते हैं या फिर ढाक के तीन पात का अनुसरण करते हुए अपने सत्ताधारियों और सेना पर दबाव बना कर भारत के प्रति जहर उगलने के लिए उकसाते हैं।

भारत को इस बात का भी खयाल रखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में आकर अपनी नापाक हरकतों में तेजी ला सकता है। भारत को पाक जेलों में बंद भारतीयों पर भी कड़ी नजर रखने के उपाय करने होंगे, यह न हो पाकिस्तान जाधव के फैसले की बौखलाहट में आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करे। वैसे इमरान खान को चाहिए कि खुद ही समझदारी बरतते हुए जाधव मामले में विश्व में अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए उन्हें बिना किसी देरी और शर्त के रिहा करके भारत को सौंप दें। पर यह नामुमकिन लगता है क्योंकि इमरान खान भी तो वहां के कट्टरपंथियों और सेना के ही हाथों की कठपुतली हैं। ऐसे में यह भी संभव है कि पाकिस्तान नया पैंतरा अपना कर जाधव को फांसी का फैसला वापस ले ले। अंत में यह कहना उचित होगा कि जब तक पाकिस्तान के कट्टरपंथी भारत के प्रति अपनी घटिया मानसिकता नहीं बदलते, तब तक भारत-पाकिस्तान के रिश्ते मधुर नहीं हो सकते।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

समेकित विकास

दुनिया के कुल 130 करोड़ गरीबों में से आधे 18 साल से कम उम्र के हैं और उनमें भी दस साल से कम उम्र वाले बच्चों की तादाद लगभग एक तिहाई है। क्या इन नए आंकड़ों के मद्देनजर केंद्र सरकार अपनी आर्थिक विकास पर आधारित नीतियों की जगह समेकित विकास की नीति लाने की कोशिश करेगी? ऐसा करने का मतलब होगा किसी गांव या शहर की गरीब बस्ती में आय बढ़ाने के साथ ही बिजली, पानी, शिक्षा, रसोई गैस, अस्पताल आदि की सुविधा मुहैया कराना। हैरानी की बात है कि नई परिभाषा के तहत गरीबी केवल निर्धन, निम्न या निम्न-मध्य आय वाले देशों में ही नहीं, मध्यम आय वाले देशों में भी बड़ी संख्या में है। यानी 130 करोड़ में 88.6 करोड़ गरीब हैं। यह सरकारों के लिए संदेश है कि आय तो बढ़ाएं, लेकिन इससे बहुआयामी अभाव को भी कम करने के उपक्रम करें।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

जरा हट के

स्वीडन की सारा संजोस्ट्रॉम ने विश्व तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में अपनी तैराकी से पहले खुद पर पानी डालते हुए।

बोल

गैरकानूनी, अलौकिक प्रतिबंध ईरान और हमारे कई पड़ोसियों के सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।
–मोहम्मद जावेद जरीफ, ईरान के विदेश मंत्री

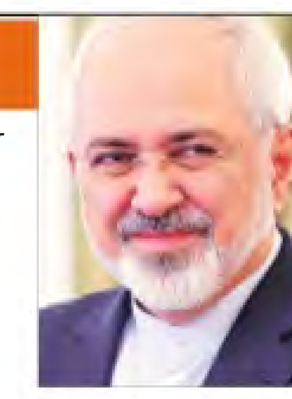

विवाद

यह हैं राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) जिन्होंने हमारे इतिहास में सबसे अधिक भ्रष्ट प्रशासन दिया है। वे हाल में चुनकर आईं चार सदस्यों पर नस्लवादी बयान दे रहे हैं, जो अश्वेत हैं। -ओमर, अमेरिकी सांसद

सम-सामयिक

हारमूज जलडमरूमध्य : वैश्विक गोलबंदी का नया अखाड़ा

जनसत्ता संवाद

हारमूज जलडमरूमध्य क्षेत्र या हारमूज की खाड़ी दुनिया का सबसे महत्त्वपूर्ण और सामरिक महत्त्व का समुद्री रास्ता है। ईरान और अमेरिका के बीच इन दिनों बढ़ रहे तनाव के कारण यह समुद्री नौवहन क्षेत्र चर्चा में है और दुनिया भर के देशों की निगाहें इस इलाके के घटनाक्रमों पर हैं। दरअसल, हारमूज जलडमरूमध्य क्षेत्र में हालात ज्यादा बिगड़े तो दुनिया भर में तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाएगा।

इसका संकेत पिछले महीने मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया। वे हमले से पीछे हट गए, लेकिन दुनिया भर में कच्चे तेल के बाजार में जबरदस्त उछाल आ गया था। अब शुक्रवार को अमेरिका ने दावा किया कि उसके युद्धपोत ने खाड़ी क्षेत्र में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया। दूसरी तरफ, उसी दिन ईरान ने हारमूज क्षेत्र में एक ब्रितानी तेल टैंकर 'स्टेना इंपरो' को जब्त कर लिया। इस जहाज के चालक दल के सदस्यों में 18 भारतीय हैं। उन्हें छुड़ाने के मिशन में भारत सरकार जुटी है। दरअसल, इसी महीने जिब्राल्टर में ब्रितानी सैन्य बलों ने एक ईरानी तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया था। माना जा रहा है कि इसी के बदले की कार्रवाई में ईरान ने ब्रितानी तेल टैंकर को पकड़ा।

इस तनाव की शुरुआत बीते साल हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर करने का ऐलान किया। समझौता तोड़ने के बाद ट्रंप ने बीते साल नवंबर में ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ा। ट्रंप ने ईरान को आतंकी राष्ट्र बताया। दूसरी ओर, ईरानी धर्म गुरु अयातोल्लाह खमेनई ने कहा कि हम अमेरिका पर न भरोसा करते हैं न करेंगे।

अमेरिका ने अपना युद्धपोत 'अब्राहम लिंकन' हारमूज की खाड़ी के पास भेज दिया, जिससे सैन्य गतिविधियां बढ़ीं। ईरान के द्वारा ब्रितानी तेल टैंकर को जब्त किए जाने के बाद ब्रिटेन और ईरान भी आमने-सामने आ गए हैं। इन हालात में भारत एक तो 'स्टेना इंपरो' के चालक दल के 18 सदस्यों को लेकर ईरान के संपर्क में है। दूसरा मोर्चा अर्थव्यवस्था का है। तेल की कीमतें स्थिर रहने से सरकार की सहूलियतें बनी रहेंगी। अगर जंग के हालात बनते हैं और कच्चे तेल के बाजार में खलबली देखी जाती है तो तेल के दाम बढ़ेंगे और ऐसे में सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा और इसका असर आम लोगों पर भी होगा। रेटिंग एजंसियों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतें अगर 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती हैं तो जीडीपी पर इसका 0.4 फीसद असर होता है और इससे चालू खाता घाटा 12 अरब डॉलर या इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है।

इन हालात के मद्देनजर भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से संपर्क किया है और तेल व एलपीजी की अबाध आपूर्ति का भरोसा मिला है। दरअसल, ईरान और यूएई के बीच संकरे समुद्री मार्ग (हारमूज जलडमरूमध्य) के रास्ते दुनिया के 20 फीसद कच्चे और परिशोधित तेल उत्पादों की आवाजाही होती है। इसी रास्ते से 25 फीसद एलएनजी की आपूर्ति भी होती है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 83 फीसद आयात करता है और यह पूरी तरह से तेल और एलपीजी की ढुलाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है।

हारमूज के एक ओर अमेरिकी समर्थक अरब देश हैं और दूसरी ओर ईरान। ओमान और ईरान के बीच के कुछ हिस्सों में तो यह खाड़ी सिर्फ .21 मील चौड़ी है। यहां दो समुद्री रास्ते हैं। एक जहाजों के जाने के लिए और एक आने के लिए। यह खाड़ी बेहद संकरी है, लेकिन इतनी गहरी है कि यहां से दुनिया के सबसे बड़े जहाज और तेल टैंकर आसानी से गुजर सकते हैं। मध्य-पूर्व से निकलने वाला तेल हारमूज के रास्ते ही एशिया, यूरोप, अमेरिका सहित अन्य बाजारों में पहुंचता है।

कितना अहम हारमूज क्षेत्र

इस क्षेत्र से रोजाना एक करोड़ 90 लाख बैरल तेल गुजरता है। यानी दुनिया का 20 फीसद कच्चा तेल यहीं से होकर जाता है। इसकी तुलना में स्वेज नहर से 55 लाख बैरल और मलक्का की खाड़ी से एक करोड़ 60 लाख बैरल तेल गुजरता है।

शोध-अनुसंधान

भारत में बना दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ

जनसत्ता संवाद

एक युवा भारतीय वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ बनाने में सफलता हासिल की है। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में शोध करने वाली वैज्ञानिक इफ्फत अमीन की इस खोज से विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इस चमकीले पदार्थ की मदद से दो वॉट की एलईडी में 20 वॉट तक की रोशनी मिल सकेगी। साथ ही, रडार में ऊर्जा की कम खपत, एमआरआई में बेहतर नतीजे और दवाओं और शरीर की जैविक प्रणाली की जांच में यह पदार्थ क्रांतिकारी और लाभकारी बदलाव ला सकता है। आइआइटी, चेन्नई और सीडीआरआई लखनऊ और जापान के क्यूशू इंस्टीट्यूट ने अपने परीक्षणों में इस प्रयोग को स्वीकारोक्ति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की इफ्फत अमीन दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय (डीडीयू) में रसायन शास्त्र की रिसर्च स्कॉलर है। इफ्फत अमीन के पिता का नाम अमीनुल्लाह अंसारी और मां का नाम यास्मीन है। उनके पिता ठेकेदार और मां शिक्षक हैं। वे दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटी हैं। मां के शिक्षक होने के कारण घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल रहा। इफ्फत ने डीडीयू से ही बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की।

दुनिया के सबसे चमकीले पदार्थ की खोज में पूरे पांच साल लगे हैं। इसके लिए उन्होंने दुर्लभ तत्व लैंथेनाइड, सीरियम, प्रोकोडोमियम और नियोडायनिम में पाइराजुलीन, डाई थायो काबार्मेट और जेंथेट को संश्लेषित किया। इनके मिश्रण से उन्होंने कुल 48 कांप्लेक्स बनाए। सभी कांप्लेक्स की अलग-अलग ल्यूमिनिसेंस (चमक) की क्षमता जांची गई। शुरुआत के दो साल उन्हें दुर्लभ तत्वों को जुटाने और संश्लेषण के बाद उसके अनुप्रयोग समझने में लगे।

भारतीय वैज्ञानिक ने जिस नए पदार्थ की खोज की है, उसकी चमक क्षमता 91.9 फीसद है। जबकि अब तक जितने भी चमकीले पदार्थ बने हैं उनकी क्षमता 80 फीसद तक रही है। रेडियम के गुणों वाला यह चमकीले पदार्थ अंधेरे में चमकीली रोशनी का विकल्प हो सकता है।

इफ्फत अमीन

शोध पूरा होने पर संश्लेषित कांप्लेक्स का आइआइटी मद्रास, चेन्नई, सीडीआरआइ लखनऊ और जापान के क्यूशू इंस्टीट्यूट की लैब में परीक्षण कराया गया। जहां इसका परीक्षण सफल रहा है।

इस नए पदार्थ की चमक क्षमता 91.9 फीसद तक पाई गई। अब तक बने चमकीले कांप्लेक्स की क्षमता 80 फीसद तक है। इफ्फत अमीन के प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जब इस पदार्थ का परीक्षण आइआइटी मद्रास चेन्नई और जापान में हुआ तब पता चला कि यह कितनी बड़ी खोज है। इफ्फत ने जिस पदार्थ की खोज की, उसे रेडियम के गुणों वाला चमकीला पदार्थ कहा जा रहा है। यह अंधेरे में चमकीली रोशनी का विकल्प हो सकता है। इससे रेडियम आधारित उपयोगी पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। इसकी मदद से दो वॉट के एलईडी में 20 वॉट तक की रोशनी मिल सकेगी। इससे ऑर्गेनिक एलईडी बल्ब बनाए जा सकेंगे, जो महज 1 से 2 वाट के करंट से तेज रोशनी देंगे। इसके अलावा रडार में ऊर्जा की कम खपत, एमआरआई में भी बेहतर नतीजे और दवाओं और बायोलॉजिकल सिस्टम की जांच तथा लेवलिंग में भी यह पदार्थ लाभकारी साबित हो सकता है।

इफ्फत के कुल चार शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें इंग्लैंड स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, कई देशों से प्रकाशित होने वाला एल्वाइजर, जर्नल टेलर एंड फ्रांसिस आदि शामिल हैं। शोध के लिए उन्हें गुरु गोरक्षनाथ शोध मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इफ्फत अमीन की कामयाबी पर ट्वीट करके बधाई देते हुए लिखा है कि 'बहुत बधाई इफ्फत आमीन। आपने गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ ही देश और प्रदेश के युवाओं के लिए एक अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित किया है।'

विश्व परिक्रमा

फेसबुक पर पांच अरब डॉलर का जुर्माना

रविवार, 14 जुलाई : अमेरिका के नियामक ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर निजता और आंकड़ों की सुरक्षा में खामी की जांच से जुड़े एक मामले के निपटान के लिए पांच अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है।

इंग्लैंड ने जीता विश्व कप का खिताब

सोमवार, 15 जुलाई : इंग्लैंड ने रविवार को लॉडर्स मैदान पर खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में मात देकर आईसीसी विश्व कप-2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचने के बाद भी टाई हो गया। जिसके बाद बाउंड्री की संख्या के आधार पर इंग्लैंड की टीम को विजेता घोषित कर दिया गया।

नेपाल ने बाढ़ से निपटने के लिए मांगी मदद

मंगलावर, 16 जुलाई : नेपाल ने बारिश व बाढ़ की वजह से होने वाली बीमारियों की आशंका के मद्देनजर उनकी रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय एजंसियों से मदद मांगी है। बाढ़ से नेपाल में 67 लोगों के मरने की सूचना है।

कुलभूषण जाधव

अमेरिका से नफरत है तो चले जाओ : ट्रंप

बुधवार, 17 जुलाई : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय की डेमोक्रेट महिला सांसदों के समूह पर मंगलवार को अपना हमला जारी रखते हुए कहा, 'जो अमेरिका से घृणा करते हैं, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।

जाधव की फांसी पर रोक

गुरुवार, 18 जुलाई : कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को अंतरराष्ट्रीय अदालत में बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया।

जापान के स्टूडियो में आगजनी, 24 मरे

शुक्रवार, 19 जुलाई : जापान में एक एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी में गुरुवार को संदिग्ध आगजनी में 24 व्यक्तियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए।

ड्रोन गिराए जाने के बाद खाड़ी में तनाव बढ़ा

शनिवार, 20 जुलाई : अमेरिका की ओर से ईरान का एक ड्रोन मार गिराए जाने के दावे के बाद खाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने कहा कि हरमुज जलडमरूमध्य के प्रवेश पर अमेरिकी नौसैन्य पोत के लिए खतरा पैदा होने के बाद ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया।

जानें-समझें

चंद्रयान-दो की छलांग

परमाणु ऊर्जा के खजाने तक पहुंच

दीपक रस्तोगी

चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के साथ ही वैज्ञानिकों में भविष्य की दो बड़ी संभावनाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अपने इस मिशन में भारत ने खनिजों और ऊर्जा के जिस अकूत भंडार की तलाश शुरू की है, उससे दुनिया बदल जाएगी। वहां से चांद पर इंसान के बसने की जमीन भी तैयार होने लगेगी। चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचने के लिए भारत ने सोमवार को छलांग लगाई है। चंद्रयान एक मिशन से मिली जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए नया मिशन है। संभव है कि भारत का चंद्रयान-2 चांद के कुछ और अनछुए पहलुओं पर से पर्दा उठा दे, जिसके बारे में वह मशहूर बात दोहराई जाए, 'यह मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है।'

अकूत खजाने तक पहुंचेगा चंद्रयान

साफ और सुरक्षित ऊर्जा के लिए तरस रही दुनिया के लिए भारत का चंद्रयान-2 मिशन नई उम्मीद है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के बाद अपना यान ऐसे अनमोल खजाने की खोज में जुटेगा, जिससे न केवल अगले पांच सौ साल तक ऊर्जा की जरूरत पूरी होगी, बल्कि, खरबों डॉलर की कमाई भी होगी। यह ऊर्जा न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि तेल, कोयले और परमाणु कचरे से होने वाले प्रदूषण से मुक्त होगी। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव इलाका औद्योगिक उत्खनन के लिए मुफीद जगहों में से एक है। यहां रेडियोधर्मी तत्व हीलियम-3 खोज की जाएगी। चंद्रमा से 2,50,000 टन हीलियम-3 लाया जा सकता है, जिसकी कीमत कई खरब डॉलर हो सकती है। एक टन हीलियम-3 की कीमत करीब 5 अरब डॉलर हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, चंद्रमा पर हीलियम-3 के आइसोटोप (समस्थानिक) प्रचुर मात्रा में हैं। सूर्य की तरफ से चलने वाली हवाएं चंद्रमा पर लगातार हीलियम-3 की बरसात करती रहती हैं। ये हवाएं हमारी धरती पर भी आती हैं, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन हवाओं से हमारे वातावरण को बचा लेता है।

क्या है जानकारों की राय

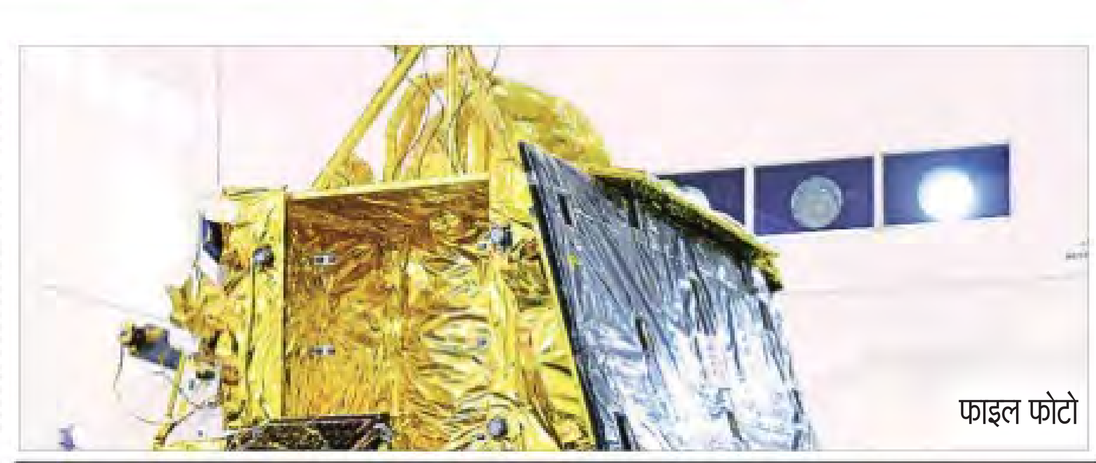

फाइल फोटो

जिस देश के पास ऊर्जा के इस अकूत स्रोत को चंद्रमा से धरती पर लाने की क्षमता होगी, वह इस पूरी प्रक्रिया पर राज करेगा। मैं केवल इस प्रक्रिया का हिस्सा नही बनना चाहता। बल्कि इसका नेतृत्व करना चाहता हूं। भविष्य में धरती पर जब खनिज संपदा खत्म हो जाएगी, तब हम इस स्थिति में पहुंच चुके होंगे की चांद से लाकर उनकी पूर्ति कर सकें। इसी प्रकार हमारे मौजूदा कार्यक्रम भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भी नए रास्ते खोलेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन अगले दस साल में वास्तविकता में बदल जाएगा।
–के सिवन, इसरो के अध्यक्ष

अगर अगले कुछ दशकों में चांद पर इंसान की बसने की अवसर पैदा होते हैं तो इससे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों के मौके मिलेंगे। तब वैज्ञानिक चांद को अपना पड़ाव बना लेंगे और फिर वहां से दूसरे ग्रहों के बारे में शोध करेंगे या अभियान चलाएंगे। तब धरती की बजाय चांद से ही उपग्रह दूसरे ग्रहों के लिए भेजना संभव हो सकता है।
–एएस किरण कुमार

दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों चंद्रयान-2

चांद को फतह कर चुके अमेरिका, रूस और चीन ने अभी तक इस जगह पर कदम नहीं रखा है। चंद्रमा के इस भाग के बारे में अभी बहुत जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। भारत के चंद्रयान एक अभियान के दौरान दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के बारे में पता चला था। तभी से चांद के इस हिस्से के प्रति दुनिया के देशों की रुचि जगी है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत दूसरे देशों पर बढ़त हासिल कर लेगा। इसकी सतह का बड़ा हिस्सा चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया (शैडो) में रहता है। इस हिस्से में पानी भी हो सकता है। यहां ठंडे क्रेटर्स (गड्ढों) में प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हैं। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दो ऐसे क्रेटर्स – 'मंजिनस सी' और 'सिमपेलियस एन' के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेंगे।

नासा के मुकाबले 10 गुना कम बजट

अमेरिका ने पिछले कुछ साल में चंद्रमा संबंधी शोध से अपना ध्यान हटा लिया था। चंद्रमा के प्रति दुनिया के दूसरे देशों की दिलचस्पी को देखते हुए यह देश एक बार फिर इस दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में अपने अंतरिक्ष विज्ञानियों को एक बार फिर से चंद्रमा पर ध्यान देने को कहा है। इस क्रम में अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजंसी नासा ने 19 अरब रुपए का प्रस्ताव सरकार को दिया। ट्रंप ने इसे मंजूरी दे दी है। नासा ने वर्ष 2020 में ल्यूनर ऑर्बिटर यान को चांद पर भेजने की योजना बनाई है। तुलनात्मक रूप से भारत सरकार का चंद्रमा मिशन इससे कई गुना कम खर्चीला है। इसरो ने चंद्रयान-2 के लिए 1.7 अरब का बजट सरकार को दिया था।

अंतरिक्ष आर्थिकी में आएगा उछाल

विशेषज्ञों के मुताबिक चांद पर हीलियम-3 के उत्खनन की प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो मौजूदा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था चार सौ अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2040 तक एक खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारत चंद्रयान-2 के कुछ समय पहले ही अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है और डिफेंस स्पेस एजंसी और डिफेंस स्पेस ऑर्गनाइजेशन का गठन किया है। हीलियम-3 के चंद्रमा के भंडार पर भारत की नजर काफी पहले से है। वर्ष 2006 में इसरो के तत्कालीन चेयरमैन माधवन नायर ने कहा था कि हीलियम-3 से भविष्य में परमाणु रिएक्टर चलाए जा सकेंगे। लेकिन पहले इनकी गुणवत्ता देखनी होगी।

व्यक्तित्व

हिमा दास : एक महीने में पांच अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक

जनसत्ता संवाद

देश की नई उड़न परी हिमा दास का नाम सभी की जुबान पर है। हाल ही में उन्होंने चेक गणराज्य की नोव मेस्टो नाड मेटुजी ग्रां प्री में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में सीजन-बेस्ट 52.09 सेकेंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। एक महीने के भीतर उनका यह पांचवा स्वर्ण पदक है। उन्होंने दो जुलाई को यूरोप में, सात जुलाई को कुंटो एथलेटिक्स मीट में, 13 जुलाई को चेक गणराज्य में और 17 जुलाई को टाबोर ग्रां प्री में अलग-अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। हिमा पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 400 मीटर की रेस 51.46 सेकंड में पूरी करके यह रेकॉर्ड अपने नाम किया है। वे आईएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। एक महीने में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी एंडोर्समेंट फीस सालाना 30-35 लाख से 60 लाख रुपए पहुंच गई है। 18 साल की हिमा असम के ढिंग शहर के पास एक छोटे से गांव कंधुलिमारी की रहने वाली हैं। उन्होंने दो साल में ही अपना नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराया है। हिमा बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम रंजीत दास है और वे किसान है। पांच भाई-बहनों में वे सबसे छोटी हैं।

शुरू में हिमा की दिलचस्पी फुटबॉल में थी। वे स्कूल में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थीं और हमेशा से ही इसी में अपना करिअर बनाना चाहती थीं। हिमा खेलने-कूदने में आगे थीं। अपने पिता के खेत में दोस्तों के साथ घंटों खेलतीं और दौड़ लगातीं। वे गांव में आने वाली गाड़ियों के साथ रेस लगाती थीं। वे लड़कों के साथ भी रेस लगाती और जीत जातीं।

यह देख उनकी पीटी टीचर ने उन्हें धावक बनने की सलाह दी। वे अपने पिता के खेत में और गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव ही दौड़ लगाती थीं। स्थानीय कोच निपुन दास की सलाह मानकर हिमा ने जिला स्तर की 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हिमा की लगन को देखते हुए निपुन दास उन्हें गुवाहाटी लेकर आएं। शुरू में हिमा 200 मीटर और बाद में 400 मीटर की दौड़ में भी भाग लेने लगीं।

यहां से हिमा दास का करिअर एथलीट के तौर पर शुरू हुआ। अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर की स्पर्धा में हिमा दास ने 51.32 सेकेंड में दौर पूरी करते हुए छठवां स्थान प्राप्त किया था। गुवाहाटी में हुई अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। फिनलैंड में आयोजित विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर फाइनल जीता। इसके अलावा 18वें एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में हिमा दास ने दो दिन में दूसरी बार महिला 400 मीटर में राष्ट्रीय रेकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता है। इसी साल हिमा दास ने पोलैंड में पॉज्नान ऐथलेटिक्स ग्रां प्री में 200 मीटर का स्वर्ण जीता। उसके बाद उसने कुट्टनो एथलेटिक्स मीट में पोलैंड में भी 200 मीटर का स्वर्ण पदक जीता।

सोनभद्र कांड पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा

सपा से जुड़ा है मुख्य अभियुक्त, होगी कार्रवाई

लखनऊ, 22 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दोहराया कि सोनभद्र में पिछले दिनों हुए सामूहिक हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सपा से जुड़ा है।

योगी ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य अमित यादव द्वारा प्रदेश में गत 1 मार्च से 15 मार्च के बीच हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रदेश में जो निवेश के उत्साहजनक परिणाम आए हैं, वे बेहतर कानून-व्यवस्था का ही नतीजा हैं। हमारी सरकार को बने अभी ढाई साल नहीं हुए हैं। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति उच्चकोटि की रही है।

योगी ने कहा कि जहां तक सोनभद्र में 10 लोगों की नृशंस हत्या का मामला है तो मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसमें जो सूत्र सामने आए हैं वे सिर्फ आज से नहीं बल्कि वर्ष 1955 से जुड़े हैं। उस वक्त कांग्रेस के नेता ने वहां के वनवासियों और जनजातीय समुदाय की जमीन को गलत तरीके से एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर दर्ज कराया। बाद में वर्ष 1989 में उस जमीन को अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराया। उन्होंने कहा कि बाद में उस जमीन को खरीदने वाला गांव का प्रधान यज्ञदत्त भोटिया खुद सपा का सदस्य है। हत्या का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

इस पर सपा के सदस्यों ने विरोध किया। शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री को सोनभद्र की घटना के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार है लेकिन इस वक्त प्रश्नकाल चल रहा है, इसमें सिर्फ प्रश्नोत्तर ही होते हैं। प्रश्न में सोनभद्र के मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया है, लिहाजा मुख्यमंत्री का इस विषय पर बोलना ठीक नहीं है। जब इस घटना पर कार्यस्थगन प्रस्ताव आएगा तो मुख्यमंत्री इस पर विस्तार से बोल सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री अपने स्थान पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद सदन से चले गए।

इसी बीच नेता विपक्ष अहमद हसन ने इस पर अपनी बात रखने की कोशिश की तो सत्तापक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि खुद सपा के सदस्य ही मुख्यमंत्री के बोलने पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे। इस दौरान सभापति रमेश यादव के निर्देश पर नेता सदन उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अगले प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया।

चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री कोइना मित्रा को छह महीने की कैद

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभिनेत्री कोइना मित्रा को छह महीने कैद की सजा सुनाई है।

अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन अदालत की मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने छह जुलाई को पारित आदेश में मित्रा को मामले में शिकायतकर्ता मॉडल पूनम सेठी को 4.64 लाख रुपए का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया। अदालत 2013 के एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसके मुताबिक मित्रा ने सेठी से 22 लाख रुपए कुछ समय के दौरान लिए थे लेकिन पूरी रकम नहीं चुकाई।

अदालत के आदेश के मुताबिक, मित्रा ने कर्ज चुकाने के लिए सेठी को तीन लाख रुपए का चेक जारी किया, लेकिन वह बाउंस हो गया। सेठी ने 19 जुलाई 2013 को चेक बाउंस होने को लेकर एक कानूनी नोटिस भी भेजा।

नोटिस के बाद भी जब मित्रा की तरफ से रकम नहीं लौटाई गई तो 10 अक्तूबर 2013 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए सेठी ने मित्रा के खिलाफ शिकायत की।

मित्रा ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि वह मुकदमे का सामना करेंगी।

मुकदमे के दौरान अभिनेत्री के वकील ने दलील दी कि दूसरी चीजों के साथ ही सेठी एक 'छोटी' मॉडल थी जिसके पास 22 लाख रुपए उधार देने के साधन नहीं थे। अभिनेत्री के वकील ने कहा कि सेठी अवैध तौर पर रुपए उधार देने का धंधा करती हैं।

अदालत ने हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर मित्रा हर्जाने की रकम सेठी को देने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें तीन और महीने कैद की सजा काटनी होगी।

मित्रा ने 'मुसाफिर', 'एक खिलाड़ी एक हसीना' और 'अपना सपना मनी मनी' जैसी फिल्मों में काम किया था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

एए कुरैशी को मुख्य न्यायाधीश बनाने का मुद्दा 'विचाराधीन'

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'यह मामला विचाराधीन है' और उन्होंने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का वक्त देने का अनुरोध किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील ए कुरैशी को मप्र हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का मामला उसके विचाराधीन है। केंद्र ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से दो सप्ताह का वक्त देने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस के पीठ न्यायमूर्ति कुरैशी को शीर्ष अदालत की कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार मप्र हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि 'यह मामला विचाराधीन है' और उन्होंने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का वक्त देने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फाली नरीमन ने कहा कि उन्हें केंद्र द्वारा समय मांगने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह भी तथ्य है कि मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार केंद्र की भूमिका सिर्फ 'एक विशिष्ट संदेश प्रेषक की' और न्याय विभाग को सिर्फ नियुक्ति की घोषणा करनी है।

नरीमन ने मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि कॉलेजियम द्वारा नाम की स्वीकृति दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में केंद्र की बहुत अधिक भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र को न्यायालय को यह बताना चाहिए कि क्या उसने मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर में निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुजरात सरकार की राय मांगी थी।

न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई दो अगस्त के लिए निर्धारित की है।

इससे पहले, न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करने का निश्चय किया था। पीठ ने याचिकाकर्ता को इस याचिका की प्रति सॉलिसीटर जनरल को सौंपने का निर्देश दिया था ताकि वह इस मामले में आवष्यक निर्देश प्राप्त कर सकें। वकीलों के इस संगठन का आरोप है कि शीर्ष अदालत की कॉलेजियम द्वारा ग्रीष्मावकाश से पहले सिफारिश किए जाने के बावजूद केंद्र ने न्यायमूर्ति कुरैशी की फाइल अभी तक अटका रखी है जबकि दूसरे उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

इस संगठन का कहना है कि केंद्र ने न्यायमूर्ति कुरैशी को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी नहीं दी और सात जून को न्यायमूर्ति रवि शंकर झा को मप्र हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।

राजौरी में पाक गोलीबारी में जवान शहीद

पेज 3 का बाकी

नाम मोहम्मद आरिफ शरीफ आलम खान पठान है। गोलीबारी के दौरान वह जख्मी हो गए। कर्नल आनंद ने बताया कि पठान को हवाई मार्ग से सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पठान गुजरात के वडोदरा जिले के नवायार्ड गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनके माता-पिता हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, 'वह बहादुर, बेहद जोशीले और संजीदा सैनिक थे। राष्ट्र हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उनका आभारी रहेगा।'

प्रवक्ता के मुताबिक, सीमा पार से गोलीबारी सुबह करीब साढ़े छह बजे शुरू हुई और यह रुक-रुक कर कई घंटे तक चलती रही, जिस वजह से सरहद के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने तड़के बिना उकसावे के मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी कर संघर्षविराम का उल्लंघन किया।

मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल भी पारित

पेज 3 का बाकी

आपत्तियों को निराधार बताया कि पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण यह 'सरकार का आयोग' बन जाएगा। शाह ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं।

शाह ने कहा कि समिति द्वारा नियुक्ति के बारे में यदि इस तरह का संदेह किया जाएगा तो 'कोई भी लोकतांत्रिक संस्था काम नहीं कर पाएगी।' उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल से घटाकर तीन साल करने का उद्देश्य है ताकि खाली पदों को भरा जा सकेगा। उन्होंने पुनर्नियुक्ति के प्रावधानों को लेकर विपक्ष के सदस्यों के संदेहों पर कहा कि इनकी पुनर्नियुक्ति सरकार नहीं नियुक्ति समिति करेगी। साथ ही आयोग के नियम के तहत इसका कोई सदस्य या अध्यक्ष सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार की नीति है कि 'न किसी पर अत्याचार हो, न किसी अत्याचारी को बख्शा जाए'। विधेयक के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश रहा हो।

राजद के पूर्व विधायक को उम्रकैद

समस्तीपुर (बिहार), 22 जुलाई (भाषा)।

बिहार के समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने 14 साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में सोमवार को राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक गौरी शंकर मिश्रा ने बताया, 'दो अगस्त, 2005 को मंजू देवी जब अपनी एक रिश्तेदार के साथ अपने गांव छेछनि से बिथान बाजार आ रही थीं तभी रास्ते में एक मार्शल गाड़ी के हॉर्न बजाने पर रास्ता नहीं देने पर उस पर सवार पूर्व विधायक ने बंदूक के बट से उन पर प्रहार किया था। घटना में गर्भवती मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।' सुनील कुमार पुष्पम ने कहा, 'वह निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।'

सूचना अधिकार संशोधन बिल को लोकसभा ने दी मंजूरी

पेज 3 का बाकी

मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक लाकर इस महत्वपूर्ण कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से राज्यों में भी सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के नियम, शर्तें तय करेगी जो संघीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है।

चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक, लोक प्रशासन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पारदर्शिता के सवाल पर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार अधिकतम सुशासन, न्यूनतम सरकार के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। विधेयक के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि इसका मकसद आरटीआइ अधिनियम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, व्यवस्थित बनाना और परिणामोन्मुखी बनाना है।

सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में आरटीआइ आवेदन कार्यालय समय में ही दाखिल किया जा सकता था। लेकिन अब आरटीआइ कभी भी और कहीं से भी दायर किया जा सकता है।

साढ़े सात हजार के रखरखाव पर फ्लैट मालिकों को देना होगा 18% जीएसटी

पेज 3 का बाकी

रुपए की सीमा प्रति फ्लैट के हिसाब से होगी। मसलन दो फ्लैट वाला व्यक्ति 7,500-7,500 कुल 15,000 रुपए का मासिक रखरखाव शुल्क देता है तो उसे प्रत्येक फ्लैट के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

मुंबई के टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

मुंबई में सोमवार को एक टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में आग लग गई। इमारत की छत पर हवाई सीढ़ी की मदद से सभी 84 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। निकाय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि वहां फंसे लोगों में ज्यादातर लोग नौवीं मंजिल की छत पर थे। यह इमारत उपनगरीय बांद्रा में स्थित है। आग बुझाने की कोशिश के दौरान धुएं की चपेट में आए दो कर्मियों को निकट के अस्पताल में भर्ती किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी इस आग पर काबू पा लिया गया है और इमारत की छत पर सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक उन लोगों के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं हैं जो तीसरी और चौथी मंजिल पर हैं। एक महिला ने बताया, 'हम लिफ्ट की मदद से पांचवीं मंजिल से आए। हमने अग्निशमन सेवा कर्मियों को कुछ लोगों को धुएं से भरी इमारत से बाहर निकालते हुए देखा।'

वहीं इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने वाली एक महिला ने कहा, 'जब हमें आग के बारे में जानकारी मिली तो हम सीढ़ियां खोजने लगे लेकिन घने धुएं की वजह से दिखाई देना लगभग बंद सा हो गया था।' उन्होंने बताया, 'हमने अपने कार्यालय की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए थे। दमकल कर्मी आए और उन्होंने हमें बचाया। हमें जिस मंजिल से बचाया गया है, वहां अब भी छह-सात लोग हो सकते हैं।' एमटीएनएल की इमारत में अपराह्न तीन बजे आग लग गई थी। यह इमारत उपनगरीय बांद्रा में स्थित है और यह दमकल सेवा केंद्र के पास ही स्थित है। उन्होंने बताया कि कामकाज का दिन होने की वजह से ज्यादा लोग इमारत में थे। इनमें से ज्यादातर एमटीएनएल के कर्मचारी हैं।

अधिकारी ने बताया कि दमकल के 14 वाहन और एक रोबोट वाहन और एक एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरण आग को बुझाने के काम में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने का काम और बचाव अभियान जारी है। इमारत की ऊपरी मंजिल और छत पर लोग फंसे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। समाचार चैनलों के फुटेज में इमारत से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

चार आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आठ लोग गिरफ्तार

गुमला (झारखंड), 22 जुलाई (भाषा)।

झारखंड के गुमला जिले में जादू-टोने के संदेह में चार आदिवासियों की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

एक बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात नगर-सिसकारी गांव में चार बुजुर्गों को कथित तौर पर उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला था और डंडों से पिटाई की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं।

जेपी नड्डा ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तलब किया

पेज 3 का बाकी

ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भाजपा मुख्यालय तलब किया गया था जहां नड्डा ने उन्हें बताया कि पार्टी नेतृत्व मध्य प्रदेश के सीहोर में रविवार को उनके द्वारा दिए गए बयान से खुश नहीं है।

उन्होंने कहा कि ठाकुर से उनसे पार्टी के कार्यक्रमों और विचारों के खिलाफ बयान देने से बचने को कहा गया है। पार्टी कार्यालय से निकलते वक्त भाजपा सांसद ने वहां मौजूद पत्रकारों से बात नहीं की। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए 2008 मालेगांव बम धमाका मामले की आरोपी ठाकुर ने कहा था कि एक सांसद का काम विधायकों, पार्षदों और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करते हुए विकास सुनिश्चित करना होता है। ठाकुर बम धमाका मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।

प्रज्ञा सिंह ने कहा था, 'इसलिए इसे ध्यान में रखिए...हम यहां नालियों की सफाई के लिए नहीं हैं। यह साफ है? हम निश्चित रूप से (यहां) आपके शौचालय साफ करने के लिए नहीं हैं। हमें जो काम करना है और जिसके लिए हमें निर्वाचित किया गया है, हम उसे ईमानदारी से करेंगे। यह हमने पूर्व में भी कहा है, आज भी कह रहे हैं और भविष्य में भी इस पर टिके रहेंगे।' ठाकुर ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराकर जीता था।

यह टिप्पणी भाजपा के लिए शर्मिंदा करने वाली थी क्योंकि मोदी ने 'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम को अपनी सरकार के एजंडे का मुख्य बिंदू बनाया था। यह पहली बार नहीं है जब ठाकुर के बयानों से भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। लोकसभा चुनावों के बीच प्रचार के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को एक 'देशभक्त' करार दिया था। टिप्पणी पर हंगामा मचने के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और मोदी को कहना पड़ा था कि वह माफी मांगने के बावजूद ठाकुर को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, पर मतदान नहीं

पेज 3 का बाकी

करने दीजिए'। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एचके पाटील ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा, 'यह पूर्ण सदन नहीं है', बागी विधायकों को वापस आना चाहिए।

विधानसभा की कार्यवाही शुरु होने के समय से ही अध्यक्ष केआर रमेश ने सरकार को बार बार शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी करने के अपने वादे का सम्मान करने की याद दिलाई। एक घंटे की देरी से सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ने कहा, 'सबकी नजर हम पर है। मुझे बलि का बकरा ना बनाएं। अपने लक्ष्य (शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने) तक पहुंचें।' कुमारस्वामी ने पिछले सप्ताह गुरुवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे और दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण सरकार का भविष्य अधर में है।

राज्यपाल वजुभाई वाला ने पहले शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे तक और बाद में दिन की समाप्ति तक विश्वास प्रस्ताव पर प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद अध्यक्ष ने सरकार से यह वादा लिया था कि वह इसे सोमवार को अवश्य पूरा करेगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अध्यक्ष ने विश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया में और देरी नहीं करने पर अपना रुख स्पष्ट किया, 'इससे मेरा या सदन का अपमान होगा'। ऐसी खबरें है कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने मत-विभाजन के लिए और दो दिन का वक्त मांगा है। अध्यक्ष ने कहा, 'हम सार्वजनिक जीवन में हैं। जनता हमें देख रही है। अगर लोगों में यह विचार बन रहा है कि चर्चा के नाम पर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो यह मेरे या किसी के लिए भी सही नहीं होगा।' कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि इस्तीफे के मुद्दे पर अध्यक्ष के निर्णय के बगैर मत-विभाजन कराने से विश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया की कोई गरिमा नहीं रहेगी।

'चंद्रयान-2' रवाना, सितंबर में उतरेगा चांद की सतह पर

पेज 3 का बाकी

हुई है। इसरो की इस शानदार कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। करीब 50 दिन बाद छह से आठ सितंबर के बीच चांद पर भारत का चंद्रयान उतरेगा।

43.43 मीटर लंबे जीएसएलवी मार्क तीन एमके-1 ने आसमान में छाए बादलों को चीरते हुए प्रक्षेपण के 16 मिनट 14 सेकंड बाद 3,850 किलोग्राम वजनी 'चंद्रयान-2' को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। प्रक्षेपण के बाद नियंत्रण केंद्र में उपस्थित इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इसरो ने बाद में एक बयान में कहा कि 'चंद्रयान-2' के रॉकेट से अलग होने के तत्काल बाद अंतरिक्ष यान के सौर पैनल अपने आप तैनात हो गए और बंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमान प्रणाली ने अंतरिक्ष यान का नियंत्रण सफलतापूर्वक अपने हाथों में ले लिया। बयान के अनुसार 'चंद्रयान-2' को चांद के नजदीक ले जाने के लिए अगले सप्ताहों में कई अभियान चरणों को अंजाम देना होगा और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग सात सितंबर को कराने की योजना है।

चंद्रयान-2 सोलह दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की तरफ बढ़ेगा। इस दौरान चंद्रयान की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड और न्यूनतम गति तीन किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। 16 दिनों बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा। इस दौरान चंद्रयान-2 से रॉकेट अलग हो जाएगा। पांच दिनों बाद चंद्रयान-2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इस दौरान उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड और चार किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। इसके बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी तीन लाख 84 हजार किलोमीटर है। चंद्रयान-2 में लैंडर-विक्रम और रोवर-प्रज्ञान चंद्रमा तक जाएंगे। चांद की सतह पर उतरने के चार दिन पहले 'विक्रम' उतरने वाली जगह का मुआयना करना शुरू करेगा। लैंडर यान से अलग होगा। विक्रम सतह के और नजदीक पहुंचेगा। उतरने वाली जगह को स्कैन करना शुरू करेगा और फिर शुरू होगी सतह को छूने की प्रक्रिया। उतरने के बाद लैंडर (विक्रम) का दरवाजा खुलेगा और वह रोवर (प्रज्ञान) को रवाना करेगा। रोवर के निकलने में करीब चार घंटे का समय लगेगा। फिर यह वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा। इसके 15 मिनट के अंदर ही इसरो को लैंडिंग की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी।

पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भू-स्थैतिक प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-मार्क तीन के जरिए 978 करोड़ रुपए की लागत से बने 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण किया है। इसरो का सबसे जटिल और अब तक का सबसे प्रतिष्ठित मिशन माने जाने वाले 'चंद्रयान-2' के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा।

इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि वैज्ञानिकों और टीम इसरो की कड़ी मेहनत से यह सफलता मिली है। 15 जुलाई को मिशन में तकनीकी दिक्कत के बाद टीम इसरो ने इसे तुरंत दूर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। टीम इसरो ने घर-परिवार की चिंता छोड़ लगातार सात दिन तक सब कुछ झोंक दिया। यह कड़ी मेहनत का फल है।

अगले साल भारत का सूर्य अभियान

पेज 3 का बाकी

अपरचर रडार (निसार)। इसकी संभावित लागत करीब 10 हजार करोड़ रुपए होगी। इसे जीएसएलवी-एमके 2 रॉकेट से छोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा 2023 तक शुक्रयान भेजने की योजना है। 2025 तक ऐसा यान विकसित कर लिया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष पर्यटन शुरू हो सकेगा। उपग्रहों के लिए एक ही यान का उपयोग कई बार किया जा सकेगा। यह यान अंतरिक्ष में जाकर उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर वापस आ जाएगा।

2014 में इसरो के मंगलयान मिशन ने पहली बार में ही सफलता हासिल कर ली थी। इसके बाद अब इसरो मंगलयान-2 (मार्स ऑर्बिटर मिशन-2, मॉम-2) भेजेगा। इस बार मंगलयान अपने लैंडर और रोवर मंगल की सतह पर उतारेगा और वहां के सतह, वातावरण, रेडिएशन, तूफान, तापमान आदि का अध्ययन किया जाएगा। इसे 2021-22 में भेजने की योजना है। इस मिशन में फ्रांस मदद करेगा।

इसके अलावा इसरो की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है गगनयान। इसके जरिए इसरो तीन यात्रियों को अंतरिक्ष में सात दिन के लिए भेजेगा। उम्मीद है कि यह मिशन 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसरो ने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। इसपर काम चल रहा है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सराहा

पेज 3 का बाकी

को बधाई भी दी और कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस घटनाक्रम पर पूरी नजर रखी और इसे एक बड़ा कदम बताया। अमेरिकी अखबार 'वाशिंगटन पोस्ट' ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि प्रक्षेपण टालने के कुछ ही दिन बाद सफल दूसरा प्रयास इसरो की उसकी प्रौद्योगिकी क्षमताओं में विश्वास को रेखांकित करता है जो 1.8 अरब डालर के बेहद कम बजट से प्रभावित नहीं हुआ है। वहीं नासा को इस वर्ष 21.5 अरब डालर की धनराशि आबंटित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 'चंद्रयान-2' के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी।

संसद के दोनों सदनों ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

संसद के दोनों सदनों ने सोमवार को देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर संबंधित वैज्ञानिकों व परियोजना से जुड़े लोगों को बधाई दी और कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। चंद्रयान-2 का सोमवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके सफल प्रक्षेपण के कुछ देर बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह देश के लिए गौरवशाली क्षण है।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की शक्ति और क्षमता को बढ़ावा मिला है। बिड़ला ने कहा कि यह इसरो के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हुआ है। हम वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। सदस्यों ने मेजें थपथपा कर इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा कि यह वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, इसमें प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिया जाए? उधर, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी उच्च सदन में इस उपलब्धि का जिक्र किया।

बिहार विस का चुनाव नीतीश की अगुआई में ही लड़ेगा राजग : सुशील

पटना, 22 जुलाई (भाषा)।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य का अगला विधानसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा।

बिहार विधानसभा में बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019 पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देने के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सुशील ने कहा, 'कई बार मीडिया में तरह-तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं कि क्या होगा। यह गठबंधन चलेगा कि नहीं। मैं सदन के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहूंगा कि अगला विधानसभा का चुनाव भी यह गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा।' बिहार में राजग गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, भाजपा और केंद्रीय मंत्री रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था और प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में 39 पर विजयी रहे थे।सुशील ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई किसी भ्रम में नहीं रहे, डूबते हुई नैया पर कौन सवार होना चाहेगा। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की सदन से लगातार अनुपस्थिति की चर्चा करते हुए सुशील ने आरोप लगाया कि आज सदन की कार्यवाही का 17वां दिन है पर मुझे दुख है कि प्रतिपक्ष के नेता ने सदन के भीतर संभवतः एक शब्द भी नहीं बोला है।

नवोदय विद्यालय में फंदे से लटकी मिली छात्रा

डिंडोरी, 22 जुलाई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में सोमवार को 11 वर्षीय एक छात्रा का शव सीढ़ियों की रेलिंग से दुपट्टे के जरिए फांसी में झूलता हुआ मिला है। (**भाषा**)

Punjab & Sind Bank
A Govt. of India Undertaking.
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
भारत सरकार का उपक्रम, आंचलिक कार्यालय : 8, ज्वाला देवी बिल्डिंग, तालकटोरा, लखनऊ

अधिग्रहण सूचना

यह कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 3 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता को माँग सूचना जारी की, जिसमें नोटिस में उल्लिखित धनराशि व ब्याज कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी।

उधारकर्ता उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहा। अतः एतद्द्वारा उधारकर्ता, जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित सम्पत्तियों को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है। अतः विशेष रूप से उधारकर्ता को तथा सामान्य रूप से सर्वसाधारण को सचेत किया जाता है कि इन सम्पत्तियों से किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रभार के अधीन है, जिसमें धनराशि व ब्याज देय है।

ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहे है।

क्र. सं.	खातेदार तथा जमानतकर्ता का नाम	सूचना में दावा की गयी धनराशि	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि
शाखा का नाम : हजरतगंज, लखनऊ				
1.	ऋणी: श्री रईस हैदर पुत्र श्री मिर्जा साजिद हुसैन, गारन्टर: श्रीमती जेजी अफसाना पत्नी श्री रईस हैदर दोनों निवासी: मकान नं0 395/71A, कश्मीरी मोहल्ला चौक, लखनऊ।	₹ 4,69,427.66 31.01.2019 तक + ब्याज और अन्य खर्च 01.02.2019 से	सम्पत्ति के सभी भाग स्थित मकान म्यूनिसिपल नं. 392/394, प्लाट नं. 44, मोहल्ला मैदान एल0एच0 खान शआदतगंज, लखनऊ। स्वामी: श्री रईस हैदर पुत्र श्री मिर्जा साजिद हुसैन, क्षेत्रफल: 46.45 वर्ग मी, चौहद्दी: उत्तर: रास्ता गली 8 फिट चौड़ी, दक्षिण: मानल लाल का मकान, पूर्व: पवन कुमार का मकान, पश्चिम: अराजी पीनत खान।	01.02.2019 / 17.07.2019

दिनांक : 23.07.2019, स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने अगले उप सेना प्रमुख नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सेना की पूर्वी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू का स्थान लेंगे। अनबू 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे।

रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारियों के मुताबिक, अब लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने संभावित रूप से सेना प्रमुख पद की दौड़ में रहेंगे। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, तब वह वरिष्ठतम कमांडर होंगे। अगले सेना प्रमुख की दौड़ में उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का नाम भी बताया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने 37 वर्ष की अपनी सेवा के दौरान कई पदों पर कार्य कर चुके हैं।

निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों की उस नई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा में 'तत्काल' शक्ति परीक्षण कराने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस के पीठ ने निर्दलीय विधायक-आर शंकर और एच नागेश की याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई करने से मना कर दिया।

पीठ ने कहा कि मामले का उल्लेख करने पर इसे विचार के लिए लिया जाता है। मामले को मंगलवार को रोस्टर के मुताबिक उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। कर्नाटक विधानसभा में तीसरे दिन विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। विधायकों की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुरुआत में कहा कि उन्होंने कर्नाटक मामले में नई याचिका दायर की है और इस पर अत्यावश्यक आधार पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई की जाए। पीठ ने कहा, 'असंभव। हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मंगलवार को हम इस पर गौर कर सकते हैं।' रोहतगी का कहना था कि कर्नाटक विधानसभा में किसी न किसी वजह से शक्ति परीक्षण में विलंब किया जा रहा है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
क्षे.का. दिल्ली (उत्तर) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-06 फोन: 011-23832226

शुद्धि पत्र

कृपया 21.07.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 27.08.2019 को अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना (सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन का विक्री सूचना) के विज्ञापन का संदर्भ लें। क्रम सं. 5 के दरियागंज, नई दिल्ली शाखा-खाता-मैसर्स महक साई हाउस में सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण गलत प्रकाशित हुआ है। सही सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण कृपया इस प्रकार पढ़ें: "स्टिल्ट फ्लोर, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल छत अधिकार के साथ, सम्पत्ति सं.1/2244-ए, खसरा नं.885/136 का भाग, गाँव-चन्द्रावली-उर्फ-शाहदरा, गली नं.14, पूर्वी राम नगर के क्षेत्र में स्थित, मंडोली रोड, इलाका-शाहदरा, दिल्ली-110032. क्षेत्र 100 वर्ग गज (स्वामित्व-शशांक शर्मा)"। क्रम सं. 7 एवं 8 के प्रेस एरिया, नई दिल्ली शाखा में प्राधिकृत अधिकारी का सम्पर्क नं. कृपया इस प्रकार पढ़ें: श्री अनिल कुमार, मोबाइल: 9999917108 / 9636721922. अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **बैंक ऑफ बड़ौदा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(12) के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणग्रहिता के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणग्रहिता / जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) के नियम 8 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित बंधक अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है।

ऋणग्रहिता / जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति कोई क्रय-विक्रय और इन सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभारों के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम व पता / मांग सूचना / अधिग्रहण की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का सभी भाग व हिस्से निहित)	बकाया धनराशि (रू)
शाखा- आर.ओ.एस.ए.आर.बी. लखनऊ, बड़ौदा हाउस, प्रथम तल, V-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010. फोन: 0522-6677636			
1.	उधारकर्ता: श्री नासिर जमाल खान पुत्र कैसर जमाल खान, पता- मकान नं. 128, मोहल्ला मिर्जागंज, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ- 226102 जमानतकर्ता-श्री वसीम जमाल खान पुत्र इरशाद हसन, पता- मकान नं. 131, मोहल्ला मिर्जागंज, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ-226102 मांग सूचना की तिथि- 23.04.2019 अधिग्रहण सूचना- 19.07.2019	भूमि व भवन श्री नासिर जमाल खान के नाम पर, स्थित प्लॉट नं. 196, मोहल्ला मिर्जागंज, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ क्षेत्रफल:- 422 वर्ग मी. चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार)-: उत्तर: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण: छोटई का मकान, पूर्व : 15 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम: 15 फीट चौड़ी रोड	रु0 10,74,065/- दिनांक 23.04.2019 तक + अग्रिम ब्याज सहित संविदात्मक दर पर + लागत, प्रभार व अन्य खर्चे
2.	ऋणी: (1) श्री अतुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री आजाद कुमार गुप्ता (2) श्रीमती रीना गुप्ता पत्नी श्री अतुल कुमार गुप्ता, दोनों निवासी डी-14, राजाजीपुरम, लखनऊ जमानतकर्ता-श्री अमित कुमार गुप्ता पुत्र श्री आजाद कुमार गुप्ता, निवासी डी-14, राजाजीपुरम, लखनऊ मांग सूचना की तिथि- 12.07.2011 अधिग्रहण सूचना- 19.07.2019	साम्यिक बंधक भूमि व भवन का क्षेत्रफल:- 303.44 वर्ग मी. स्थित कॉटेज नं. ए-38, खसरा नं. 279 पर निर्मित, ग्राम कनार, तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार):-पूर्व: विक्रेता की सम्पत्ति कॉटेज नं. ए-39, पश्चिम: विक्रेता की सम्पत्ति कॉटेज नं. ए-37, उत्तर: आम का बाग (श्री हकीम), दक्षिण: लखनऊ हरदोई रोड	रु0 11,99,184/- दिनांक 30.06.2011 तक + अग्रिम ब्याज सहित संविदात्मक दर पर + लागत, प्रभार व अन्य खर्चे
3.	ऋणी: (1) श्री मोहम्मद रिजवान पुत्र श्री स्व. मोहम्मद रमज़ान (2) श्रीमती शन्नो पत्नी श्री मोहम्मद रिजवान दोनों निवासी म.नं. 133/250 पुरानी सब्जी मंडी, अमीनाबाद, लखनऊ-226018 मांग सूचना की तिथि- 28.11.2018 अधिग्रहण सूचना- 19.07.2019	साम्यिक बंधक मकान नं. 161/17, मोहल्ला ताजीखाना, वार्ड मसकगंज, जिला-लखनऊ क्षेत्रफल:- 47.397 वर्ग मी. चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार)-:पूर्व: श्री शफिक का मकान, पश्चिम: बिकी हुई सम्पत्ति का भाग उसके बाद 5 फिट रोड, उत्तर: इंदारा की सम्पत्ति, दक्षिण: माशूक अली का मकान	रु0 8,82,149.76 दिनांक 28.11.2018 तक + अग्रिम ब्याज सहित संविदात्मक दर पर + लागत, प्रभार व अन्य खर्चे
4.	ऋणी: श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी मकान नं. 2/327, वास्तु खंड, गोमती नगर लखनऊ-226010 मांग सूचना की तिथि- 09.05.2019 अधिग्रहण सूचना- 18.07.2019	सम्पत्ति के सभी व हिस्से भूमि व भवन श्री अरविन्द कुमार के नाम पर मकान नं. 2/327, वास्तु खंड, गोमती नगर, लखनऊ. क्षेत्रफल:- 40 वर्ग मी. चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार)-: उत्तर: प्लॉट नं. 2/341ए, दक्षिण: रोड 4.5 मीटर चौड़ी, पूर्व : प्लॉट नं. 2/326, पश्चिम: प्लॉट नं 2/328	रु0 25,53,849/- दिनांक 08.05.2019 तक + अग्रिम ब्याज सहित संविदात्मक दर पर + लागत, प्रभार व अन्य खर्चे

नोट (सम्पत्ति क्र स. 3 के लिए)- पिछला कब्जा नोटिस 13 (4) दिनांक 16.02.2019 को जारी तकनीकी कारण से रद्द कर दिया गया है और बैंक / सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया प्रतीकात्मक कब्जा इस नोटिस द्वारा आपके पते पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

दिनांक: 23.07.2019 — स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) [नियम-8(1)]

चूंकि, उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि. का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि की अदायगी के लिए कर्जदार/गारंटर को आमंत्रित करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्चों के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/रेहनकर्ता के नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
इफ्तखार अहमद सुपुत्र अब्दुल मजाज और सह-कर्जदार/रेहनकर्ता अफरूज पत्नी इफ्तखार अहमद दोनों निवासी प्लाट नं. ए 8/3, खसरा नं. 594, शिव वाटिका कालोनी, ग्राम मकान पोली, नजदीक लाल मंदिर, जावा रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 पर भी: मकान नं. 218, आजाद कालोनी, ग्राम हर्जीपुर, लोनी देहात, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, ऋण खाता नं. 3203803000000001	प्लाट नं. ए 8/3, खसरा नं. 594, शिव वाटिका कालोनी, ग्राम मकान पोली, नजदीक लाल मंदिर, जावा रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित 50 वर्ग यार्ड (41.61 वर्ग फुट) के विस्तार वाले रिहायशी मकान वाली भूमि के साथ भवन, निर्माण तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पूर्वः प्लाट, पश्चिमः 15 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लाट, दक्षिणः प्लाट।	20.02.2019	19.07.2019	3,96,802/- रू. और वर्तमान बकाया 3,95,329/- जो 18.07.19 को देय है व उस पर ब्याज
श्री राजवीर सुपुत्र श्री कालीचरण और सह-कर्जदार/रेहनकर्ता श्री रामेश्वर सिंह सुपुत्र श्री कालीचरण व श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी कालीचरण, सभी निवासी 354, मौजा बाती, तहसील व जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004 ऋण खाता नं. 231179500000003	पुराना खसरा नं. 882, नया खसरा नं. 1672, मौजा बाती, तहसील व जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004 में स्थित 100 वर्ग यार्ड के विस्तार वाले भूमि के साथ भवन, निर्माण तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पूर्वः हरि सिंह की संपत्ति, पश्चिमः गुड्डी देवी की भूमि, उत्तरः गुड्डी देवी की भूमि, दक्षिणः सड़क।	08.05.2019	20.07.2019	2,97,723/- रू. और वर्तमान बकाया 2,44,079/- जो 18.07.19 को देय है व उस पर ब्याज
श्री खेम सिंह सुपुत्र तेजपाल और सह-कर्जदार/रेहनकर्ता श्री मुकेश सुपुत्र तेजपाल व मुखिया पत्नी तेजपाल, सभी निवासी शिव नगर कॉलोनी, तैयपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 ऋण खाता नं. 231179500000001	खसरा नं. 91, मौजा तैयापुर, तहसील मथुरा -281001 में स्थित 83.61 वर्ग मी. के विस्तार वाली भूमि के साथ भवन, निर्माण तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पूर्वः सोदान सिंह की भूमि, पश्चिमः 10 फुट की सड़क, उत्तरः सेलर की भूमि, दक्षिणः त्रिवेणी देवी का प्लाट।	08.05.2019	20.07.2019	2,13,697/- रू. और वर्तमान बकाया 2,11,066/- जो 18.07.19 को देय है व उस पर ब्याज

दिनांक: 22.07.2019 — स्थानः गाजियाबाद/ मथुरा — प्राधिकृत अधिकारी

सीबीआइ ने एनपीसीसी के अधिकारी के घर, दफ्तर की तलाशी ली

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

सीबीआइ ने रिश्वतखोरी के मामले में एनपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर व दफ्तर की तलाशी ली और 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता लगाया।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एनपीसीसी के गुवाहाटी के दो अधिकारियों के खिलाफ जांच के तहत यह तलाशी की कार्रवाई की गई है। इन दोनों अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकी के निर्माण से संबंधित बिल को मंजूरी देने के लिए कथित रूप से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने बताया कि 'नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटिड' के कॉरपोरेट मुख्यालय में तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मनोहर कुमार के दफ्तर की तलाशी ली गई है।

सपा विधायक का वीडियो : भाजपा समर्थक दुकानदारों से सामान न खरीदने की अपील

लखनऊ, 22 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के कैराना (शामली) से सपा के विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस वीडियो में कथित तौर पर वह अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा समर्थक दुकानदारों से सामान न खरीदें। वह यह भी कह रहे हैं कि उन लोगों के सामान खरीदने से ही भाजपा वालों की दुकान में सामान बिकता है और उनका घर चलता है। सपा विधायक नाहिद हसन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर कह रहे हैं कि मेरी आप सभी से यह अपील है। सभी कैराना और आसपास के गांव के लोग, जो यहां से सामान खरीदते हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि भाजपा के जितने भी लोग बाजार में हैं इनसे सामान लेना बंद कर दें।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका नई दिल्ली-110075
फोन नं. : (011-28044687), ई-मेल : smonga@pnb.co.in; hogad@pnb.co.in

शुद्धिपत्र (ई-नीलामी बिक्री नोटिस)

यह प्लॉट नं. 7 भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली (पिन -110607) में स्थित बैंक की इमारत के प्रस्तावित बिक्री के दिनांक **06.07.2019** के विज्ञापन के सन्दर्भ में है। यह एतत्द्वारा जानकारी हेतु अधिसूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति केवल सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को ही बेची जाएगी। दिनांक **06.07.2019** के विज्ञापन की अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिक जानकारी के लिए, बैंक की वेबसाइट **https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx** पर जा सकते हैं।

दिनांक : 22.7.2019
स्थान : नई दिल्ली
प्रबंधक, एस के मोंगा, मुख्य (98166 10262)

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोची - 682015
दूरभाष : 0484 2501307, फैक्स : 0484 2370897
वेबसाइट : http://www.cochinshipyard.com; CIN: L63032KL1972GOI002414

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार प्रतिभूति और विनिमय के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही केलिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदित करने केलिए दिनांक 29 जुलाई, 2019 (सोमवार) को कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित करने के लिए अनुसूचित है।

उक्त सूचना कंपनी के वेबसाइट http://www.cochinshipyard.com से ली जा सकती है और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों http://www.bseindia.com और http://www.nseindia.com से भी ली जा सकती है। इसके अनुसरण में कंपनी ने निर्णय लिया है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिभूतियों को संभालने में आंतरिक व्यापार के निषेध केलिए आंतरिक प्रक्रिया और आचरण के संहिता के अधीन बंद अवधि (अर्थात् ट्रेडिंग विन्डो की समाप्ति) दिनांक 01 जुलाई, 2019 से शुरू हुआ था दिनांक 29 जुलाई, 2019 को परिणाम प्रकाशित करने के बाद 48 घंटे में समाप्त होगी।

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
ह/-
वी कला
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : कोच्ची
दिनांक: 22 जुलाई, 2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि नियमों) 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों के वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(4) के अधीन सूचना। के विषय में
ओए नं. 785/2017/डीआरटी-III
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम मै. शरणम इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. व अन्य
आवेदक — **वादी**
सेवा में,
डी-1 मै. शरणम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (इसके निदेशकों के माध्यम से) निवासी 49, जेडी ब्लाक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, पर भी:- 414, वैस्ट एण्ड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, पर भी:- बी-10/1, राजौरी गार्डन, दिल्ली-110027
डी-2 श्री दीपक गोयल सुपुत्र श्री जगदीश गोयल @दीपक गोयल निवासी बी-5/1, जीवन ज्योति अपार्टमेन्ट्स, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, पर भी:- मकान नं. 93/27, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-110085 पर भी:- मकान नं. 78, डीडीडी हाउसिंग सोसायटी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
डी-3 श्री रवि कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री आनन्द कुमार गुप्ता निवासी बी-789, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली, पर भी:- ए-5/51, प्रथम तल, सेक्टर-16, दिल्ली-110085, पर भी:- 1885, गली अहीरान, भाजपा गंज, दिल्ली-110007

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध मामला दाखिल किया है और न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से तामील नहीं कराया जा सकता है। इसलिए प्रकाशन द्वारा दी गई इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 26.07.2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान रहे कि उपरोक्त वर्णित दिन पर आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायालय की मुहर के अधीन 10 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जोनल ऑफिसः नई दिल्ली 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23364535
हैड ऑफिसः 2, नेताजी सुभाष रोड़, कोलकाता-700001

प्रकाशन के माध्यम से सार्वजनिक प्रकाशन द्वारा सामान्य सार्वजनिक सूचना के लिए सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि संपत्ति डीडीए एमआईजी फ्लैट नम्बर-38-ए, जी.एफ., ब्लॉक-ईडी, पीतमपुरा दिल्ली-110088 में स्थित है जो कि श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल के नाम पर है जो इन्होने इलाहाबाद बैंक में खाता-आरएस मेटल उद्योग में ऋण लेने के लिए इलाहाबाद बैंक आजादपुर शाखा, दिल्ली के पास साथ बंधक बनवाया था। अब इलाहाबाद बैंक ने कानूनी तौर पर पूरे पूर्वोक्त संपत्ति में निहित अधिकार, शीर्षक और ब्याज से हासिल कर लिया है। तदनुसार, बड़े पैमाने पर जनता को सतर्क किया जाता है कि वे किसी भी तरीके से अर्जित संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन देन न करें और जो कोई भी उसके इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन करता है तो उससे सम्बंधित लागत, जोखिम और उसके परिणामों उसे स्वंय वहन करने होंगे।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.07.2019
एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी
इलाहाबाद बैंक

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय: 11, हेमन्ता बासू सरानी, कोलकाता - 700001.
तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा: मेझेनाइन फ्लोअर, युबीआई बिल्डिंग, 25, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुम्बई - 400001. फोन नं.: 022-22874109, ई-मेल: bmasm@unitedbank.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना
खाता: मैसर्स. टेम्पटेशन फुड्स लि.
अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियमावली, 2002के नियम 8(6) के साथ पठित सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) नियमावली, 2002के साथ पठित सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002के अंतर्गत **1) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 2) एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. एवं 3) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एडेलवाईस एआरसी लि. द्वारा अधिग्रहण की गई)** के पास गिरवी अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि., बैंकों- प्रतिभूत क्रेडीटरों की कुल बकाया उस पर आगे के ब्याज, लागतों, अन्य चार्जेस तथा खर्चे के साथ 06.07.2011 को **रु. 79,13,89,149.01** है तथा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (अब एडेलवाईस एआरसी लि.) का 11.07.2011 को **रु. 55,77,06,942.91** है तथा उस पर आगे के ब्याज, लागतों, अन्य चार्जेस तथा खर्चे के साथ सभी लैण्डरों के लिये सम्पूर्ण भुगतान किये जाने तक उस पर आगे के ब्याज, लागतों, अन्य चार्जेस तथा खर्चे के साथ **रु. 134,90,96,091.92** (रुपये एक सौ चौंतीस करोड़ नब्बे लाख छियानवे हजार इक्यानवे एवं पैसे बानवे मात्र) है। चूंकि, उपरोक्त ऋणधारक ने उपरोक्त बैंकों से साख सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा बकाये का भुगतान करने में विफल रहे, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) नियमावली, 2002के साथ पठित सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002के अंतर्गत ऋणधारकों / गारन्टरों / मोर्टगेजर्स को डिमाण्ड सूचना जारी की थी तथा उसके बाद गिरवी सम्पत्तियों का **भौतिक कब्जा** कर लिया था तथा अब, सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) नियमावली, 2002के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत **"जैसा है जहां है आधारपर, जो भी जैसा है आधारपर तथा जो कुछ भी यहां है आधारपर"** यहां नीचे वर्णित उक्त सम्पत्तियों का (ऊपर नामित बैंकों की सहमति से) बिक्री करने का फैसला किया है। प्रत्येक सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) का विवरण नीचे दिया गया है:

ई-नीलामी की तिथि: 09.08.2019
ई-नीलामी का समय: प्रति 5 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ सुबह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक।
ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि: 07.08.2019 (सायं 05.00 बजे तक)
सम्पत्ति का निरीक्षण: 01.08.2019 को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक।
सम्पत्ति क्र. 1 के लिये **श्रीमती जैसी मनी - मो.नं.: 9920086281** तथा सम्पत्ति क्र. 2 के लिये **श्री. प्रकाश जैन - मो.नं.: 9950099418** सम्पर्क व्यक्ति, **एक दिन पहले अनुमति के साथ।**

क्रम. सं.	सम्पत्ति की अवस्थिती एवं विवरण	ए) आरक्षित मूल्य (लाखों में) बी) ईएमडी (रु. में) सी) बोली गुणक (लाखों में)	ईएमडी खाता विवरण
1)	महाराष्ट्र राज्य में जेजुरी की ग्रामीण सीमाओं के भीतर तथा जेजुरी नगरपालिका परिषद की सीमाओं के बाहर, तालुका पुरन्दर, जिला एवं पंजीकरण जिला पुणे के भीतर जेजुरी औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नं. सी-2, माप 16000 वर्ग मी. अथवा उसके लगभग में स्थित बिल्डिंग, प्लान्ट एवं मशीनरी सहित कम्पनी की भूमि एवं अचल सम्पत्तियाँ तथा सम्पत्ति की चौहद्दी है: **उत्तर:** कृषिभूमी, **दक्षिण:** 40" चौडी सडक, **पूर्व:** कृषिभूमी, **पश्चिम:** कृषिभूमी	ए) रु. 708.00 लाख बी) रु. 70,80,000/- सी) रु. 5.00 लाख	खाता नं.: 0284213401459, आयएफएससी कोड: UTBI0BOM601 खाता का नाम: परिसम्पत्ति वसुली प्रबंध शाखा मुम्बई
2)	ग्राम रथधाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित कम्पनी की बिल्डिंग, प्लान्ट एवं मशीनरी तथा भूमि माप 50 कनाल 10 मरले। सम्पत्ति की चौहद्दी है: **उत्तर:** प्लॉट नं. पी-एमएसईबी, **दक्षिण:** सडक एवं एमआईडीसी कार्यालय, **पूर्व:** प्लॉट नं. सी।- मैसर्स. इंडियाना, **पश्चिम:** पुणे - पंढरपुर सडक	ए) रु. 1242.00 लाख बी) रु. 1,24,20,000/- सी) रु. 5.00 लाख	खाता नं.: 0284213401459, आयएफएससी कोड: UTBI0BOM601 खाता का नाम: परिसम्पत्ति वसुली प्रबंध शाखा मुम्बई

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट अर्थात www.unitedbankofindia.com में दी गई लिंक (ई-निलामी) देखें।

स्थान: मुम्बई
तिथी: 23.07.2019
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
कार्यालय वसली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

आर सी नं. 107/2014 — **सार्वजनिक नीलामी सूचना** — दिनांक 02.07.2019

निम्नांकित सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा अधोल्लिखित विवरणानुसार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम श्री राज कुमार मित्तल एवं अन्य (आर सी नं. 107/2014) के खाते में देययोग्य बकाये की वसूली हेतु उनके समक्ष अंकित की गयी तिथि व समय पर बेचा जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (ईएमडी) (रू).	ई-निलामी की तिथि व समय
संपत्ति नं. जे-15/6, भूतल, गली नं. 1, जय प्रकाश नगर, गमरी रोड, गोंडा, इलाका-शाहदरा, दिल्ली-110053	**₹ 26,10,000/-** (रु छब्बीस लाख दस हजार मात्र)	**₹ 2,61,000/-** (रु दो लाख इकसठ हजार मात्र)	**23-08-2019** अपॉ. 03.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है)

सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	उपलब्ध नही
किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	
विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।	

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम श्री राज कुमार मित्तल एवं अन्य

1. श्री राज कुमार मित्तल पुत्र श्री ओम प्रकाश मित्तल, निवासी: जे-15/6, गली नं. 1, जय प्रकाश नगर, गमरी रोड, गोंडा, दिल्ली - 110053
2. मैसर्स मित्तल नवल्टीज, श्री राज कुमार मित्तल द्वारा 182, जे जटवाड़ा, सदर बाजार, दिल्ली -110006
3. श्रीमती पुष्पा मित्तल, पत्नी श्री राज कुमार मित्तल, निवासी: जे-15/6, गली नं 1, जय प्रकाश नगर, गमरी रोड, गोंडा, दिल्ली -110053

जैसा कि आपने पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 250/2010/डी आर टी-III, दिल्ली में ऋणवसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग्य रु. 12,39,956 (रु. बारह लाख उनतालीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) और साथ में साधारण ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित प्रमाणपत्र के अनुसार देय योग्य ब्याज व लागत का भुगतान प्रतिवादी संयुक्त रूप / व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है।

और जैसाकि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जहाँ पर रु. 12,39,956 (रु. बारह लाख उनतालीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) और साथ में ओ. ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात 04.10.2010 से साधारण वार्षिक ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित अदायगी की तिथि तक देनदारों से संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से देय है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव मे उक्त सम्पत्ति को ई-नीलामी द्वारा 23.08.2019 को बेचा जाएगा तथा बोली को वेबसाईट **website : https://www.drt.auctiontiger.net.** के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्योर) ए-201/208, वॉल स्ट्रीट - II, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, की वेबसाइट के माध्यम से "ऑन लाईन इलैक्ट्रॉनिक बिड" से नीलाम किया जाएगा। सम्पर्क श्री नितिश झा, मोबाइल **7982880393**, ई-मेल : **delhi@auctiontiger.net** से सम्पर्क करें।

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के ऑफिसर श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, मो. 8171626615 से संपर्क कर सकता है।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। किसी लॉट के नीचे गिरने पर भी बिक्री समाप्त कर दी जाएगी। बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत ब्यान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाएंगे।

1. आरक्षित मूल्य रु. 26,10,000/- (रुपये छब्बीस लाख दस हजार केवल) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी।
2. निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख केवल)। निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।
3. किसी भी लॉट के सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।
4. धरोहर राशि रु. 2,61,000/- (रु दो लाख इकसठ हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के रूप में, जिसे ऋणवसूली अधिकारी-II, डी आर टी-III, दिल्ली के पक्ष में, दिल्ली में देय हो को, अंतिम तारीख 21.08.2019 तक वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली में जमा करना होगा। उसके उपरान्त प्राप्त धरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नहीं होगी।
5. पैन कार्ड के प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और यदि बोलीदाता अपने ओर से या अपने मूल कार्यालय की ओर से बोली लगा रहा है तो उसे घोषणा पत्र जमा करना होगा। उत्तरार्द्ध मामले में उसे एथारिटी लैटर जमा करना होगा, और डिफॉल्ट के मामले में उनकी बोली अस्वीकार कर दी जायेगी और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी / निरुपण को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रसीद / काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक के पास पहुँच जायें और वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास हार्ड कॉपी पहुँच जानी चाहिए।
6. सफल बोलीदाता को उक्त पैरा 4 में अंकितानुसार विवरणानुसार कथित एकाउन्ट में बोली छूटने के अगले बैंक कार्यदिवस यानि अप. 3.00 बजे तक धरोहर राशि को समायोजित करने के बाद अपनी बोली आगम की 25 प्रतिशत राशि को जमा करना होगा।
7. सम्पत्ति का क्रेता बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत मूल्य सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो उक्त पैरा-4 के अंकितानुसार निर्धारित विधि द्वारा अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाएगा। उक्त के अलावा क्रेता को 1000/- तक 2 प्रतिशत की दर से तथा रु. 1000/- से अधिक ऐसी राशि की अधिकता पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में भी जमा करना होगा।
8. यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद जमा रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद में बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगे।
9. असफल बोलीदाता / ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा
10. वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
11. सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा
12. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

मेरे समक्ष दिनांक 02.07.2019 को मोहर किया गया
(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी-II, ऋणवसूली अधिकरण-III, दिल्ली

शेयर सूचकांक 306 अंक लुढ़क कर दो महीने के निम्न स्तर पर

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला तीसरे दिन भी बना रहा और बीएसई सूचकांक 306 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दो प्रमुख घरेलू वित्तीय कंपनियों एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में भारी बिकवाली से साथ प्रमुख सूचकांक नीचे आ गए।

शेयर बाजारों में कुल मिलाकर 18 जुलाई से 3.05 फीसद यानी 1,184.15 अंक की गिरावट आ चुकी है। तीस नामी शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 305.88 अंक यानी 0.80 फीसद की गिरावट के साथ 38,031.13 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक का यह स्तर 17 मई के बाद न्यूनतम है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.10 अंक यानी 0.72 फीसद टूट कर 11,337.15 पर बंद हुआ। पिछले बृहस्पतिवार से 50 शेयरों वाला सूचकांक 3.03 फीसद यानी 350 अंक नीचे आया है। कारोबारियों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से पूंजी निकासी और रुपए की विनिमय दर में गिरावट से भी बाजार के प्रति धारणा प्रभावित हुई। सूचकांक के शेयरों में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को सर्वाधिक नुकसान हुआ तथा दोनों के शेयर क्रम से 5.09 फीसद और 3.32 फीसद नीचे आए। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बढ़ने की रपट से शेयरों को नुकसान हुआ। एचडीएफसी बैंक का सकल एनपीए बढ़कर 11,768.95 करोड़ रुपए पर पहुंच गया यह उसके कुल बकाया कर्जों के 1.50 फीसद के बराबर है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018–19 की इसी तिमाही में बैंक का एनपीए 9,538.62 करोड़ रुपए था जो कुल कर्ज का 1.33 फीसद था। बैंक ने एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के लिये भी प्रावधान बढ़ाया है।

नुकसान में रहने वाले अन्य प्रमुख शेयरों में कोटक बैंक, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावरग्रिड में 3.08 फीसद तक की गिरावट आई। मानसूनी बारिश औसत से कम होने के कारण कमजोर धारणा से तेल, साबुन जैसे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों में आईटीसी और एचयूएल में क्रमशः 1.47 फीसद और 2.67 फीसद की गिरावट आई।

वहीं लाभ में रहने वालों में येस बैंक शीर्ष पर रहा। इसमें 9.49 फीसद की तेजी आयी। उसके बाद क्रमशः वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, मारुति और सन फार्मा का स्थान रहा। इनमें 3.85 फीसद तक की तेजी आई।

एस्सार दिवाला मामले में अदालत का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार दिवाला प्रकरण में सोमवार की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निगरानी समिति सात अगस्त को मामले की सुनवाई होने तक अपना काम करती रहेगी। पीठ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के चार जुलाई के आदेश के खिलाफ कर्जदाताओं की समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने इस आदेश में एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के नेतृत्व वाली अर्सलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दे दी है। अपीली न्यायाधिकरण कर्ज में डूबी इस कंपनी के एक प्रमुख शेयरधारक आर्सेलरमित्तल की बोली लगाने वाले की आर्हता को चुनौती देने वाली अर्जी नामंजूर कर दी है।

कर्ज में डूबी एस्सार स्टील पर वित्तीय लेनदारों और दैनिक परिचालन के लिए माल और सेवाएं उधार देने वालों के कुल 54,547 करोड़ रुपए की बकाया राशि के समाधान के लिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता के तहत इस कंपनी की नीलामी की गयी थी। अपीली न्यायाधिकरण ने कहा था कि वित्तीय लेनदारों (ऋणदाताओं) को उनके 49,473 करोड़ रुपए के दावे का 60.7 फीसदी धन मिलेगा जबकि शेष राशि उधार आपूर्ति करने वालों को जाएगी।

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.: +91 11 23357940-45
Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday, August 1, 2019, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results (standalone & consolidated) of the Company for the first quarter ended June 30, 2019.

The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For ICRA Limited
(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: July 22, 2019

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, फेस-1, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव - 122 002 (हरियाणा)
फोनः +91-124-4334200
CIN: L70101HR1963PLC002484
वेबसाइटः www.dlf.in; ई-मेलः investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2019** को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के **अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों** (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार विमर्श किया जाएगा।

इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट **http://www.dlf.in/board-meeting-notice** तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों **www.nseindia.com** एवं **www.bseindia.com.** पर भी उपलब्ध है।

कृते डी एल एफ लिमिटेड
हस्ता/-
(सुभाष सेतिया)
कम्पनी सचिव

गुरुग्राम
22.07.2019

Karur Vysya Bank

Smart way to bank

मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड
करलबाग,नई दिल्ली–110005
फोनः 011–28758374/2875375/76/77
ई–मेलः Delhido@kvbmail.com
viswanadhama@kvbmail.com

बिक्री सूचना तिथि 8.7.2019 का संवर्धन

बी–43, एमआईजी, भूतल, बैक साइड, डीएलएफ, दिलशाद एक्स्टेंशन II, साहिबाबाद, गाजियाबाद में सम्पत्ति की बिक्री के संदर्भ में बिक्री सूचना तिथि 8.7.2019 के लिये सर्व–साधारण के साथ ही साथ ऋणधारकों अर्थात् 1) श्री पीयूश गोयल, पुत्र श्री सतीश कुमार गोयल, तथा 2) श्री सतीश कुमार गोयल, पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप, दोनों निवासी बी–43, एमआईजी, भूतल, डीएलएफ, दिलशाद एक्स्टेंशन–II, भोपुरा, गाजियाबाद–201005 ध्यान दें। नीलामी की तिथि अनजाने में 17.12.2018 वर्णित हो गई है। उसे कृपया 23.08.2019 पढ़ें।

तिथिः 22.07.19
स्थानः दिल्ली एनसीआर

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

गाँधी नगर शाखा
X/918, चाँद मोहल्ला, दिल्ली–110031

कब्जा सूचना

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर, दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार श्री युसुफ खान / मैसर्स युसुफ इंटरप्राईजेज़ को मांग सूचना दिनांकित 06.11.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **65,01,723.66** (रुपये पैसठ लाख एक हजार सात सौ तेईस और पैसे छियासठ मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 17.07.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर शाखा, दिल्ली) के प्रभार वास्ते रु. **57,34,610.66** दिनांक 16.07.2019 तक और दिनांक एनपीए की तिथि अर्थात 31.10.2018 से ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

नं. सी–258, बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली–110013 में स्थित, यह सम्पत्ति युसुफ खान के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्रवेश / गली, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति

दिनांक : 17.07.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

सार्वजनिक सूचना

रिट याचिका (सिविल) 688/2016 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2019 के अनुसरण में ब्लॉक 15, त्रिलोकपुरी के सभी डीएमआरसी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि त्रिलोकपुरी में नवनिर्मित इकाइयों का लॉटरी से आबंटन न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में मयूर विहार फेस–1 मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी कार्यालय में बुधवार 24 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे निर्धारित किया जाता है।

सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिये स्थान पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय और स्थान पर उक्त आबंटन में उपस्थित नहीं होता है, उसकी लॉटरी मनोनीत समिति द्वारा निकाल दी जायेगी। इसके बाद डीएमआरसी द्वारा आबंटित इकाइयों में किसी तरह के परिवर्तन के लिये किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन संख्या: डीएमआरसी/841/2019

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

(Jurisdiction Part of U.P. and Uttranchal)
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007
Summons for filing Reply & Appearance by Publication

O.A. No. 405/2018 Date 14-05-2019

(Summons to Defendant under Section 19(4), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

Canara Bank .....Applicant

Versus

M/s ABSA Aqua Pvt. Ltd. & Others ....Defendants

To,

1. M/s ABSA Aqua Pvt. Ltd. Registered office at : K -266, UPSIDC, Surajpur Site-V Industrial Area, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar, (U.P.). Registered office at : 205, Allesh House, 16/3, W.E.A. Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi
2. Shri Ravi Raj Lamba Son of Shri Tirath Ram Lamba, Resident of EH-1/406, Eldeco Utopia Sector-93A, Noida, G.B. Nagar, (U.P.)
3. Shri Abhishek Lamba Son of Shri Ravi Lamba, Resident of EH-1/406, Eldeco Utopia Sector-93A, Noida, G.B. Nagar, (U.P.)

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **29-07-2019 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Bank of India

Relationship beyond banking

मोरादाबाद मुख्य शाखा
चौमुखापुल, मोरादाबाद
फोन नं.: 0591–2316063, 2316062
ईमेलः moradabad.ghaziabad@bankofindia.co.in

[देखें नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26.7.2017 जारी कर ऋणधारक मै. माइसेल्फ तथा उसके प्रॉप्राइटर श्री विकास भोला, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार तथा गारन्टरों श्रीमती उषा रानी भोला, पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,32,410/– (रुपये पाँच लाख बत्तीस हजार चार सौ दस मात्र) के साथ 26.7.2017 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा सम्पूर्ण भुगतान तक अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक मै. माईसेल्फ तथा उसके प्रॉप्राइटर श्री विकास भोला, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार तथा गारन्टरों श्रीमती उषा रानी भोला, पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों, गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,32,410/– (रुपये पाँच लाख बत्तीस हजार चार सौ दस मात्र) के साथ 26.7.2017 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज [सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना जारी करने के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाक] के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती उषा रानी, पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार के नाम में क्वा. नं. 59 बी, आदर्श नगर, मोरादाबाद, क्षेत्रफल माप 72.67 एसक्यूएम में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।

चौहद्दीः
पूर्व : सरदार मोहर सिंह का मकान, **पश्चिमः** श्रीमती कमलेश कुमारी का मकान
उत्तरः रोड
दक्षिण : श्री बृज पाल, पुत्र श्री ओम प्रकाश का मकान

तिथिः 17.7.2019
स्थानः मोरादाबाद

बैंक ऑफ इंडिया के लिये
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

spice
Spice Mobility Limited

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Centre, New Delhi -110025; Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@smobility.in
Website: www.spicemobility.in; CIN: L72900DL1986PLC330369

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 30th July, 2019 to inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

A copy of the aforesaid Notice and the Financial Results after approval by the Board in the aforesaid Meeting will be available on the website of the Company at www.spicemobility.in.

By Order of the Board
For Spice Mobility Limited
M R Bothra
Vice President - Corporate Affairs & Company Secretary

Date: 22nd July, 2019
Place: New Delhi

SBI

एंटरप्राइज व टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (E&TA) विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

प्रस्ताव के लिए अनुरोध
एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) टूल की प्राप्ति, संस्थापन, सेटअप और रखरखाव के लिए

भारतीय स्टेट बैंक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) टूल की प्राप्ति, संस्थापन, सेटअप और रखरखाव के लिए भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठित कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर "**प्रोक्योरमेंट न्यूज**" पर विजिट करें.

स्थानः नवी मुंबई
दिनांकः 23/07/2019

हस्ता/-
प्रमुख (E & TA)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
CONCOR एक नवरत्न कंपनी

आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

"एमएमएमएमपी/लाइफ्टिंग, राजस्थान में रेलसाइड पर कंटेनरों की लॉकिंग एवं अनलॉकिंग के समय वैगनों की लॉकिंग एवं अनलॉकिंग तथा डबल स्टैक लॉक्स हेतु इनवेंटरी मैनेजमेंट" हेतु सिर्फ ई-टेंडर माध्यम से एक पैकेट (टेक्नो-कॉमर्शियल) प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। [illegible] (www.tenderwizard.com/CCIL) से [illegible] रु. 1000.00 का ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत [illegible]

निविदा संख्या	CON/NR/TC/Lockmen/CMLK/2019
कार्य का नाम	रेलसाइड पर कंटेनरों की लॉकिंग एवं अनलॉकिंग के समय वैगनों की लॉकिंग एवं अनलॉकिंग तथा डबल स्टैक लॉक्स हेतु इनवेंटरी मैनेजमेंट
अनुमानित लागत	₹ 62,32,092/- प्रति वर्ष
अनुबंध की अवधि	2+2+1 वर्ष
धरोहर जमा राशि	रु. 1,24,700/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेजों की लागत	रु. 1000/- सभी कर एवं शुल्कों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग फीस	रु. 3,677/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित (अप्रतिदेय) ई-भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	23.07.2019 को 15:00 बजे से 06.08.2019 को (16:00 बजे तक)
पूर्व बोली बैठक	29.07.2019 को 15:00 बजे
शुद्धिपत्र, अगर कोई हो तो	सिर्फ www.tenderwizard.com/CCIL पर 31.07.2019 [illegible] उपलब्ध
जमा करने की अंतिम तिथि व समय	07.08.2019 को 15:00 बजे तक
खुलने की तिथि व समय	08.08.2019 को 15:30 बजे

विस्तृत जानकारी एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL पर [illegible] www.tenderwizard.com/CCIL

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

TATA POWER-DDL

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. ऑफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009
फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट : www.tatapower-ddl.com

निविदा आमंत्रण सूचना July 23, 2019

टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200001140/19-20 RFx No. 5000001447 2 Year RC for ITC of 33kV & 66kV Bay Extension works in Tata Power-DDL	18.57 Crs/ 5,00,000	24.07.2019	14.08.2019; 1600 Hrs/ 14.08.2019; 1630 Hrs

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि
TPDDL/ENGG/ENQ/200001126/19-20 RC for Supply of 11kV Pole Mounted Fast Acting Single Phase Smart Reclosers	27.06.2019	30.07.2019 at 1600 Hrs/ 30.07.2019 at 1630 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001129/19-20 Rate Contract for Supply of GI Pipes 100mm, 50mm, 40mm for 2 Years	03.07.2019	24.07.2019 at 1600 Hrs/ 24.07.2019 at 1700 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है
website www.tatapower-ddl.com→Vendors Zone→Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

कब्जे की सूचना

जैसे की, श्री राम हाऊसिंग फायनेन्स लिमिटेड (मूल ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेक्युरिटायझेशन अँण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनानशियल अँसेट्स अँण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अँक्ट, २००२ के अनुसार और धारा १३(१२) सपठीत सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स के नियम ३ के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत ऋणदारों को उनके नामों के समक्ष निर्देशित राशि का प्रदान संबंधित सूचना में निर्देशित लागू दरों पर ब्याज के साथ संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से ६० दिनों के भीतर प्रदान और या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, मूल्य, प्रभार आदि के साथ करने के हेतु निर्देश देनेवाली मांग जारी की गई थी

अ. क्र.	ऋण खाता सं.	ऋणी/सह - ऋणी/जमानतदार का नाम	कुल बकाया राशि रु में मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक व प्रकार
१	SHLHAGRA0000014	श्रीमती उषा देवी / श्री प्रताप सिंह	10,88,720/- १/११/२०१८	१७ - जुलाई -२०१९ सांकेतिक

बन्धक संपत्ति का विवरण : खसरा नं. १९ में स्थित सारी वस्तु और पार्सल संपत्ति, मीरा विहार, मौजा कहराइ, ताजगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश ६० .२० वर्ग मीटर नाप, सीमा : पूर्व - हरफूल का प्लाट, पश्चिम : १८फीट सड़क, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - अन्य संपत्ति

उक्त वर्णित खाता, मूल ऋणदाता के द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि के बिना शर्त एवं अखंडनीय रूप से अभीहस्तांतरित कर दिया है। तथापि, कर्जदार द्वारा संबंधित राशि का प्रदान करने में असफल होने के कारण यह सूचना विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को तथा आम जनता को दी जाती है की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के धारा १३(४) सपठीत इस नियम के नियम ८ के तहत उन्हे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उपरी निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति का प्राधिकृत अधिकारी ने उपरी निर्देशित तिथि को **सांकेतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को और आम जनता को आगाह किया जाता है की वे इस निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति के संदर्भ में व्यवहार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि (आर्सिल) के प्रभारों के अधीन होगा. कानून के धारा १३ के उपधारा (८) के प्रावधानों के तहत कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभूत संपत्ति विमुक्त करें। प्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा १३ के उपधारा (८) के प्रावधानों के तहत कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभूत संपत्ति विमुक्त करें।

स्थल : आगरा
दिनांक : २३/०७/२०१९

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.

Arcil
अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय : [illegible], १० वी मंजिल, २९ सेनापति बापट मार्ग, दादर (प), मुंबई - ४०० ०२८.
फोन : +९१-२२६६५८१३००. वेबसाइट : www.arcil.co.in; CIN No.: U65999MH2002PLC134884.
शाखा पता : दूसरी मंजिल, सेठी चेम्बर्स, प्लाट नं २, डीडीए शॉपिंग काम्प्लेक्स, एमओअर लैंड, नया राजिंदर नगर, नई दिल्ली -११००६०

Bank of India

Relationship beyond banking

मोरादाबाद मुख्य शाखा
चौमुखापुल, मोरादाबाद
फोन नं.: 0591–2316063, 2316062
ईमेलः moradabad.ghaziabad@bankofindia.co.in

[देखें नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 03.01.2019 जारी कर ऋणधारक मोह. आरिफ, पुत्र स्व. श्री रहीस खान तथा गारन्टरों श्री शरताज खान, पुत्र श्री हबीब खान को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,83,290/53 (रुपये चार लाख तिरासी हजार दो सौ नब्बे एवं पैसे तिरेपन मात्र) के साथ 4.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा सम्पूर्ण भुगतान तक अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक मो. आरिफ, पुत्र स्व. श्री रहीम खान तथा गारन्टरों श्री सरताज खान पुत्र श्री हबीब खान तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों, गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4,83,290/53 (रुपये चार लाख तिरासी हजार दो सौ नब्बे एवं पैसे तिरेपन मात्र) के साथ 4.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज [सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना जारी करने के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाक] के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण

मोह. आरिफ, पुत्र श्री रहीस खान के नाम में मकान सं. 1–बी मोहल्ला नवाबपुरा बगिया अहमद हसन की कोठी, निकट राम लाल फ्लोर मिल मोरादाबाद, क्षेत्रफल माप 53.47 एसक्यूएम में स्थित सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज

चौहद्दीः
उत्तर : प्लॉट नं. 1–श्री शराफत अली का एक मकान **पूर्वः** रोड
पश्चिमः प्लॉट नं. 2 श्री कमर का मकान
दक्षिण : प्लॉट नं. 16, श्रीमती कैसर सुल्ताना, पत्नी श्री हबीब खान का मकान

तिथिः 17.7.2019
स्थानः मोरादाबाद

बैंक ऑफ इंडिया के लिये
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

फॉर्म सं. आईएनसी–25ए

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र

एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–402, गणिनाथ निकुंज, प्लाट नं0–1, सेक्टर–5, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में है के मामले में

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 एवं नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है, जिसके संदर्भ में 20 जुलाई, 2019 को आयोजित अतिविशिष्ट सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है तो वह शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स लिमिटेड
ए–402, गणिनाथ निकुंज, प्लॉट नं0–1, सेक्टर–5, द्वारका, नई दिल्ली– 110075

कृते और आवेदक की ओर से
हस्ता/–
मुकुल कुमार सिन्हा
निदेशक
DIN:00943005

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20.07.2019

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई–निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/ फर्मों से विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, जौली रोड मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत निम्न कार्यों/ आपूर्ति हेतु ई–निविदायें ई–पोंटल **etender.up.nic.in** पर दो भागों में निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक–पृथक हस्तांतरित की जानी है) **UPPCL Executive Engineer, UPPCL 400 KV, Muzaffarnagar के पक्ष में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, नई मंडी, मुजफ्फरनगर** शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 1870219615 **(IFSC Code CBIN0280264)** में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथायोज्य यू.टी.आर. संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे–इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई–पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियॉ (PDF Format) तथा ई–निविदा के द्वितीय भाग मे दरे एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते ई–पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं अन्य व्यावसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। ई–निविदा को उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा। निविदा के प्रथम भाग में सम्बन्धित प्रपत्रों का अपलोड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नही खोला जायेगा। ई–निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई–निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई–निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/विभाजित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउनलोड, अन्य संशोधनों एवं ई–निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण निम्न प्रकार है–ई–निविदा संख्या, कार्य/सामग्री का विवरण, खुलने की दिनांक, आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य के क्रम में पढ़ा जाये। 1. निविदा संख्या टी–01/ 2019–20– 400 के.वी. उपकेन्द्र मुजफ्फरनगर पर 400 के.वी. के स्वीचयार्ड में आइसोलेटर्स के एम.ओ.एम. बॉक्स की मरम्मत एवं पेन्टिंग का कार्य। खोलने का दिनांक 26.08.2019, धरोहर राशि– रु. 2000.00 टेण्डर शुल्क– रु. 590/– (कर सहित) 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट–1 खोलने हेतु) 2. निविदा संख्या टी–02/2019–20:– 400 के.वी. उपकेन्द्र, मुजफ्फनगर पर स्वीचयार्ड में स्थापित विभिन्न उपकरणों की पेन्टिंग का कार्य। खोलने का दिनांक 26.08.2019, धरोहर राशि– रु. 2000.00 टेण्डर शुल्क– रु. 590/– (कर सहित) 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट–1 खोलने हेतु) 3. निविदा संख्या टी–03/2019–20:– 400 के.वी. उपकेन्द्र, मुजफ्फनगर पर स्थापित 315 एम.वी.ए. परिवर्तक–द्वितीय के चीलिंग टैंक एवं केबिल ट्रन्च की सफाई तथा केबिल स्पोर्ट रैक ही पन्टिंग का कार्य। खोलने का दिनांक 26.08.2019, धरोहर राशि– रु. 2000.00 टेण्डर शुल्क–रु. 590/– (कर सहित) 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट–1 खोलने हेतु) **हस्ता./– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, जौली रोड, मुजफ्फरनगर। "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक 962 दिनांक** 22.07.2019

Notice Inviting Tender

For and On behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra (SMVDSB) sealed Tenders on the prescribed format duly affixed with Revenue Stamps worth Rupees Six only and accompanied with following Earnest Money in the form of Demand Draft of any Scheduled/Nationalized/Commercial Bank pledged to the Chief Accounts Officer, SMVDSB are invited from the Original Manufacturers/ Authorized Dealers for the Design Supply, Installation, Testing and Commissioning of following Passenger Elevators of Shri Mata Vaishno Devi Institute of Medical Excellence & SMVDCoN, Kakryal, Tehsil-Katra, Distt: Reasi-J&K as per details given below:-

Sr. No.	Name of the Work	Class of Contractor	Qty.	Completion Time	DD Amount (In Rs.)
1.					
(a)	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 8 Passenger Capacity Elevators at **Sushrata-II, at SMVDIME Kakryal,** as per specification at APPENDIX–8 (i) & 9.	Manufacturers of a) Otis b) Kone c) Mitsubishi d) Johnson e) Thyssenkrupp f) Schindler	02 Nos.	180 Days	1.50 Lakh
(b)	Design, Supply, Installation, Testing & commissioning of 8 Passenger Capacity Elevators at **UG Hostel Block-I &II, of SMVDCoN, Kakryal,** as per specification at APPENDIX -8 (ii) & 9.		04 Nos.		
		Total	**06 Nos.**		**Rs.1.50 Lakh**

The Tender Documents containing detailed terms and conditions can be had from the Office of Executive Engineer, SMVDIME Kakryal, Katra against Demand Draft of Rs. 1000/- (Non-transferable & Non-refundable) on any working day from 10.00 A.M. to 05.00 P.M. and the same can also be downloaded from our website "**www.maavaishnodevi.org**". Cost of Tender Documents in the shape of Demand Draft drawn at Katra in favour of Chief Accounts Officer, SMVDSB must accompany the downloaded Tender Form. Incomplete Tenders or Tenders without Demand Draft, without Tender Cost and not received within the stipulated Date and Time shall be out rightly rejected.

The Tenders complete in all respects must reach the Office of the Chief Engineer, SMVDSB Kalika Dham, Jammu through Speed Post / Registered A.D / Reputed Courier Service only by or before **23.08.2019** upto **02:00 P.M. IST.** The Tender(s) will be Opened on the same day or any other subsequent day convenient to the Shrine Board in presence of such Tenderers who may like to be present on spot. The Chief Engineer reserves the right to accept or reject any Tender/Tenders without assigning any reason thereof

NIT No: SMVDIME/EE/T/ 12
Dated: 22/07/2019

Sd/- Executive Engineer
SMVDIME, Kakryal

कॉर्पोरेशन बैंक

(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)

अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28754615, 28754642, ईमेल आईडीः DLIREC@CORPBANK.CO.IN वेबसाईटः WWW.CORPBANK.COM

ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 7.8.2017 के 5.00 बजे अप. तक	ई–नीलामी की तिथि–8.8.2019 के 11.45 पूर्व. से 1.15 अप. तक

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व–साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के यहाँ नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

शाखा का नाम एवं पता	पश्चिम विहार शाखा, फोन नं. 011–25258519, 25287721, सम्पत्ति संबंधित किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः श्री चंडी कुमार, मोबाईल नं. 8076933102	
ऋणधारकों एवं गारन्टरों का नाम	ऋणधारकः तिरुपति ट्रान्सलॉजिस्टिक्स प्रा. लि. (ऋणधारक) प्लॉट 1, ब्लॉक ए 3, दूसरा तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली गारन्टर 1. कमल किशोर गोयल, 2. अनीता गोयल	बकाया राशिः रु. 20,98,89,546/– तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज
सम्पत्ति सं. 01 प्लॉट नं. 1, ब्लॉक ए 3, पश्चिम विहार, दिल्ली–2रा तल (पूर्वी भाग) बिना छत के अधिकार के– सुपर बिल्ट अप एरिया 1250 वर्ग फीट) में सम्पत्ति (भौतिक कब्जा) **ई–नीलामी की तिथि एवं समयः** 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,17,00,000/– जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 11,70,000/–, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/tirupati_translogistics_pvt_ltd.pdf में दी गई लिंक देखें।		
शाखा का नाम एवं पता	तिलक नगर शाखा, फोन नं. 011–25996927, 25990655, 25990736. सम्पत्ति–संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः श्री द्वारिका प्रसाद, मोबाईल नं. 7042694943	
ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम	**ऋणधारकः** मूव एंड टॉक दिल्ली, डी–114, जेल रोड, फतेह नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः कमलजीत कौर, **गारन्टरः** 1. गुरदीप, 2. कमलजीत कौर, 3. जसविन्दर सिंह, 4. जसवीर कौर श्रीमती गुरविन्दर कौर, 33/141, मुखर्जी पार्क एक्स्टें., तिलक नगर, नई दिल्ली	**बकाया राशिः** रु. 1,45,36,972.78/– तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज
सम्पत्ति सं. 02. श्रीमती गुरविन्दर कौर के नाम में आवासीय सम्पत्ति नं. 22/1ए, 2रा तल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 का सभी भाग तथा हिस्सा (**भौतिक कब्जा**) **ई–नीलामी की तिथि एवं समयः** 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्यः** रु. 45,90,000/–, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,59,000/–, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/move_and_talk_delhi__1.pdf में दी गई लिंक देखें।		
ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	**ऋणधारकः** रितूष शर्मा 80, साकेत, मेरठ–सह–देनदारः 1. श्रीमती रीना शर्मा	**बकाया राशिः** रु. 1056151/– तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज।
सम्पत्ति सं. 03. फ्लैट नं. 504, 4था तल, रॉयल ब्लैक, सुपरटेक ईस्टेट जो ग्राम–प्रह्लाद गढ़ी, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित है, का ईएमजी (सांकेतिक कब्जा) **ई–नीलामी की तिथि एवं समयः** 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 45,05,000/–, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,50,000/–, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritush_sharma_2.pdf में दी गई लिंक देखें।		
शाखा का नाम एवं पता	शालीमार बाग शाखा, फोन नं. 011–27470276, 27483072, 27483073, मो. 7042694935	
ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम एवं पता	ऋणधारकः बाबा एप्लिएंसेस प्रा. लि., ए–16, गली नं. 17, लिबासपुर, दिल्ली, प्रॉप्राईटर का नामः श्री संजीव कपूर, श्रीमती गीता कपूर, गारन्टरों का नामः 1 संजीव कपूर, ए–16, गली नं.17, लिबासपुर, दिल्ली–2, गीता कपूर, एच. नं. 1385, किशनपुर, सहारणपुर, उत्तर प्रदेश	बकाया राशिः रु. 12,08,30,518/– तथा उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज

संपत्ति सं. 04. खसरा नं. 396/1 मिन, ग्राम गोपालपुरा, माजरा दारा कोट्टला बैरुन, बेस्ट रोड, सहारणपुर, पिन–247001, उत्तर में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन (सांकेतिक कब्जा)
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 1,20,15,000/–, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 12,01,500/–, बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 5: कम्पनी गार्डन, एम.एस. डिग्री कॉलेज, एसडी बॉयम इन्टर कॉलेज, नायमैश कैम्प, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के निकट परिक्षेत्र में वाके दारा मिल्कान बैरुन मोहित विहार कॉलोनी, निकट माधो नगर तथा न्यू माधो नगर में स्थित प्लॉट नं.–11 तथा खसरा नं.–608/2 (एम) के पूर्वी भाग का एक मंजिला आवासीय बिल्डिंग। (सांकेतिक कब्जा)
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्यः** रु. 22,05,000/–, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 2,20,500/– बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/bawa_appliances_pvt_ltd2_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 6: आवासीय फ्लैट नं. बी 3/804, 8वाँ तल, तुलिप ग्रैण्ड, अकबरपुर बरोटा, सेक्टर–35, सोनीपत, हरियाणा (एरिया–1679 वर्ग फीट) (सांकेतिक कब्जा)
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्यः** रु. 32,40,000/–, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 3,24,000/– बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/bawa_appliances_pvt_ltd3_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 7: शॉप नं. 20, नगर पालिका नं. 2बी/112, वाके पाठानपुरा, डार आबादी, मिशन कम्पाउण्ड, मिशन मार्केट, कोर्ट रोड, सहारनपुर
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 8.8.2019 को 11.45 पूर्वा. से 1.15 अप. तक, 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। **आरक्षित मूल्यः** रु. 1,34,50,000/–, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 13,45,000/– बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_appliances_pvt_ltd4_0.pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 22.7.2019, स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, कॉर्पोरेशन बैंक

इमरान के संबोधन के दौरान स्वतंत्र बलूचिस्तान के पक्ष में नारेबाजी

वाशिंगटन, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के यहां एक सभागार में भाषण के दौरान युवा बलूचों के एक समूह ने पाकिस्तान के खिलाफ और आजाद बलूचिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की।

खान पाकिस्तानी मूल के अमेरिकियों की विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब बलूच युवा अचानक से सीटों पर खड़े हो गए व नारेबाजी करने लगे। पाकिस्तान के सुरक्षाबलों द्वारा बलूचों पर किए जा रहे कथित अत्याचार, उनकी अकारण गुमशुदगी व मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ अमेरिका में रह रहे बलूच लगातार आवाज उठाते रहे हैं। पिछले दो दिनों से वे मोबाइल बिलबोर्ड अभियान चला कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान में बलूचों को गुप्त तरीके से अगवा किए जाने की घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद करने की अपील कर रहे हैं। खान के मंच से काफी दूर खड़े होकर तीन बलूच युवा नारे लगा रहे थे। खान ने बिना रुके अपना भाषण जारी रखा। करीब ढाई मिनट के बाद स्थानीय सुरक्षाकर्मियों ने तीनों को सभागार से जाने को कहा। इमरान खान के कुछ समर्थकों को उन्हें पीछे की ओर धकेलते हुए और स्टेडियम से बाहर जाने के लिए कहते हुए देखा गया।

- खान पाकिस्तानी मूल के अमेरिकियों की जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब बलूच युवा अचानक से सीटों पर खड़े हो गए व नारेबाजी करने लगे।
- सुरक्षाबलों द्वारा बलूचों पर किए जा रहे कथित अत्याचार, उनकी अकारण गुमशुदगी व मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ अमेरिका में रह रहे बलूच लगातार आवाज उठाते रहे हैं

उधर मुताहिदा कौमी आंदोलन (एमक्यूएम) के सदस्यों व समर्थकों ने यूएस कैपिटल के सामने खान के खिलाफ रविवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एमक्यूएम ने इमरान और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि कराची व देश के अन्य हिस्सों में मोहाजिरों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ पाकिस्तान में मोहाजिरों के खिलाफ अत्याचार करने में शामिल है। एमक्यूएम के संस्थापक नेता अल्ताफ हुसैन आत्मनिर्णय का अधिकार मांग रहे हैं। मोहाजिर (एमक्यूएम), बलोच, पश्तून, सिंधी, गिलगिट, बाल्टिस्तान और सराइकी समुदायों सोमवार को फिर से वाइट हाउस के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं।

ईरान ने सीआइए के जासूस गिरफ्तार किए, कुछ को मौत की सजा का एलान

तेहरान, 22 जुलाई (एएफपी)।

ईरान के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि सुरक्षा एजंसियों ने सीआइए के लिए जासूसी करने के मामले में 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनमें से कुछ को मौत की सजा दी गई है। सीआइए के लिए जासूसी करने वाले गिरोह का पिछले महीने भंडाफोड़ किया गया था।

तेहरान में ईरानी खुफिया मंत्रालय में गुप्तचर रोधी महकमे के प्रमुख ने बताया कि सुरक्षा एजंसियों ने सफलतापूर्वक सीआइए जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जानबूझकर देश के साथ गद्दारी की है, उन्हें न्यायपालिका के हवाले कर दिया गया है। इनमें कुछ को मौत की सजा दी गई है तो अन्य को लंबे समय तक कारावास में रहने का दंड दिया गया है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका-ईरान के बीच संबंध तनावग्रस्त हैं। अमेरिका ने 2015 को हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया है और इस्लामी गणतंत्र पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।

अडाणी परियोजना के विरोध प्रदर्शन का वीडियो बनाने पर पत्रकार गिरफ्तार

मेलबर्न, 22 जुलाई। आस्ट्रेलिया में अडाणी के मालिकाना हक वाली विवादित कोयला खदान के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की कवरेज कर रहे फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल के पत्रकारों को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया। उन पर अनाधिकार प्रवेश के आरोप लगाए गए। उत्तरी क्वींसलैंड के कारमाइल कोयला खदान में खनन के लिए अडाणी को जून में मंजूरी मिली थी। यहां खनन को लेकर विवाद है क्योंकि खदान के निकट ही ग्रेट बैरियर रीफ है, जहां दुनिया की सबड़े बड़ी मूंगे की चट्टानें है। **(भाषा)**

हांगकांग का प्रदर्शन असहनीय : चीन

बेजिंग, 22 जुलाई (एएफपी)।

हांगकांग में हुए उग्र विरोध प्रदर्शन में चीनी प्रतिनिधि कार्यालय की दीवारों को तोड़ने और सरकार के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न को विरूपित किए जाने पर चीन ने सोमवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें बिल्कुल असहनीय बताया। लोकतंत्र समर्थक हजारों प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात अर्ध-स्वायत्त शहर में कार्यालय के बाहर सड़क पर कुछ हद तक कब्जा कर लिया और चीनी शासन के प्रति जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में चीन के प्रमुख राजदूत वांग झिमिन ने कहा, 'इससे सत्तर लाख हांगकांगवासी के साथ-साथ सभी चीनी लोगों की भावनाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है।'

परमाणु ऊर्जा एजंसी के प्रमुख युकिया का निधन

विएना, 22 जुलाई (एएफपी)।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी (आइएईए) ने सोमवार को कहा कि उसके प्रमुख युकिया अमानो का निधन हो गया है। उनका स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं था। उनका निधन ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी सचिवालय ने बताया कि 72 वर्षीय महानिदेशक युकिया अमानो का निधन हो गया है। अमानो का निधन 18 जुलाई को हुआ था, लेकिन उनके परिवार ने आइएईए को रविवार देर शाम सूचित किया। उनके परिवार ने यह भी अनुरोध किया था कि उनके देहांत का 22 जुलाई को उनके अंतिम संस्कार तक खुलासा नहीं किया जाए। उनके निधन के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

टैंकर पर ब्रिटेन ने की जर्मनी व फ्रांस से बात

लंदन, 22 जुलाई (एएफपी)

ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने रविवार को फारस की खाड़ी में ईरान द्वारा जब्त किए गए अपने टैंकर के संबंध में जर्मनी और फ्रांस के अपने समकक्षों से बात की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों मंत्री विदेश मंत्री की बात पर सहमत हुए कि तनाव बढ़ने की किसी तरह की आशंका से बचते हुए हरमुज जलडमरुमध्य में पोतों की सुरक्षित आवाजाही यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक शीर्ष प्राथमिकता है।

किम जोंग को मिले 99.98 फीसद वोट

सियोल, 22 जुलाई (एएफपी)।

उत्तर कोरिया में रविवार को हुए आम चुनाव में देश के नेता किम जोंग उन को करीब-करीब 100 फीसद वोट मिले हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनावों में कोई दूसरा उम्मीदवार और प्रतिद्वंद्वी नहीं होने के कारण उत्तर कोरिया में चुनाव सिर्फ राजनीतिक दिखावा है।

पूर्वोत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल)/पूर्वोत्तर रेलवे, ... निविदा सूचना संख्या: M-D-GD-2019-20-OT-02R ... अनुमानित लागत (₹ में): 30,71,540/-, अग्रिम धन (₹ में): 61,400.00/-, टेंडर प्रपत्र मूल्य: ₹ 3,000/-, निविदा की अवधि- 24 महीना। ... 26/08/2019, 15.00 बजे ... www.ireps.gov.in ...

शुद्धिपत्र

20.07.2019 को जनसत्ता (हिन्दी, दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित **एमसीसी इंडस्ट्रियल कंपोनैंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के विज्ञापन में लिखित **CIN: U29253DL2009PTC188745** के बजाय **CIN: U29220DL2009PTC188688** का उल्लेख हुआ था। अतः निवेदन है कि इसे **CIN: U29253DL2009PTC188745** ही पढ़ा जाए। त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया गया है।

आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/उत्तरी क्षेत्र पीठ, नई दिल्ली बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-03 के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मै. सिनर्जी थ्रिस्लिंग्टन इन्स्टाकॉन प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय "ए-218, सोमदत्त चैम्बर-15-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066" में है, के मामले में

– आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हिमाचल प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 21 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र, के पते बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: "ए-218, सोमदत्त चैम्बर-15-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066"

कृत्ते एवं के लिये
सिनर्जी थ्रिस्लिंग्टन इन्स्टाकॉन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 22.07.2019 हरपाल सिंह
स्थान: नई दिल्ली (निदेशक)
DIN: 00827059

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

ट्विंकल डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U51100DL2016PTC292457)

... क्षेत्रीय निदेशक ... "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" ... (www.mca.gov.in) ...

कृते ट्विंकल डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

फार्म नं. आईएनसी-26

... ए प्लस फाइनेंशियल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74120DL2008PTC178576) ...

ई मेल : aplusfinsol@gmail.com
फोन नं : 0129-4044369
कृते ए प्लस फाइनेंशियल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 11.07.2019 शैलेन्द्र बजाज
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 01803650
पता : 559 सैक्टर – 16ए, फरीदाबाद, हरियाणा–121002

फेडरल-मोगुल गोएट्ज़े (इंडिया) लिमिटेड

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर (CIN): L74899DL1954PLC002452

वेबसाइट: www.federalmogulgoetzeindia.net ई-मेल: investor.grievance@tenneco.com

सूचना

... यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.federalmogulgoetzeindia.net एवं स्टॉक एक्सचेंज जहां पर कम्पनी के अंश सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट ऑफिस : पारस ट्विन टॉवर, 10th फ्लोर, टॉवर बी, सेक्टर 54, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव- 122002
कृते फेडरल-मोगुल गोएट्ज़े (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
स्थान : दिल्ली (डा. खालिद इकबाल खान)
तिथि : 22 जुलाई, 2019 पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: अर्थला, गाजियाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थला, गाजियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **04/05/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्रीमती नीरू गर्ग पत्नी राजेश गर्ग**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.13,66,628/– (तेरह लाख छियासठ हजार छः सौ अठाईस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 17.07.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.13,66,628/– (तेरह लाख छियासठ हजार छः सौ अठाईस रूपये मात्र) एवं प्लस ब्याज़ + लीगल शुल्क के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थला, गाजियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती नीरू गर्ग पत्नी राजेश गर्ग, प्लॉट सं.37, खसरा नं.12, न्यू शताब्दीपुरम, गाँव-हदबस्त, परगना दासना, गाजियाबाद के नाम पर साम्यिक बंधक भूखण्ड के सभी भाग एवं हिस्से, परिमाप 83.61 वर्ग मीटर/100.00 वर्ग गज़ **जो घिरा है: उत्तर:** 20 फीट चौड़ा रास्ता **दक्षिण:** प्लॉट सं.50 **पूर्व:** प्लॉट सं.36 **पश्चिम:** प्लॉट सं.38

स्थान: गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 17.07.2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

PUBLIC NOTICE

Our client has negotiated for Sale and Transfer of the entire shareholding of **Apex Homes Private Limited**, a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 and having its registered office at 136, SFS, Hauz Khas, New Delhi-110016 (**"the Company"**) and instructed us to investigate the ownership title of the Company to the Freehold Property being Plot No.3, (2885 Sq Mtr), LSC, Sector A, Pocket-2, Vasant Kunj, New Delhi registered as document no.2761, Book.1, Vol.4274, Page no.1-3051 dt. 26.03.2008 with Sub Registrar-IX, Delhi (**"the said property"**).

We have also been instructed to investigate the right and title of all the shareholders in the entire shareholding of the Company, being as under as on 31.03.2019:

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares held	No. of Preference Shares held	Paid up value of each share (Rs.)
1.	M/s Inventure Properties Pvt. Ltd.	3,61,447	Nil	10/-
2.	M/s Glaze Infradevelopers Pvt. Ltd.	8,10,607	Nil	10/-
3.	M/s Palmtree Infracon Pvt. Ltd.	7,95,906	Nil	10/-
4.	M/s Bigstar Hotels & Resorts Pvt. Ltd.	4,15,970	Nil	10/-
5.	Aman Holdings Pvt. Ltd.	1,57,248	Nil	10/-
6.	Aman Growth Fund Pvt. Ltd.	1,57,248	Nil	10/-
7.	Nutan Growth Fund Pvt. Ltd.	1,57,248	Nil	10/-
8.	Raj Sheela Growth Fund Pvt. Ltd.	1,57,248	Nil	10/-
9.	Mrs. Suchitra	4,900	Nil	10/-
10.	Sh. Ankit Sangwan	77,600	Nil	10/-
11.	M/s Yudhvir Singh HUF	80,737	Nil	10/-
12.	Mr. Vishal Sahu	77,640	Nil	10/-
	Total	32,53,799		

ALL persons having any claim in respect of the said property or any part thereof and/or the above shares of the Company by way of sale, exchange, mortgage (equitable or otherwise), gift, trust, inheritance, maintenance, bequest, partnership, joint venture, development rights, possession, lease, sub-lease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or any other arrangement, attachment, injunction or under any decree, order or award passed by any Court of Law, Tribunal, Revenue or Statutory Authority or arbitration, right of prescription or pre-emption or under any Agreement for Sale, Letter of Allotment or other disposition, loans, advances or otherwise howsoever are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned herein below within 14 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned.

Bisla & Co., Advocates & Solicitors
A-1/280, Safdarjung Enclave,
New Delhi-110 029 (India)
Dated this 22nd day of July, 2019 bislaandcompany@gmail.com

SOMANY CERAMICS LIMITED
CIN: L40200WB1968PLC224116
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001
Phone No.: 033-22487406/5913
Website: www.somanyceramics.com **Email:** cs@somanytiles.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 2nd August, 2019 at New Delhi to inter alia, consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company at www.somanyceramics.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited–www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited–www.nseindia.com.

For Somany Ceramics Limited
Sd/-
Place: Kassar, Bahadurgarh Ambrish Julka
Date: 22nd July, 2019 GM (Legal) and Company Secretary

नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष

कारपोरेट भवन, प्लॉट नं. 4बी, सैक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़

सीपी (आईबी) नं. 56/चंडी./ हरि/2018 में सीए नं. 513/2019
(दाखिल विषय)
आईबीसी, 2016 की धारा 66 व 67 के अधीन

...

दिनांक: 23.07.2019 ... परिसमापक
स्थान: चंडीगढ़

CORRIGENDUM

Air Force Station Palam advertisement published on 22.07.2019 on page 2. In 'Minimum Reserve Price (monthly rebate)' column of Sl. No. (d), kindly read **Rs. 4000** instead of Rs. 5,000.

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड
CIN: L74999DL1982PLC014411
पंजी. कार्यालय: 208, मैग्नम हाउस- II, करमपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110015, www.jtel.co.in
E-Mail: jagattradingenterprises-limited@gmail.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घोषणा अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार 14 अगस्त 2019 को आयोजित की जाएगी। अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे। सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की आंतरिक संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो सोमवार, 1 जुलाई, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.jtel.co.in तथा साथ हीं एमएस ईआई की वेबसाईट www.msei.in पर भी देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेश से
जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
पी.के. गोयल
तिथि: 22.07.2019 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली (DIN : 00021153)

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मामले में

सैन्टे न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 303, पाल मोहन मैंशन, 26/34, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, भारत में है

आवेदक कम्पनी

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 22.07.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजीकृत कार्यालय: 303, पाल मोहन मैंशन, 26/34, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, भारत

कृत्ते एवं के लिए आवेदक
सैन्टे न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 23.07.2019 पूजा सिंह
स्थान: नई दिल्ली निदेशक
DIN: 07774067

प्रपत्र संख्या आईएनसी - 26

... हिन्दुस्तान थर्मलप्रोजेक्ट्स लिमिटेड ... CIN: U40102DL2008PLC179159 ...

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 239, ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, फेस-III नई दिल्ली साउथ दिल्ली दिल्ली 110020.

उनके लिए और उनकी तरफ से
हिन्दुस्तान थर्मलप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
हस्ता /–
तिथि : 22.07.2019 प्रथमा मल्लिका मिश्रा
स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव

फार्म आईएनसी-26

[कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

एच. के. लूमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में प्रस्तावित परिवर्तन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, भारत के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(क) के मामले में

और

मैसर्स ओएसएफएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय - शॉप न 106, फर्स्ट फ्लोर, अग्रवाल स्क्वेर प्लाजा पॉकेट-7, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली - 110078 में है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने दिनांक 05 जुलाई, 2019 को आयोजित अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़" में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन किया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह www.mca.gov.in पर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

के लिए एवं उनकी ओर से
मैसर्स ओएसएफएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
तिथि : 18.07.2019 सतीश कुमार ओबेरॉय
स्थान: नई दिल्ली निदेशक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्योजित अधिकार) उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

अवन्था होल्डिंग्स लिमिटेड (सीआईएनः U67120DL1998PLC198627) जिसका पंजीकृत कार्यालय 124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 स्थित है, आवेदक, के मामले में

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 10 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

सुश्री सोनिया निरंजन दास
कंपनी सचिव
अवन्था होल्डिंग्स लिमिटेड
124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001
ई-मेलः sect.ahl@avanthaholdings.com

कृते एवं हेतु अवन्था होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/–
सोनिया निरंजन दास
दिनांकः 22.07.2019 कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली सदस्यता संख्याः A14269

नोटः जो भी लागू होने योग्य नहीं है उसे काट दें।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
VIJAYA BANK NOW BANK OF BARODA

शाखा कार्यालय: एमएसएमइ पानीपत

कब्जा सूचना (केवल अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, बैंक ऑफ बड़ौदा (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र संख्या जीएसआर नं. 23 दिनांक 2 जनवरी, 2019 के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भूतपूर्व विजया बैंक का समामेलन) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ...

दिनांक: 23.07.2019 स्थानः पानीपत प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.
CIN NO.L51909DL1933PLC009509
Regd. Office : 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road New Delhi 110 001
Phone no.011-23316409, 23310414 Fax No. 011-23322473
Email: udsm_shamli@sirshadilal.com : website www.sirshadilal.com

Abstract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019

(Rs. In Lacs)

Particulars	Current three Months ended 30.06.2019	Previous three Months ended 31.03.2019	Previous Year three Months ended 30.06.2018	Previous Accounting Year ended 31.03.2019
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	15028.26	11677.78	8719.94	37380.47
Net Profit(+)/Loss(-) for the period[before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-)64.70	(+)779.08	(-)813.09	(-)3501.60
Net Profit(+)/Loss(-) for the period before tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-)64.70	(+)779.08	(-)813.09	(-)3501.60
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-)64.70	(+)779.08	(-)813.09	(-)3501.60
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/Loss for the period(after tax) and other comprehensive income for the period (after tax	(+)77.34	(+)825.18	(-)794.11	(-)3488.82
Equity Share Capital	525.00	525.00	525.00	525.00
Earning per share (not annualized of Rs. 10/-) Basic and Dilute	(-)1.232	(+)14.840	(-)15.487	(-)66.697

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.sirshadilal.com
2. The Unaudited financial statement for the quarter ended 30th June, 2019 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 22nd July, 2019.

for Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.

Place : New Delhi **(Rajat Lal)**
Dated : 22nd July, 2019 **Managing Director**
(DIN 00112489)

खबर कोना

ग्वांगजू में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं के 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हंगरी की कातिंका होसाजु।

राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस में भारत ने जीते सातों स्वर्ण

कटक, 22 जुलाई (भाषा)।

हरमीत देसाई और आहिका मुखर्जी ने सोमवार को यहां पुरुष और महिला एकल के खिताब जीते जिससे भारत 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दांव पर लगे सातों स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। हरमीत ने पुरुष एकल में हमवतन जी साथियान को बेहद संघर्षपूर्ण फाइनल में 4-3 (9-11, 6-11, 11-5, 11-8, 17-15, 7-11, 11-9) से हराया। शुरू में 0-2 से पिछड़ने के बाद हरमीत ने शानदार वापसी की और सात गेम तक चले मैच को अपने नाम किया। महिला एकल में आहिका ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मधुरिका पाटकर को आसानी से 4-0 (11-6, 11-4, 11-9, 19-17) से हराकर चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। एंथनी अमलराज और मानव ठक्कर ने पुरुष युगल में साथियान और शरत कमल की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 3-1 (8-11, 11-6, 13-11, 12-10) से हराकर सोने का तमगा जीता। महिला युगल का खिताब पूजा सहस्त्रबुद्धे और कृत्विका सिन्हा राय ने जीता। उन्होंने फाइनल में हमवतन श्रीजा अकुला और मौसमी पॉल को 3-1 (11-9, 11-8, 9-11, 12-10) से हराया। भारत ने इस तरह से प्रतियोगिता में सात स्वर्ण, पांच रजत और तीन कांस्य पदक जीते।

जयपुर पिंकपैंथर्स ने यू मुंबा को 42-23 से हराया

हैदराबाद, 22 जुलाई (भाषा)।

जयपुर पिंक पैंथर्स ने आलराउंड खेल का प्रदर्शन करते हुए यू मुंबा को सातवें प्रो कबड्डी लीग के तीसरे दिन सोमवार को यहां 42-23 से हराया। जयपुर के रेडर्स शानदार फार्म में थे और उन्होंने नियमित अंतराल में अंक बनाए। दूसरी तरफ उसकी रक्षापंक्ति ने अपना दमखम दिखाया और यू मुंबा के रेडर के सामने कड़ी चुनौती पेश की। दीपक हुड्डा ने जयपुर की तरफ से 10 अंक बनाए जबकि दीपक नारवाल (छह अंक) और नितिन रावल (सात अंक) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षापंक्ति में अमित हुड्डा ने शानदार खेल दिखाया। उधर हरियाणा स्टीलर्स ने पुणेरी पल्टन को 34-24 से हराया।

खिताबी सूखा खत्म करने पर निगाहें

जापान ओपन बैडमिंटन आज से

तोक्यो, 22 जुलाई (भाषा)।

भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में मिली हार के बाद मंगलवार से शुरू हो रहे जापान ओपन बीडब्लूएफ विश्व टूर सुपर 750 टूर्नामेंट में जीत के साथ इस साल के खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेंगी। इस टूर्नामेंट में सानिया नेहवाल की वापसी होगी जो फिटनेस समस्याओं के कारण इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाईं थीं।

सिंधू रविवार को जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हारकर सात महीने के खिताबी सूखे को खत्म नहीं कर सकी थी। वह इस कसक को जापान में पूरा करना चाहेंगे जहां उनका अभियान चीन की हान यूई के खिलाफ शुरू होगा। सिंधू अगर पहले दौर के मुकाबले को जीत जातीं हैं तो दूसरे दौर में उनका सामना स्काटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर या जापान की आया ओहोरी से होगा। पांचवीं वरीयता प्राप्त यह भारतीय खिलाड़ी इंडोनेशिया में यामागुची से मिली शिकस्त का बदला इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में ले सकतीं हैं जहां सिंधू का सामना चौथी वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी से हो सकता है। टूर्नामेंट में आठवीं वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने मौजूदा सत्र में खिताब जीता है। वह अपने अभियान की शुरुआत में थाईलैंड की बुसनान ओंगबुरूंगपान से भिड़ेंगी। इस खिलाड़ी के खिलाफ साइना के जीत का रेकार्ड 3-1 का है।

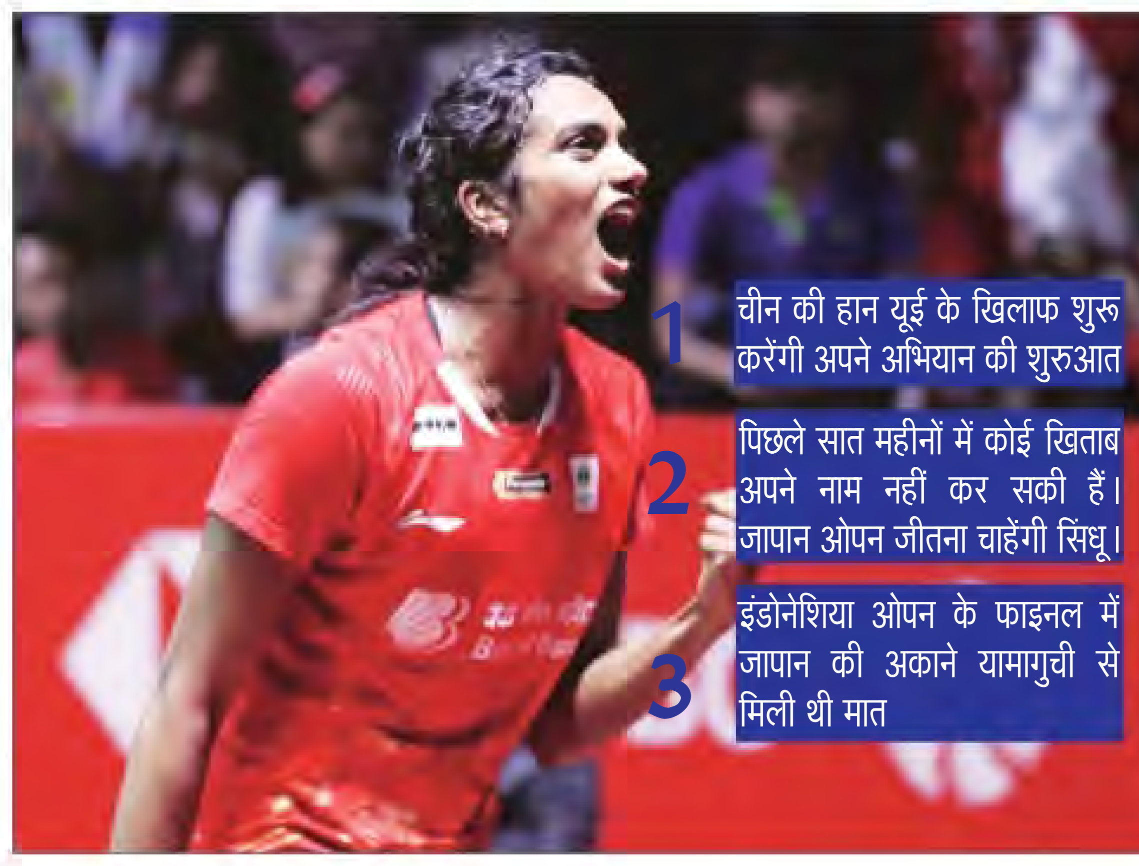

पुरुष एकल में दो शीर्ष भारतीयों का सामना : पुरुष एकल के शुरुआती दौर में ही दो शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों को सामना होगा। जहां एचएस प्रणय आठवीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत को चुनौती पेश करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हालांकि श्रीकांत का पलड़ा भारी है जिन्होंने पांच मुकाबलों में से चार में जीत दर्ज की है। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में स्विस ओपन के उपविजेता बी साई प्रणीत पहले दौर में जापान के केंटा निशिमोटो के खिलाफ कोर्ट में उतरेंगे। चोट के कारण इंडोनेशिया ओपन से बाहर रहने वाले समीर वर्मा इसके उपविजेता डेनमार्क के अंद्रेस अंटोनसेन को पहले दौर में चुनौती पेश करेंगे।

भारत ए ने आखिरी वनडे में वेस्ट इंडीज को आठ विकेट से हराया

एंटीगा, 22 जुलाई (भाषा)।

ऋतुराज गायकवाड़ की अगुआई में भारत ए के शीर्षक्रम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ पांचवां और आखिरी अनौपचारिक मैच आठ विकेट से जीतकर शृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। राहुल चाहर, उनके चचेरे भाई दीपक चाहर और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने दो-दो विकेट लिए।

भारत ए ने वेस्ट इंडीज ए को 47.4 ओवरों में 236 रन पर आउट कर दिया। गायकवाड़ (99) ने उम्दा पारी खेली लेकिन शतक से एक रन से चूक गए। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (69) और श्रेयस अय्यर (61) के अर्धशतकों के दम पर भारत ए ने लक्ष्य 33 ओवर में हासिल कर लिया। गिल ने आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 गेंद में 69 रन बनाए और गायकवाड़ के साथ 110 रन की साझेदारी की। उन्हें रहकीम कार्नवाल ने 12वें ओवर में आउट किया। गायकवाड़ ने 89 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके और तीन छक्के लगाए। अय्यर 64 गेंद में 61 रन बनाकर नाबाद रहे जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे।

इससे पहले वेस्ट इंडीज ए के लिए सलामी बल्लेबाज सुनील अंबरीश ने 52 गेंद में सात चौकों और दो छक्कों के साथ 61 रन बनाए। इसके बाद मेजबान बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एक समय उसका स्कोर बिना किसी नुकसान के 77 रन था जो छह विकेट पर 103 रन हो गया।

- शतक से चूके गायकवाड़, 99 रन की उम्दा पारी खेली
- भारत ने शृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली
- चाहर बंधुओं और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने दो-दो विकेट लिए

केशव दत्त, प्रसून बनर्जी को दिया जाएगा मोहन बागान रत्न

कोलकाता, 22 जुलाई (भाषा)।

दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रसून बनर्जी को 'मोहन बागान रत्न' के लिए चुना गया है। मोहन बागान क्लब ने सोमवार को बताया कि इन्हें क्लब के वार्षिक समारोह के दौरान 29 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा।

मोहन बागान हाल में संपन्न क्रिकेट विश्व कप 2019 में हैट्रिक बनाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी सम्मानित करेगा जबकि अशोक चटर्जी को 'लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार दिया जाएगा। क्लब साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली, चुनी गोस्वामी, डॉ. वेस पेस, प्रसेनजित चटर्जी और देव शंकर हलदर को आजीवन सदस्यता भी देगा।

सबसे अधिक उम्र के जीवित हॉकी ओलंपियन में से एक 94 साल के दत्त ने 1948 लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। इन खेलों में भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता। दत्त ने दूसरा स्वर्ण 1952 हेलसिंकी खेलों में जीता।

यह पहली बार है जब मोहन बागान की कार्यकारी समिति ने किसी गैर फुटबॉलर को अपना शीर्ष पुरस्कार देने का फैसला किया है। प्रसून पीके बनर्जी के छोटे भाई हैं और उन्होंने अपने बड़े भाई और परमिंदर सिंह के साथ मजबूत मिडफील्ड तिकड़ी बनाई थी।

डब्लूटीए रैंकिंग में शीर्ष 10 में कोई बदलाव नहीं

पेरिस, 22 जुलाई (भाषा)।

डब्लूटीए की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि एटीपी टेनिस रैंकिंग में रूस के डेनियल मेदवेदेव करिअर के सर्वश्रेष्ठ नौवें स्थान पर पहुंच गए।

सोमवार को जारी डब्लूटीए रैंकिंग में आस्ट्रेलिया की एशलेग बार्टी पहले पायदान पर बरकरार है जबकि जापान की नाओमी ओसाका दूसरे और चेक गणराज्य की कैरोलीना प्लिस्कोवा तीसरे स्थान पर हैं। विंबलडन चैंपियन रोमानिया की सिमोना हालेप रैंकिंग में चौथे स्थान पर है जबकि इस टूर्नामेंट की उपविजेता सेरेना नौवें पायदान पर हैं। पुरुष में विंबलडन चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले और उपविजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्पेन के रफेल नडाल दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। एटीपी रैंकिंग में शीर्ष आठ स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ। रूस से मेदवेदेव करिअर के सर्वश्रेष्ठ नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछली रैंकिंग में नौवें स्थान पर रहे इटली के फाबियो फोगनीनी 10वें स्थान पर खिसक गए।

बोपन्ना फिर बने देश के नंबर एक युगल खिलाड़ी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

रोहन बोपन्ना एटीपी की सोमवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में तीन पायदान आगे बढ़ने में सफल रहे हैं जिससे वह फिर से भारत के नंबर एक युगल खिलाड़ी बन गए। बोपन्ना अब विश्व टेनिस रैंकिंग में 43वें नंबर पर पहुंच गए हैं जबकि पिछले सप्ताह तक भारतीय खिलाड़ियों में शीर्ष पर काबिज रहे दिविज शरण तीन पायदान नीचे 46वें स्थान पर खिसक गए हैं। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी युगल रैंकिंग में तीन पायदान आगे बढ़कर 72वें स्थान पर पहुंच गए। पुरव राजा (दो पायदान नीचे 84वें) और जीवन नेदुचेझियन (पांच पायदान नीचे 86वें) शीर्ष 100 में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं। प्रजनेश गुणेश्वरन (88वें) एकल में शीर्ष 100 में शामिल अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं।

भारतीय एथलेटिक्स के 'हाई परफार्मेंस' निदेशक वोल्कर हरमन ने कहा

हिमा दास अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

भारतीय एथलेटिक्स के 'हाई परफार्मेंस' निदेशक वोल्कर हरमन का मानना है कि यूरोप में तीन सप्ताह में पांच स्वर्ण पदक जीतने वाली स्टार धाविका हिमा दास अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब हैं।

उन्नीस साल की हिमा ने पोलैड और चेक गणराज्य में दो जुलाई के बाद से दो सौ मीटर की चार और चार सौ मीटर की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपने समय में भी सुधार के साथ शानदार प्रदर्शन किया।

हरमन ने कहा, हिमा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आप 50 सेकंड से कम समय में दौड़ (400 मीटर) पूरी करना चाहते हैं तो आपके पास 22.80 सेकंड में दौड़ (200 मीटर) पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। हिमा ने 20 जुलाई को 400 मीटर में 52.09 सेकंड के सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण जीता था। हिमा ने दोहा में 26 सितंबर से छह अक्तूबर तक दोहा में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए 200 मीटर या 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालीफाइ नहीं किया है।

पुरुष के वर्ग में हालांकि मोहम्मद अनस ने 400 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रेकार्ड के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। एक जुलाई को भारतीय एथलेटिक्स के साथ जुड़ने वाले हरमन ने कहा, हमारे पास मोहम्मद अनस भी है जो अपने रेकार्ड में ही सुधार कर रहे हैं और यह शानदार है।

- यूरोप में तीन सप्ताह के भीतर जीत चुकीं हैं पांच सोने के तमगे

जर्मनी के हरमन ने कहा कि तोक्यो ओलंपिक के लिए 25 से 30 भारतीय एथलीट क्वालीफाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पुरुषों और महिलाओं के 400 मीटर रिले में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले आठ एथलीट सीधे क्वालीफाई कर लेंगे और हमारे लिए शायद यह सबसे आसान तरीका होगा। भाला फेंक और 400 मीटर दौड़ में भी हम अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा, तोक्यो ओलंपिक में अभी एक साल का समय है। हमें अपनी कमजोरियों और मजबूत पहलुओं पर काम करना होगा ताकि एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। लेकिन हमें 2024 और 2028 ओलंपिक को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा, 2024 ओलंपिक के लिए हमें 15 से 17 साल के उम्र के एथलीटों के साथ काम करना होगा।

गोल सिएटल में एमएलएस फुटबॉल मैच में सिएटल साउंडर्स के खिलाफ दूसरा गोल करने के बाद पोर्टलैंड टिम्बर्स के ब्रायन फर्नांडीज।

चयनकर्ताओं को धोनी जैसे बड़े खिलाड़ियों को विश्वास में लेना चाहिए : अजहरूद्दीन

हैदराबाद, 22 जुलाई (भाषा)।

पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने कहा कि चयनकर्ताओं और महेंद्र सिंह धोनी के बीच संवाद महत्त्वपूर्ण होगा क्योंकि यह पूर्व कप्तान संन्यास की अटकलों के बीच अपने शानदार करिअर के अंतिम चरण पर है।

यह पूछे जाने पर कि धोनी जैसे बड़े खिलाड़ियों के संन्यास का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, अजहरूद्दीन ने कहा, एक खिलाड़ी खेलना चाहता है लेकिन चयनकर्ताओं को बात करनी होगी कि वह कब तक खेलेगा, वह कैसे खेलेगा, क्या होगा। उन्होंने कहा, बड़े खिलाड़ी के मामले में खिलाड़ी को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई फैसला आएगा। अन्यथा लोग लिखते रहेंगे कि उसे संन्यास लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि धोनी ने कोई बयान नहीं दिया है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि धोनी अब उतने सक्षम नहीं है लेकिन अजहरूद्दीन का मानना है कि वह अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रखना अगर उनके अंदर इच्छाशक्ति और शत प्रतिशत फिट शरीर है तो। उन्होंने कहा, मेरा नजरिया है कि अगर वह फिट हैं और अच्छा खेल रहे हैं तो उन्हें खेलना चाहिए। अजहरूद्दीन ने कहा कि समय आने पर धोनी सही फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, उसने दो महीने का आराम लिया है। शायद इसके बाद वह बताएगा कि वह क्या करेगा।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा कार्यालयः नाहन

डिमांड नोटिस

वित्तीय सम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/गारंटरों ने बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक की है तथा कथित सुविधाओं को नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे। तथापि कुछ पतों से नोटिस अवितरित वापिस आ गए और कुछ अन्य मामलों में पावती प्राप्त नही की गई तथा उनके पंजीकृत पतों पर नोटिस चिपका दिए गए है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/ गारंटरों के नाम	रेहन संपति का विवरण	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि
1.	कर्जदारः 1. मै. सौम्या एक्स्ट्रूशन्स, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर। 2. श्री ब्रजेश कुमार सुपुत्र जयश्री नारायण शर्मा ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 3. श्री अभिषेक कुमार सुपुत्र राजकुमार सिंह, बी-202, कल्याणी अपार्टमेंट्स, कल्याणी सहकारी आवास समिति लि., प्लाट नं. जीएच-2, सेक्टर-6, वसुन्धरा, गाजियाबाद, 4. श्रीमती सोमा राज पत्नी श्री ब्रजेश कुमार ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, 1/4 वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 5. श्री रामनक्षत्रा राय सुपुत्र भिकारी राय, 324, प्रथम तल, वैशाली, सैक्टर-1, जिला गाजियाबाद। गारंटरः 1. श्री ब्रजेश कुमार सुपुत्र जयश्री नारायण शर्मा ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 2. श्री अभिषेक कुमार सुपुत्र राजकुमार सिंह, बी-202, कल्याणी अपार्टमेंट्स, कल्याणी सहकारी आवास समिति लि., प्लाट नं. जीएच-2, सेक्टर-6, वसुन्धरा, गाजियाबाद, 3. श्रीमती सोमा राज पत्नी श्री ब्रजेश कुमार ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, 1/4 वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 4. श्री रामनक्षत्रा राय सुपुत्र भिकारी राय, 324, प्रथम तल, वैशाली, सैक्टर-1, जिला गाजियाबाद, 5. मै. प्रभात इंडस्ट्रीज, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर 6. श्री राज कुमार सिंह मकान नं. 2146, सैक्टर 6-ए, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, झारखंड।	संपति 1. गांव संतोषगढ़, पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में स्थित खसरा नं. 72/3, रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा और खसरा नं. 72/2/2 रकबा 1 बीघा कुल भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में शामिल भूमि। संपति 2. मै. सौम्या एक्स्ट्रूशन्स, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में पड़ी हुई बैंक के साथ बंधीकृत सभी प्रकार के प्लांट व मशीनरी, निवास या अन्य कहीं भी। संपति 3. मै. सौम्या एक्स्ट्रूशन्स, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में पड़े हुए बैंक के साथ बंधीकृत सभी प्रकार के भंडार, निवास या अन्य कहीं भी।	29.03.2019	30.05.2019	1,25,24,194/- रुपए जो 30.05.2019 को है जमा उस पर आगामी ब्याज व अन्य खर्चे
2.	कर्जदारः 1. मै. प्रभात इंडस्ट्रीज, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर 2. श्री ब्रजेश कुमार सुपुत्र जयश्री नारायण शर्मा ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 3. श्री अभिषेक कुमार सुपुत्र राजकुमार सिंह, बी-202, कल्याणी अपार्टमेंट्स, कल्याणी सहकारी आवास समिति लि., प्लाट नं. जीएच-2, सेक्टर-6, वसुन्धरा, गाजियाबाद, 4. श्रीमती सोमा राज पत्नी श्री ब्रजेश कुमार ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, 1/4 वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 5. श्री रामनक्षत्रा राय सुपुत्र भिकारी राय, 324, प्रथम तल, वैशाली, सैक्टर-1, जिला गाजियाबाद। गारंटरः 1. श्री ब्रजेश कुमार सुपुत्र जयश्री नारायण शर्मा ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 2. श्री अभिषेक कुमार सुपुत्र राजकुमार सिंह, बी-202, कल्याणी अपार्टमेंट्स, कल्याणी सहकारी आवास समिति लि., प्लाट नं. जीएच-2, सेक्टर-6, वसुन्धरा, गाजियाबाद, 3. श्रीमती सोमा राज पत्नी श्री ब्रजेश कुमार ओसीमो-1, 804, आठवां तल, महागुण मैन्शन-2, 1/4 वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, 4. श्री रामनक्षत्रा राय सुपुत्र भिकारी राय, 324, प्रथम तल, वैशाली, सैक्टर-1, जिला गाजियाबाद।	संपति 1. गांव संतोषगढ़, पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में स्थित खसरा नं. 72/3, रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा और खसरा नं. 72/2/2 रकबा 1 बीघा कुल भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में शामिल भूमि। संपति 2. मै. प्रभात इंडस्ट्रीज, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में पड़ी हुई बैंक के साथ बंधीकृत सभी प्रकार के प्लांट व मशीनरी, निवास या अन्य कहीं भी। संपति 3. मै. प्रभात इंडस्ट्रीज, गांव संतोषगढ़, पी.ओ. पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में पड़े हुए बैंक के साथ बंधीकृत सभी प्रकार के भंडार, निवास या अन्य कहीं भी।	31.03.2019	04.06.2019	62,82,326/- रुपए जो 04.06.2019 को है जमा उस पर आगामी ब्याज व अन्य खर्चे

प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार अब इस प्रकाशन के माध्यम से प्रतिभूतित ऋणदाता (बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता में कार्य करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बकाया दायित्व राशि के साथ अगामी ब्याज तथा खर्चे/प्रभारों यथा लागू, की अदायगी के लिए आपको आमंत्रित करता है, जिसमें असफल रहने पर प्रतिभूतित ऋणदाता कथित अध्यादेश की धारा 13 की उप धारा (2)तथा अन्य लागू प्रावधानों के अधीन विस्तृत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

आपको कथित अधिनियम की धारा 13 के निर्बंधनों के अनुसार सूचना भी दी जाती है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना कथित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

यह सूचना कानून के किसी अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत मानित अनुसार ऐसी किसी अन्य कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही शुरु करने के बैंक के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है।

कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा (13) की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

तिथिः 22.07.2019 स्थानः नाहन प्राधिकृत अधिकारी

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 247, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।